तेउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय सूची

बोर्ड के सदस्य	02
बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक	04
लक्ष्य एवं उद्देश्य	05
अध्याय 1	06
संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य	
अध्याय 2	11
वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण	
अध्याय 3	27
वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान	
अध्याय 4	54
वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान	
अध्याय 5	57
तेउविबो का उर्जा सुरक्षा में योगदान	
अध्याय 6	61
अन्य गतिविधियां	
अध्याय 7	68
वार्षिक लेखे 2019–20	
अध्याय 8	93
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	
अध्याय 9	108
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे	
अध्याय 10	175
परिशिष्ट	

बोर्ड के सदस्य

(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

डा. एम एम कुट्टी,
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सदस्य

श्री पी राघवेन्द्र राव,
सचिव,
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

श्री राजीव बंसल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(16.12.2019 तक)

श्री राजेश अग्रवाल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(18.12.2019 से आगे)

श्री प्रमोद कुमार दास
अपर सचिव,
व्यय विभाग
(25.10.2019 तक)

श्री अमर नाथ
संयुक्त सचिव (अंवेषण)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री वी.पी.जॉय
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(31.12.2019 तक)

श्री एस.सी.एल.दास
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(31.12.2019 से आगे)

श्री संजीव सिंह
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री शशि शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस
कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड
(31.07.2019 तक)

श्री मनोज जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड
(14.02.2020 से आगे)

श्री डी. राजकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री एम. के. सुराणा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

डॉ0 एसएसवी रामाकुमार
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री प्रवेन्द्र कुमार
महा सचिव,
श्रमिक विकास परिषद,
इंडियन ऑयल बरौनी रिफाइनरी

सदस्य

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(11.09.2019 तक)

डॉ. निरंजन कुमार सिंह
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(09.12.2019 से आगे)

बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	:	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (11.09.2019 तक) डॉ. निरंजन कुमार सिंह (09.12.2019 से आगे)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी :		श्री गौतम सेन
बैंकर्स		i स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स iii कार्पोरेशन बैंक iv इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक		प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, मुम्बई
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड़, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0.2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाश सं0		+91-0120-2594602 +91-0120-2594603
फैक्स		+91-0120-2594630
ई–मेल		facao.oidb@nic.in
वेब साइट		www.oidb.gov.in

तेल उद्योग विकास बोर्ड के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।
- निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :–
  - √ भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
  - √ कच्चे तेल के उत्पादन,संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
  - √ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;
  - √ पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
  - √ वैज्ञानिक, प्रौद्योयोगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
  - √ तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
  - √ तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए।

अध्याय
01

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

1 प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था। तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए।
- इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए।
- इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

1.2. इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

2 संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(I) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(II) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे।

(III) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

(IV) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(V) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग

के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड़) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

2.4 तेल उद्योग विकास अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है।

3. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर निम्न दरों पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई/संशोधित की गई।

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फरवरी, 1983	300 रुपए
1 मार्च, 1987	600 रुपए
1 फरवरी, 1989	900 रुपए
1 मार्च, 2002	1800 रुपए
1 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए
1 मार्च, 2016	20 % यथा मूल्य

स्रोतः वित्त मंत्रालय

3.2 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.3 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो।

4 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल तथा गैस क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा प्रपत्रों के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2020 तक तेल उद्योग विकास कोष में 11,825.89 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं।

4.2 वर्ष1974–75 में उपकर के रूप में एकत्रित की गई 30.82 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2019–20 तक समेकित राशि बढ़कर 2,23,576.92 करोड़ रुपए हो गई। जिसमें से तेउवि. बोर्ड को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। उसके पश्चात उपकर संग्रह में से तेउवि. बोर्ड को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर का वर्ष 1974–75 से वर्षवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

31–03–2020 तक केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आंबटित की गई धन राशि से संयोजित विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	सरकार द्वारा तेउविबो को किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09

16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00
19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14,677.24	
42	2015-16	14,468.94	
43	2016-17	12,778.20	
44	2017-18	14246.20	
45	2018-19	18556.09	
46	2019-20	15800.92	
	कुल	2,23,576.92	902.40

स्त्रोत : तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आकड़े ओएनजीसी, ओआईएल, डीजीएच द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

अध्याय
02

वित्तीय सहायता: तेल कंपनियों को ऋण

1 तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 से ही तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों के स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों के गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं और शहरी गैस वितरण आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

(रुपए करोड़ में)

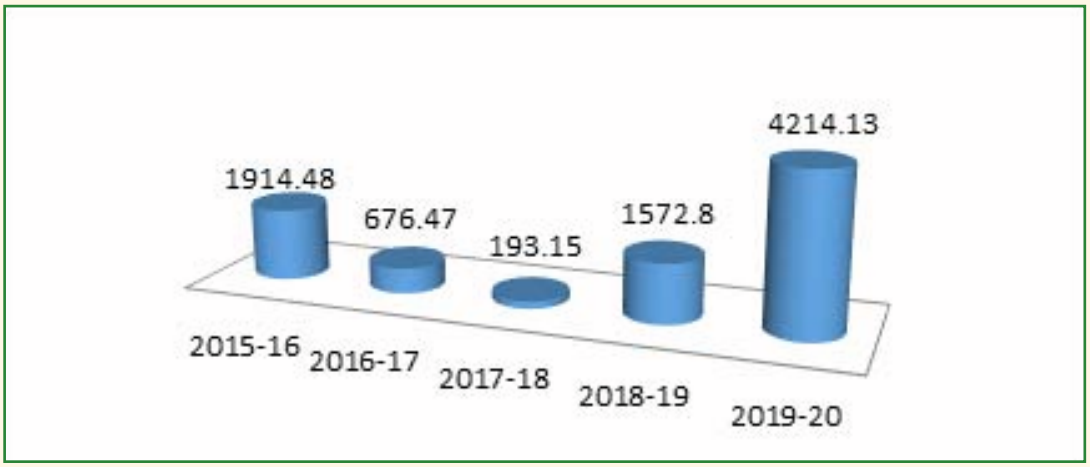

3. तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से पिछले पांच वर्षों में तेल क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	तेल संस्थानों के नाम	वित्तीय वर्ष					
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	5 वर्षों का कुल योग
1	आईओसीएल	711.25	0.00	0.00	0.00	150.00	861.25
2	बीपीसीएल	744.25	346.00	0.00	500.00	328.25	1918.50
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
4	एचपीसीएल	124.75	0.00	0.00	600.00	2300.00	3024.75
5	बीसीपीएल	298.00	243.12	157.58	46.37	0.00	745.07
6	एमआरपीएल	0.00	0.00	0.00	268.00	271.00	539.00
7	गेल गैस लिमिटेड	24.23	87.35	35.57	36.66	0.00	183.81
8	सीपीसीएल	0.00	0.00	0.00	50.00	300.00	350.00
9	बीको लॉरी लिमिटेड	12.00	0.00	0.00	71.77	14.88	98.65
	कुल	**1914.48**	**676.47**	**193.15**	**1572.80**	**4214.13**	**8571.03**

4. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं। नीचे ग्राफ में वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

ऋण का संवितरित प्रतिशत

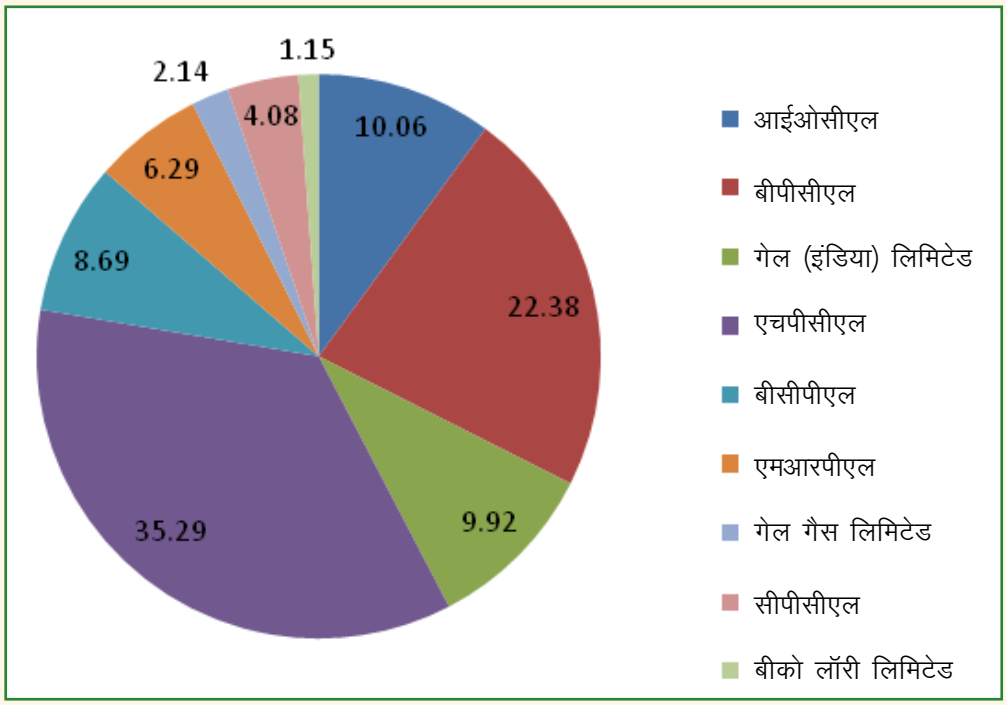

5. 31 मार्च 2020 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस कंपनियों के पास 7449.04 करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। जिसका संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

क्रम स.	तेल संस्थानों के नाम	राशि
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2931.19
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1187.31
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	1010.36
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	850.00
5	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	539.00
6	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	350.00
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	327.81
8	गेल गैस लिमिटेड	154.72
9	बीको लॉरी लिमिटेड	98.65
	कुल	**7449.04**

6. वर्ष 2019–20 के दौरान वितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(रुपए करोड़ में)

क्रम स.	तेल संस्थानों के नाम	राशि
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2300.00
2	गेल (इंडिया) लिमिटेड	850.00
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	328.25
4	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	300.00
5	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	271.00
6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	150.00
7	बीको लॉरी लिमिटेड	14.88
	कुल	**4214.13**

7.0 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित पोषित परियोजनाएं

7.1 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक महारत्न केन्द्रीय लोक उपक्रम (सीपीएसआई) है जो पेट्रोलियम ईंधन और विशिष्टताओं की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन करने वाली दो प्रमुख रिफाइनरियों के स्वामित्व के साथ इसका प्रचालन करती है। एक मुंबई (पश्चिम तट) में 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता और दूसरी विशाखापत्तनम (पूर्व तट) में 8.3 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ विद्यमान है। कंपनी, मुंबई रिफाइनरी में 428 टीएमटी की क्षमता वाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ ल्यूब बेस ऑयल्स का उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी ल्यूब रिफाइनरी का स्वामित्व भी रखती है और इसका प्रचालन करती है।

तेउवि. बोर्ड ने विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) और मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी) के लिए एचपीसीएल को 2200 करोड़ रूपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, तेल उद्योग विकास बोर्ड से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) और मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी) के लिए 2300 करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्राप्त की है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से रिफाइनरियों की क्षमता 15.8 से बढ़कर 24.5 एमएमटीपीए (विशाख रिफाइनरी: 8.3 से 15.0): मुंबई रिफाइनरी: 7.5 से 9.5) हो जाएगी। इस परियोजना के हिस्से के रूप में, दोनों रिफाइनरियां बीएसVI ईंधन की प्राप्ती के लिए एमएस उन्नयन/एचएसडी शोधन/उन्नयन सुविधाओं को भी बढ़ा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप, एमएस और एचएसडी की सल्फर मात्रा में 80 प्रतिशत 50 से 10 तक पीपीएमडब्ल्यू तक की कमी आई है जिससे बाजार में अल्ट्रा–लो सल्फर वाले स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति होती है। इसके अलावा, विशाख रिफाइनरी कम मूल्य वाले फ्यूल ऑयल स्ट्रीम और एक हाइड्रोक्रेकर यूनिट को अपग्रेड करने के लिए अवशेष उन्नयन सुविधा (रेसिडू अपग्रेडेशन फैसिलिटी) को लागू कर रही है।

परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) :

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) एक नई अवशेष उन्नयन सुविधा फैसिलिटी (आरयूएफ), एक नई हाइड्रोक्रेकर यूनिट (एचसीयू) और एक नई आइसोमेरेशन यूनिट और संबद्ध सुविधाओं वाली 9.0 एमएमटीपीए क्षमता की एक नई क्रूड यूनिट लगाने पर विचार कर रही है।

मौजूदा एमएस शोधन/उन्नयन और एचएसडी शोधन सुविधाओं के नवीनीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर आरंभ कर दिया गया है। इन यूनिटों ने वर्तमान रिफाइनरी क्षमता तक बीएसVI एमएस एवं एचएसडी उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

विशाख रिफाइनरी में अवशेष उन्नयन सुविधा स्थापित की जा रही है जो रिफाइनरी को जीरो फ्यूल ऑयल रिफाइनरी बनने में सक्षम करेगा और अधिशेष कम मूल्य वाले उच्च सल्फर ईंधन तेल घटकों को मूल्य वर्द्धक आसुत में अपग्रेड करेगा।

पूर्ण रूपांतरित हाइड्रोक्रैकर (एफसीएचसीयू), जो वीजीओ को हल्के और मध्य आसवन में परिवर्तित करता है, बीएसVI गुणवत्ता वाले डीजल और उपचारित गुणवत्ता के अन्य सभी उत्पादों का उत्पादन करने में भी सक्षम है।

वीआरएमपी विभिन्न पर्यावरणीय सुविधाएं जैसे खारे पानी की विच्छेदन यूनिट्स (एसडब्ल्यूएसयू), एमाइन रीजनरेशन यूनिट्स (एआरयू), सल्फर रिकवरी यूनिट्स (एसआरयू), फ्यूल गैस एमाइन ट्रीटमेंट यूनिट्स (एफजीएटीयू), एकीकृत अपशिष्ट उपचार संयंत्र (आईईटीपी) आदि का भी ध्यान रखता है। यह पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियां सुनिश्चित करती है कि रिफाइनरी नई ईकाइयों को जोड़ने के बाद भी 11.5 टीपीडी की अपनी वर्तमान सीमा से ज्यादा सल्फरडाई आक्साइड (So2) नहीं बढ़ाएं।

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी) :

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी) परियोजना द्वारा मौजूदा क्रूड इकाई के सुधार से इसकी क्षमता 4.0 से 6.0 एमएमटीपीए तक बढ़ानी है। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन इकाइयों का एकीकरण भी किया जा रहा है। परियोजना के हिस्से के रूप में, बीएसVI एमएस और एचएसडी के उत्पादन के लिए एमएस शोधन/उन्नयन और एचएसडी शोधन सुविधाओं का नवीनीकरण करना है।

बढ़ी हुई हाइड्रोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक नई हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट लगाई जा रही है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के बाद रिफाइनरी क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता, 7.5 से 9.5 एमएमटीपीए तक हो जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन सल्फर डाई आक्साइड के 12.6 टीपीडी के मौजूदा मानदंडों के अधीन उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

नई वीपीएस यूनिट–
कॉलम फ्राइड हीटर
पश्चिम यूनिट से दृश्य

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना

7.2 गेल (इंडिया) लिमिटेड :

गेल (इंडिया) लिमिटेड एक ''महारत्न'' कंपनी है और भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है, जिसका 12400 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क है । कंपनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसायों में विविधता लायी है और पॉवर, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पुनः–गैसीकरण, शहर गैस वितरण (सीजीडी) तथा अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) में अपनी उपस्थिति बढ़ायी है।

गेल ने सामान्यतः देश के आर्थिक विकास में और विशेष रूप से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास द्वारा पॉवर और उर्वरक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गेल द्वारा बिछायी गई गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में एक विकल्प प्रदान करने के अलावा गैस बाजार के विकास में इसके प्रयासों ने भी गैस भंडार के मुद्रीकरण और गैस के पूर्व की अपेक्षा फ्लेयरिंग में कमी लाने में सहायता की है।

तेउवि. बोर्ड ने बरौनी गुवाहटी पाइपलाइन सहित जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोना को वित्त पोषण करने के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) को 1000 करोड़ रूपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने उक्त परियोजना के वित्त पोषण के लिए ओआईडीबी से 850 करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्राप्त की है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए ओआईडीबी से 850 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्राप्त की है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

प्रधानमंत्री उर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना

जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल), जो ''प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना '' के रूप में विख्यात है और इसे बरौनी से गुवाहाटी (बीजीपीएल) (सिलिगुड़ी और बोंगांईगांव होकर) तक आगे बढ़ाया जा रहा है, इसे भारत सरकार की नेशनल गैस ग्रिड की संकल्पना के 15,000 किलोमीटर हिस्से के रूप में निष्पादित किया जा रहा है। यह परियोजना पूर्वी भारत अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में औद्योगिक /घरेलू/परिवहन क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी और इन राज्यों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को मौजूदा राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। गेल (इंडिया) लिमिटेड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में 15,520 करोड़ रुपये के निवेश से 2655 कि.मी. लंबी जेएचबीडीपीएल परियोजना और 729 कि.मी. लंबी बीजीपीएल परियोजना का निष्पादन कर रही है जिसमें भारत सरकार से 5176 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान शामिल है और यह परियोजना का दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

यह पाइपलाइन गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करेगी। इस पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमता 16 एमएमएससीएमडी है। वास्तविक प्रगति परिकल्पित अनुसूची के अनुरूप है। इस ट्रंक पाइपलाइन में निवेश विभिन्न निवेशकों द्वारा निकट भविष्य में सिटी गैस वितरण, एलएनजी टर्मिनल, उर्वरक

जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना

संयंत्र के पुनरुद्धार आदि में बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से व्यापक निवेश को गति प्रदान कर सकता है। पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण चरणों में प्रगतिशील है। इसमें से फूलपुर (यूपी) से डोभी (बिहार) से बरौनी (बिहार) तक 750 किलोमीटर का लंबा पाइपलाइन खंड का कार्य पूरा कर लिया गया है जिसमें वाराणसी, पटना और गोरखपुर तक स्पर लाइन भी शामिल है। शेष खंडों के लिए कार्य प्रगति पर है ।

7.3 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)

बीपीसीएल एक भारतीय उर्जा कंपनी है जो मुख्य रूप से डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम सेगमेंट में काम कर रही है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन, वितरण और विपणन शामिल है। अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीपीआरएल के माध्यम से, बीपीसीएल अपस्ट्रीम परिचालन भी करता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) शामिल है। बीपीसीएल के प्रमुख उत्पादों में पेट्रोलियम उत्पाद मोटर स्पिरिट (गैसोलीन), डीजल (गैस ऑयल), उन्नत मिटटी का तेल (एसकेओ), विमानन टरबाइन ईधन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), लुब्रिकेंट्रस, ईधन ऑयल, नाफ्था, बिटूमेन और सॉल्वैंट्स शामिल हैं। बीपीसीएल की वितरण अवसंरचना में संस्थापन,पाइपलाइन, डिपो, रिटेल आउटलेट, विमानन ईधन स्टेशन, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और ल्यूब सम्मिश्रण संयंत्र शामिल हैं।

बीपीसीएल 12 एमएमटीपीए और 15.5 एमएमटीपीए की शोधन क्षमता वाली पश्चिमी मुंबई और दक्षिणी कोच्चि में स्थित दो रिफाइनरियों का स्वय संचालन करती है। अपनी सहायक कंपनी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के माध्यम से , बीपीसीएल, पूर्वोत्तर भारत के नुमालीगढ़ में 3 एमएमटीपीए की शोधन क्षमता वाली एक रिफाइनरी का संचालन भी करती है। बीपीसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बीओआरएल), मध्य भारत के बीना क्षेत्र में एक रिफाइनरी का संचालन भी करती है। 7.8 एमएमपीटीए की क्षमता के साथ बीना रिफाइनरी जून 2011 में आरंभ हुई। बीपीसीएल का विश्वास है कि इन कार्यनीतिक स्थलों पर स्थित सुविधाओं से 38.30 एमएमपीटीए की कुल रिफाइनरी शोधन क्षमता के साथ वह भारत में बाजार की मांग को पूरा करने में सक्षम है।

ओआईडीबी ने कोच्चि रिफाइनरी में उसकी मोटर स्पिरिट ब्लॉक परियोजना के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को 828.25 करोड़ रूपये की ऋण सहायता स्वीकृत की थी जिसमें से 2018–19 के दौरान बीपीसीएल को 500 करोड़ रूपये की और वर्ष 2019–20 के दौरान 328.25 करोड़ रूपये की शेष ऋण सहायता प्रदान की गई। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी में मोटर स्पिरिट ब्लॉक परियोजना (एमएसबीपी)

भारत में, बीआईएस मानकों के अनुसार रिफाइनरियों में ऑटोमोटिव ईधन का उत्पादन किया जाता है। इन मानकों में पर्यावरण के साथ–साथ अन्य गुणवत्ता पहलुओं को पूरा करने के लिए समय–समय पर संशोधन किया जाता है। भारत में ईंधन के विनिर्देशों को दुनिया भर की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अद्यतन/अपग्रेड किया जाता है।

वर्ष 2016 में, भारत सरकार ने बीएसV उत्सर्जन मानदंडों को छोड़ने और बीएसVI से सीधे बीएसVIमानदंडों को अप्रैल 2020 तक लागू करने का निर्णय लिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल, 2020 तक मोटर ईंधन के लिए बीएसVI विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोच्चि रिफाइनरी ने मौजूदा प्रसंस्करण सुविधा से बीएस–VI अनुपालक ऑटो ईंधन उपलब्ध कराया है। परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- एमएस और डीजल में अधिकतमीकरण (वृद्धि)
- नाफ्था में न्यूनीकरण (कमी)

• सम्पूर्ण एमएस और एचएसडी के लिए बीएसVI विनिर्देशों का अनुपालन।

बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी उपरोक्त उद्देश्यों के लिए 3289 करोड़ रूपये की लागत से एमएसबीपी लागू कर रहा है एमएसबीपी में आने वाली प्रमुख इकाईयां, इस प्रकार हैं–

1. नेफ्था हाइड्रो ट्रीटमेंट इकाई – 1.5 एमएमटीपीए क्षमता
2. सतत उत्प्रेरक सुधारक (सीसीआर) – 0.8 एमएमटीपीए
3. नेफ्था आइसोमेरिजेशन इकाई – 0.7 एमएमटीपीए

कोच्चि रिफाइनरी में एमएसबीपी

एमएसबीपी के लिए मैसर्स यूओपी एलएलसी, यू.एस.ए लाइसेंसकर्ता है। परियोजना की कुल मिलाकर 92 प्रतिशत प्रगति प्राप्त हो गई है और 2020 में पूरा होने की संभावना है। परियोजना की इंजीनियरिंग और निविदा संबंधी गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं। उपकरण निर्माण पूरा हो गया है और अंतिम कुछ उपकरणों की सुपुर्दगी प्रगति पर है। परियोजना की साइट निर्माण गतिविधियाँ उच्च सुरक्षा मानकों सहित 12 मिलियन एलटीए मानव मुक्त घंटों के साथ अंतिम चरण में हैं। परियोजना को उत्पादन इकाईयों के लिए एलएसटीके मोड (एकमुश्त टर्नकी) और ऑफसाइट कार्यों के लिए पारंपरिक मोड में निष्पादित किया जा रहा है। परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैं। एलएसटीके के प्रमुख ठेकेदार मैसर्स पेट्रोफैक इंटरनेशनल यूएई लिमिटेड, मैसर्स टेकनिकस रूनिदास और मैसर्स जीआर इंजीनियरिंग हैं। कमीशनिंग से पूर्व ऑफसाइट पाइपिंग और कूलिंग टॉवर गतिविधियां प्रगति पर हैं। टैंकों के काम पूरे हो चुके हैं और फ्लेयर वाले काम पूरे होने वाले हैं।

7.4 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), जिसे पूर्व में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एमआरएल) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1965 में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की स्थापित क्षमता के साथ की गई थी। वर्तमान में, सीपीसीएल के पास 12.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की संयुक्त शोधन क्षमता वाली दो रिफाइनरियाँ हैं। मनाली रिफाइनरी की क्षमता 11.1 एमएमटीपीए है और यह भारत में ईंधन, ल्यूब, वैक्स और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक उत्पादन सुविधाओं वाली सबसे मिश्रित रिफाइनरी में से एक है। कंपनी ने हाल ही में रुपये 3110 करोड़ के पूंजी परिव्यय से आरईएसआईडी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो कि भारी अपरिष्कृत को संसाधित करने की क्षमता बढ़ाने के अलावा तलछट से उच्च मूल्य के मध्य आसवनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। सीपीसीएल की दूसरी रिफाइनरी कावेरी बेसिन (सीबीआर) में नागपट्टीनम में स्थित है। इस यूनिट को 1993 में 0.5 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ स्थापित किया गया था जिसे बाद में बढाकर 1.0 एमएमटीपीए, कर दिया गया। ओआईडीबी ने बीएसvI ऑटो ईधन परियोजना (450 करोड़) तथा पुनः गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस परियोजना (100 करोड़) के लिए चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को 550 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। जिसमें से ओआईडीबी ने सीपीसीएल को उक्त परियोजनाओं के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान 50 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2019–20 के दौरान, 300 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

7.4.1 बीएस–IV ऑटो ईंधन परियोजना

सीपीसीएल ईंधन की गुणवत्ता में अधिकतम 10 पीपीएम सल्फर के साथ आपूर्ति करने के लिए, जिसमें मौजूदा डीजल हाइड्रो–ट्रीटर का सुधार 1.8 एमएमपीटीए से 2.4 एमएमटीपीए, करने, नई एफसीसी गैसोलीन डिसल्फराइजेशन यूनिट, नई सल्फर रिकवरी यूनिट और एक नई डिमाउंटेबल फ्लेयर सिस्टम को स्थापित करने के लिए इस परियोजना को लागू कर रहा है। डीएचडीटी में सुधार प्रक्रिया 19 नवंबर को पूरी हो गई और अन्य इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इस ईंधन उन्नयन परियोजना की कुल लागत 1858 करोड़ रुपये है। मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के लिए पीएमसी, मैसर्स एक्सेंस एफसीसीजीडीएस इकाई के लिए लाइसेंसकर्ता, मैसर्स सीरटेक नीगी सल्फर रिकवरी यूनिट और मैसर्स ज़िको के लिए डी–माउंटेबल फ्लेयर के लिए लाइसेंसकर्ता हैं।

7.4.2 एफसीसी जीडीएस

मनाली रिफाइनरी, चेन्नई में 0.60 एमएमटीपीए का एक नया एफसीसी गैसोलीन डिसल्फराइजेशन यूनिट स्थापित किया जा रहा है। इस इकाई को एफसीसी यूनिट से लगभग 300 पीपीएम सल्फर की उच्च सल्फर गैसोलीन धारा से फीड आपूर्ति हो रही है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य फीड गैसोलीन को डिसल्फराइज कर 8 पीपीएम सल्फर से कम लाना है। मैसर्स एक्सेंस इस यूनिट की प्रक्रिया में लाइसेंसर है। इस परियोजना का निर्माण मैसर्स इंजीनियर इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेकेदार के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। वर्तमान में, इकाई यांत्रिकी रूप से पूरी हो चुकी है और पूर्व–कमीशनिंग गतिविधियां जारी हैं। इस एफसीसी जीडीएस इकाई के चालू होने के बाद, सीपीसीएल यह सुनिश्चित कर सकेगा कि मनाली रिफाइनरी परिसर से पूरे गैसोलीन का उत्पादन 8 पीपीएम से कम सल्फर वाली गैसोलीन के अनुरूप हो।

7.4.3 एफसीसी जीडीएस ऑफसाइट पाइपिंग

सीपीसीएल में लगभग 6 कि.मी. के नए ऑफसाइट पाइपिंग कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ईंधन की गुणवत्ता उन्नयन परियोजनाओं के लिए कुल पाइपिंग लंबाई, 4200 मीट्रिक टन संरचनात्मक स्टील का उपयोग करते हुए 8 लाख इंच मीटर की है। यह एफसीसी जीडीएस बैटरी लिमिट, सल्फर रिकवरी यूनिट बैटरी लिमिट, डीएचडीटी यूनिट, न्यू फ्लेयर सिस्टम और स्टोरेज यूनिट्स तक सभी यूनिटों में फैला है और उन्हें आपस में जोड़ता है।

7.4.4 डिमाउंटेबल फ्लेयर

मौजूदा तीन फ्लेयर्स के स्थान पर 968 टीपीएच क्षमता का एक नया डिमाउंटेबल फ्लेयर स्थापित किया जा रहा है। नए डिमाउंटेबल फ्लेयर हैडर की प्रचालन प्रक्रिया रिफाइनरी में फ्लेयर अवस्था के बढ़ते भार पर आधारित है। डिमाउंटेबल फ्लेयर के विन्यास में 20 एचपीएच की क्षमता के साथ न्यूनतम/सामान्य फ्लेयरिंग के लिए एक एचसी फ्लेयर स्टैक, 500 टीपीएच प्रत्येक की क्षमता के साथ तीन एचसी फ्लेयर स्टैक (दो ऑपरेटिंग और एक स्टैंडबाई) और दो एसिड गैस फ्लेयर्स स्टैक (एक ऑपरेटिंग) और एक स्टैंडबाई 56 टीपीएच प्रत्येक की क्षमता के साथ शामिल है। यह परियोजना मैसर्स जीको द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई हैं।

7.4.5 सल्फर रिकवरी यूनिट ब्लॉक (एसआरयू)

ईंधन के उन्नयन के दौरान उत्पन्न एसिड गैस के उपचार के लिए ईंधन अपग्रेडेशन के हिस्से के रूप में प्रति दिन 2×100 टन क्षमता का एक नया एसआरयू बनाया जा रहा है। एसआरयू के लिए प्रक्रिया लाइसेंसकर्ता मैसर्स सिरीटेक नीगी है। 300 एमटी/प्रति घंटा की क्षमता वाली एसोसिएटेड अमीन रीजनरेशन यूनिट और 30 एमटी/प्रति क्षमता वाली खारे पानी की स्ट्रिपर इकाई भी कार्यान्वित की जा रही है। 90 प्रतिशत उपकरण साइट पर आ गए है। यूनिट की पाइपिंग फैब्रिकेशन और इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। इस इकाई को अप्रैल 2021 तक यांत्रिकी रूप से पूरा होने की सम्भावना है।

वर्तमान स्थिति

क. एफसीसीजीडीएस इकाई :

- एफसीसीजीडीएस इकाई को 31.08.2020 को यांत्रिक रूप से पूरा कर लिया गया है।
- पूर्व–कमीशन की गतिविधियां जारी हैं।
- दिसंबर 2020 तक पूरा होना अपेक्षित है।

ख. डी–माउंटेबल फ्लेयर :

- 6 में से 4 रेज़र का इरेक्शन पूरा हो चुका है।

- फ्लेयर पाइपिंग और यूटिलिटी पाइपिंग प्रगति पर है।
- नवंबर 2020 तक पूरा होना लक्षित है।

ग. सल्फर रिकवरी यूनिट (एसआरयू) :

- भस्मक को छोड़कर सभी उपकरण साइट पर पहुंच गए है।
- 50 प्रतिशत उपकरण लग गए है। पाइपिंग फेबरिकेशन एवं इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
- एसआरयू–एसआरयू/एसडब्ल्यूएस इकाई के हिस्से का समापन मार्च 2021 तक लक्षित है।

रिगेसिफाइड लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस परियोजनाः–

सीईपीआई सूचकांक को कम करने के लिए, सीपीसीएल इसे आंतरिक ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस/रेगेसिफाइड लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) में बदल रहा है। इस परियोजना के भाग के रूप में, एक एचजीयू, संयंत्र में रिफाइनरी–III के फर्नेस मार्च 2019 में आरएलएनजी रूपांतरण, कर दिया था। 6 बॉयलरों में से 4 और 5 में से 4 टर्बाइन भी इस वर्ष के दौरान पूरे किए गए थे। वित्त वर्ष 2020–21 की अंतिम तिमाही में आगामी एमएंडआई शटडाउन के दौरान लंबित एचजीयू संयंत्र के संशोधन का कार्य निर्धारित है। मैसर्स टेकनिप इस इकाई का प्रक्रिया लाइसेंसर है और परियोजना की कुल लागत 421 करोड़ हैं।

वर्तमान स्थिति :

- गैस टर्बाइन (जीटी) – 5 में से 4 गैस टर्बाइनों का आरएलएनजी रूपांतरण पूरा हो चुका था। शेष 1 गैस टर्बाइन दिसम्बर 2020 तक पूरी हो जाएगी।
- बॉयलर–5 में से 4 बॉयलरों का आरएलएनजी रूपांतरण पूरा हो चुका है, शेष एक बॉयलर मार्च, 2021 तक पूरा होगा।
- एचजीयू–205–आरएलएनजी रूपांतरण के लिए सुधार मार्च 2021 में एमएंड आई शटडाउन के दौरान पूरा किया जाएगा।

7.5 मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)

मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) श्रेणी 'ए' की एक मिनीरत्न कंपनी है। रिफाइनरी की परिकल्पना में 24 से 46 एपीआई ग्रेविटी वाले हल्के से भारी तथा खट्टे से मीठे क्रूड संसाधित करने की क्षमता वाले मध्यम आसवन को बढ़ाना है। 3.69 एमएमटीपीए–क्षमता के साथ रिफाइनरी का पहला चरण 1996 में शुरू किया गया था। 1999 में, एमआरपीएल ने दूसरा चरण शुरू किया और शोधन क्षमता को 9.69 एमएमटीपीए तक बढ़ा दिया। एमआरपीएल की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 15 एमएमटीपीए है। एमआरपीएल की शुरूआत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा एवी बिड़ला ग्रुप के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में हुई थी। वर्ष 2003 में, ओएनजीसी ने एवी बिड़ला ग्रुप के शेयरों का अधिग्रहण कर लिया तथा तत्पश्चात इसकी शेयरहोल्डिंग बढ़कर 71.63 प्रतिशत हो गई। एचपीसीएल 16.95 प्रतिशत का शेयर धारक है तथा शेष सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (संस्थानों तथा गैर संस्थानों की) है। यह कंपनी वर्ष 2005 में सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में निगमित हुई थी तथा जुलाई 2013 में श्रेणी 'ए' की कंपनी के रूप में उन्नत हुई।

एमआरपीएल एकमात्र स्वचलित रिफाइनरी है जिसकी अधिष्ठापित रिफाइनिंग क्षमता (15 एमएमटीपीए) है जो देश की कुल शोधन क्षमता में 6 प्रतिशत का योगदान करती है। 10 के समीप नेल्सन जटिलता कारक के साथ रिफाइनरी विन्यास काफी जटिल है। एमआरपीएल ने दुनिया भर से 80 से अधिक विभिन्न प्रकार के क्रूडों को संसाधित किया है। रिफाइनरी को एक मजबूत अवसंरचना के साथ स्थापित किया गया है। समर्पित कच्चे पानी की ग्रहण सुविधा, तटीय टर्मिनल पर कैप्टिव जेट्टी, सिंगल पॉइंट मूरिंग सुविधा तथा पेटकोक निर्वातन के लिए रेलवे साइडिंग विश्वसनीय संचालन के लिए एक स्थिरक प्रदान करता है।

एमआरपीएल विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करता है। निम्नांकित सूची एमआरपीएल के प्रोडक्ट स्लेट को प्रस्तुत करती है।

✦ एलपीजी	✦ ईंधन तेल
✦ नाफ्था	✦ बिटुमेन
✦ एमएस	वीजी 10, वीजी 30, वीजी 40
✦ जाइलॉल	✦ सल्फर (99.9 प्रतिशत शुद्धता के साथ)
✦ एटीएफ/एसकेओ	✦ पेट–कोक
✦ एचएसडी	✦ पॉलीप्रापलिन

एमआरपीएल अपनी सहायक ओएमपीएल के द्वारा बैंजीन तथा पैराजाइलीन के अतिरिक्त पॉलीप्रापलिन तथा जाइलॉल जैसे पेट्रोकेमिकल्स की भी आपूर्ति करता है। कंपनी की वर्ष 2019–20 में निवल विक्री 51000 करोड़ रुपये तथा निवल सम्पत्ति 7800 करोड़ रुपये है।

बीएस–VI परियोजना

बीएस–VI परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सुविधाएं जैसे– नई एफसीसी गैसोलिन ट्रीटमेंट यूनिट (एफजीटीयू), सल्फर रिकवरी यूनिट, तथा अन्य सुविधाएं जैसे – नाइट्रोजन, यूटिलिटीज तथा ऑफसाइटस स्थापित की जा रही है। ये इकाईयां पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं।

एमआरपीएल के मामले में बीएस–VI में अंतरण के लिए कुल लागत आकलन 1810 करोड़ है। कुल परियोजना लागत में से 25 प्रतिशत (452 करोड़) तेल उद्योग विकास बोर्ड की ऋण सहायता के द्वारा पूरा किया जायेगा।

बीएस VI परियोजना एमआरपीएल

तेल उद्योग विकास बोर्ड वित्त वर्ष 2018–19 के लिए पहले ही 268 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 184 करोड़ रुपये प्रदान कर चुका है।

समुद्री जल विलवणीकरण संयत्र

नदी के जल को, जल के एकमात्र स्रोत के रूप में होने के जोखिम को कम करने के लिए वैकल्पिक जल स्रोत के लिए समुद्री जल विलवणीकरण संयत्र को अधिष्ठापित करने की योजना बनाई गई। इस संयंत्र की वर्तमान क्षमता 30 एमएलडी है जिसका विस्तार 70 एमएलडी तक किया जा सकता है जो कम्पनी की तात्कालिक तथा आगामी जल की आवश्यकता को पूरा करेगा।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 142.25 करोड़ स्वीकृत किया है जिसमें से 87 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2019–20 में प्रदान किया जा चुका है।

इन्टेक एण्ड डिस्चार्च लाइन

जीआईएस बिल्डिंग

रसायन बिल्डिंग

क्रास कन्ट्री पानी की पाइपलाइन

न्यूट्रेलाइजेशन पिट

इन्टेक सम्प

एसडब्ल्यूडीपी परियोजना एमआरपीएल

7.6 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल), भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक उद्यमों में से सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है, और देश के प्रमुख एकीकृत और विविध ऊर्जा तेल, गैस, पेट्रो–रसायन वैकल्पिक और ऊर्जा स्त्रोतों के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्यरत है।

फॉच्यूर्न की ग्लोबल 500 की सूची में इंडियन ऑयल को दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट्स के बीच सूचीबद्ध किया गया है, वर्ष 2020 के लिए प्रकाशित फॉच्यूर्न की ग्लोबल 500 की सूची के अनुसार, इंडियन ऑयल, विश्व की 151वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक निगम है तथा राजस्व के आधार पर सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। इंडियन ऑयल को ब्रांड फाइनेंस, यूके द्वारा 2019 में भारत के शीर्ष 10 सबसे मजबूत ब्रांडों में भी स्थान दिया गया है।

इंडियन ऑयल के पास भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की 23 रिफाइनरियों में से 11 के संचालन द्वारा 81.20 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संयुक्त शोधन क्षमता के साथ इंडियन ऑयल की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इंडियन ऑयल का देशभर में पाइपलाइन नेटवर्क क्रूड और उत्पादों की पाइपलाइन क्षमता (लंबाई के हिसाब से) का लगभग 51 प्रतिशत है।

ओआईडीबी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को आईओसीएल की बोंगाईगाँव (बीजीआर) में इंडमैक्स परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए 587 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। ओआईडीबी ने परियोजना को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को 587 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 150 करोड़ रुपये जारी किए हैं। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

इंडमेक्स (इण्डेन अधिकतम) इंडियन ऑयल की फ्लैगशिप तकनीक है, जिसे मैसर्स लूमस द्वारा दुनिया भर में लाइसेंस दिया गया है और पेट्रोकेमिकल्स और विभिन्न पेट्रोलियम फीडस्टॉक से उच्च ऑक्टेन गैसोलीन के साथ

इंडियन ऑयल में इंडमेक्स परियोजना

एकीकरण के लिए हल्के ओलोफिन/एलपीजी की उच्च उपज का उत्पादन करती है। बोंगाईगांव रिफाइनरी में इंडमेक्स परियोजना को निम्न मूल्य उत्पादों जैसे ब्लैक ऑयल्स (एलडीओ, एलवीएफओ) और क्रूड डिस्टिलेशन बॉटम से घटे क्रूड ऑयल (आरसीओ) द्वारा उच्च मूल्य वाले उत्पादों का उपयोग करने के लिए संकल्पित किया गया है। इंडमेक्स से उत्पन्न अन्तिम उत्पादों एलपीजी और एमएस का उत्पादन क्रमशः 200 और 320 टीएमटीपीए होगा, तथा काले तेल का उत्पादन शून्य होगा और आरपीसी उत्पादन में 70 टीएमटीपीए की कमी होगी। बोंगाईगांव में इंडमेक्स परियोजना हाइड्रोकार्बन विजन 2030 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए आरंभ किया गया है, इसका उद्देश्य 2030 तक तेल और गैस उत्पादन को दोगुना करना है, ताकि देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बन हब के रूप में पूर्वोत्तर भारत को सबसे आगे स्थापित किया जा सके।

31.03.2020 तक, परियोजना ने कुल मिलाकर 97.02 प्रतिशत की वास्तविक प्रगति की है और परियोजना लागत 2582 करोड़ रुपये में से 1896.24 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

7.7 बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल)

बीको लॉरी लिमिटेड, (बीएलएल) एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसका मुख्य व्यवसाय मध्यम वोल्टेज स्विचगियर का निर्माण और विपणन और इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। कंपनी इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीनरी की मरम्मत और ल्यूब के सम्मिश्रण और भराई गतिविधियां, टर्नकी परियोजनाओं और इंजीनियरिंग परामर्शदाता के काम भी करती है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विभिन्न कार्रवाईयों के बावजूद, कंपनी लंबे समय तक निरंतर रूप से पुनर्जीवित नहीं हो सकी। कंपनी की चिरस्थाई सिकनेस और मंत्रालय के सभी प्रयासों के बावजूद कोई भी स्थायी पुनरुद्धार नहीं हो सका।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 16.10.2018 ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को बंद करने के निर्णय को सूचित किया। सीसीईए अनुमोदन के अनुसार, ओआईडीबी को मौजूदा कर्मचारियों की वीआरएस लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों के सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों आदि को पूरा करने के लिए बीएलएल को 86.65 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना है। सीसीईए ने विविध लेनदारों और अन्य देनदारियों के भुगतान के लिए भारत सरकार ने भी 42.05 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, सीआईडीए के निर्णय के अनुसार ओआईडीबी ने रुपये 86.65 करोड़ के कुल ब्याज मुक्त ऋण में से बीएलएल को 71.77 करोड़ रुपये जारी किया और शेष ब्याज मुक्त ऋण 14.88 करोड़ रुपये वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किया गया।

अध्याय 03

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड अनुदान के रूप में तेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसे कि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है। साथ ही तेउविबो ने विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योयोगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की शिवसागर, असम और जायस, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं को अनुदान दिया है।

3. अपनी स्थापना के वर्ष 1975–76 से 31.3.2020 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 4203.39 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 328.90 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 322.55 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

4. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

(रूपए करोड़ में)

संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
डीजीएच	121.51	121.53	189.50	238.99	192.91	**864.44**
पीसीआरए	41.13	41.25	43.88	60.95	67.30	**254.51**
पीपीएसी	17.77	20.82	21.34	23.96	22.61	**106.50**
ओआईएसडी	15.05	16.06	16.39	25.98	21.65	**95.13**
सीएचटी	19.59	19.82	32.12	20.58	18.08	**110.19**
कुल	215.05	219.48	303.23	370.46	322.55	**1430.77**

5.1 हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना 1993 में सरकारी संकल्प के द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन की गई थी। डीजीएच की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और पेट्रोलियम कार्यकलापों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के बीच संतुलन कायम रखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सुदृढ़ प्रबंधन को बढ़ावा देना है। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के आगार (रिजर्वायर) निष्पादन की समीक्षा करने सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन भागीदारी संविदाओं, अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहन देने, अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यकलापों की निगरानी से संबंधित कुछ अतिरिक्ति जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच भावी खोज और अन्वेषण के लिए नए/गैर–अन्वेषित क्षेत्र खोजने संबंधी तथा गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों का विकास करने संबंधी कार्य कर रहा है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 192.91 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। वर्ष 2019–20 के दौरान डीजीएच द्वारा निष्पादित किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैः–

5.1.1 ओपन एकरिज लाइसेंस कार्यक्रम (ओ.ए.एल.पी.)

सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंस नीति (हेल्प) को 30 मार्च, 2016 को अधिसूचित किया तथा इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई, 2017 को लागू किया। हेल्प, उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससी) से राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) व्यवस्था का एक प्रतिमान है, जो कि भविष्य की अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) नियामक व्यवस्था का पूर्ण रूप से काया पलट कर, नियंत्रण बाधाओं को कम करके 'व्यापार करने में आसानी' के सिद्धांत को लागू करता है और साथ ही साथ पारंपरिक और गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए एकल लाइसेंस प्रदान कर मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, अपतटीय ब्लॉकों के लिए रॉयल्टी की दर कम करता है ।

ओपन एकरिज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (ओएएलपी) का मतलब है कि संभावित निवेशक/कंपनियां अपनी पसंद के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य कर वर्ष के दौरान अभिरूचि की अभिव्यक्ति/प्रकट (ईओआई) कर सकती हैं। ओएएलपी को नेशनल डेटा रिपॉजिटरी के माध्यम से पेश किया जा रहा है, जो संभावित बोली कर्ताओं को देश के संपूर्ण जीएंडजी डेटा के व्याख्या और विश्लेषण के लिए सहज पहुंच प्रदान करता है ।

ओएएलपी–I,II, III, एवं IV बोली दौर

ओपन एक्रेजेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (ओएएलपी) के तहत, 59,282 वर्ग किमी एकड़ क्षेत्र के 55 ब्लॉक्स अक्टूबर, 2018 में ओएएलपी बोली दौर –I में दिए गए। इसके अलावा, सरकार ने 07 जनवरी 2019 और 10 फरवरी 2019 को क्रमशः ओएएलपी बोली दौर –II और III लॉन्च किया था। जबकि बोली दौर –II में 14 ब्लॉक्स (लगभग 30,000 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए) की, तथा बोली दौर –III में 5 सीबीएम ब्लॉकों सहित 23 ब्लॉकों (लगभग 32,000 वर्ग किमी का कुल क्षेत्र को कवर करते हुए) की पेशकश अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आईसीबी) के तहत की। ओएएलपी बोली दौर II और III के तहत, कुल 32 ब्लॉकों, को 58,998 वर्ग किमी (ऑनलैंड– 31,551 वर्ग किमी; अपतटीय– 27,447 वर्ग किमी) का क्षेत्र कवर करते हुए दिये गये।

ओएएलपी–IV बोली दौर के तहत ब्लॉकों को और भविष्य के सभी बोली दौरों को अधिक सरलीकृत और व्यापार के अनुकूल नियामक ढांचे के तहत प्रदान किया जा रहा है। इस नीति–व्यवस्था के तहत, काम के कार्यक्रम पर जोर दिया गया है, कम अन्वेषण किए गए श्रेणी II और III बेसिनों के लिए राजस्व हिस्सेदारी की संविदा दर की कोई आवश्यकता नहीं है । श्रेणी–I में राजस्व हिस्सेदारी के लिए 50% की एक सीमा निर्धारित की गई है। एक आसान वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र लागू किया जा रहा है और आवेदन की ऑनलाइन अनुमति के लिए एक ''एकल खिड़की'' प्रणाली भी रखी जा रही है। ओएएलपी बोली दौर IV के तहत, सात (7) अन्वेषण ब्लॉकों जिनका क्षेत्रफल 18,510 वर्ग किमी है, दिसंबर, 2019 (2 जनवरी 2020 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए) में प्रदान किये गए है । 31.03.2020 तक ओएएलपी बोली दौर के तहत प्रदान किए गए ब्लॉक का सारांश निम्नलिखित है:

दौर	प्रस्तुत	प्रदान	संचालन	क्षेत्र वर्ग किमी में
ओएएलपी बोली दौर –I	55	55	55	59,282
ओएएलपी बोली दौर –II	14	14	14	29,233
ओएएलपी बोली दौर –III	23	18	18	29,765
ओएएलपी बोली दौर –IV	7	7	7	18,510
कुल ओएएलपी	99	94	94	1,36,790

5.1.2 नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का कार्यान्वयन (एनईएलपी)

अब तक, एनईएलपी के नौ चरण (राउंड) संपन्न हो चुके हैं तथा अन्वेषण और उत्पादन के लिए 254 ब्लॉक सौंपे गए हैं। ये तटीय (114), उथले जल (59) और गहरे जल (81) ब्लॉक हैं । 254 ब्लॉकों में से वर्तमान में 44 ब्लॉक परिचालन कर रहे हैं, 2 अन्वेषण ब्लॉकों में पीईएल (पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस) की प्रतीक्षा है और 159 ब्लॉकों को छोड़ दिया गया है तथा अन्य 49 ब्लॉकों को छोड़ देने का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, एनईएलपी के तहत एक गैस की खोज को अधिसूचित किया गया है । एनईएलपी के तहत अधिसूचित खोजों की स्थिति का पूर्वावलोकन निम्नानुसार है

खोजों की स्थिति	तेल	गैस	कुल
मुद्रीकृत खोजें	32	11	43
विकास के तहत खोजें	12	21	33
व्यावसायिकता स्थापित (दस्तावेज समीक्षित)	0	18	18
वाणिज्यिकता प्रस्ताव (दस्तावेज) प्रस्तुत किये गए	1	4	5
प्रारंभिक चरण में खोज, दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने है	4	10	14
ऑपरेटर द्वारा खोज नहीं की गई/छोड़ दिए गए/छोड़ने के लिए प्रस्तावित	17	42	59
कुल	**66**	**106**	**172**

5.1.3. उत्पादन भागीदारी संविदाओं की निगरानी:

भारत सरकार ने 28 खोजे गए क्षेत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, एनईएलपी–पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लॉकों तथा एनईएलपी व्यवस्था के अंतर्गत 254 ब्लॉकों की संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं । डीजीएच प्रत्येक ब्लॉक/क्षेत्र के लिए स्थापित प्रबंधन समितियों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से इन उत्पादन भागीदारी संविदाओं के प्रबंधन के निष्पादन की निगरानी करता है। इसमें वार्षिक कार्यक्रम, परियोजना निगरानी, भंडार और उत्पादन प्रोफाइल की बारीकी से समीक्षा और विकास योजना, बजट और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और अनुमोदन भी शामिल है ।

पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रों/ब्लॉकों ने वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नानुसार उत्पादन किया

नीति	तेल+संघनन (एमएमटी)	गैस–बीसीएम
प्री–एनईएलपी के खोजे गए क्षेत्र	0.98	1.42
एनईएलपी	0.18	0.64
प्री–एनईएलपी के अन्वेषण ब्लॉक्स	7.27	2.05
सीबीएम	0.00	0.66
कुल	8.44	4.77

5.1.4. भौमिकीय डेटा अधिग्रहण

क. भारतीय अवसादी बेसिनों में हाइड्रोकार्बन के लिए भौमिकीय डेटा जेनरेट करने की नीति:

भूकंपीय सर्वेक्षण एक महंगी प्रक्रिया है– विशेषतः अपतटीय क्षेत्रों में। गैर–अपवर्जक (नॉन एक्सक्लूसिव) बहु–ग्राहकीय भौमिकीय सर्वेक्षण, एक विशिष्ट व्यवसाय योजना है जिसमें सरकार पर बिना किसी वित्तीय भार के क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। बहु–ग्राहकीय भौमिकीय डेटा अधिग्रहण नीति के अंतर्गत पश्चिमी तटीय – कच्छ, सौराष्ट्र और मुंबई बेसिनों में 310.5 लाइन किलोमीटर सी.एस.ई.एम. का डेटा प्राप्त और प्रोसेस किया गया है।

ख. राष्ट्रीय भूकम्पीय कार्यक्रम (भूमि (ऑनलैंड) पर भारतीय अवसादी बेसिनों के "मूल्यांकित किए जाने वाले क्षेत्रों" में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण:)

सरकार ने अक्टूबर, 2016 में भारत के सभी तलछटी बेसिनों में अप्रकाशित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी) तैयार किया, जहां कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं था । कार्यक्रम के तहत, सरकार ने डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या (एपीआई) हेतु 48,243 लाइन किलो मीटर (एलकेएम) के लिए 2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 2,932.99 करोड़ है और इसके 2020–21 तक पूरा होने की उम्मीद है। 31.03.2020 तक राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत 48,243 लाइन किलोमीटर में से 44774.68 लाइन किलोमीटर (92.81%) के 31.03.2020 सतह कवरेज पर 2डी भूकंपीय डेटा अधिग्रहण हासिल किया गया है।

5.1.5. क्षेत्र विकास, आगार और उत्पादन संबंधी निगरानी

उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससी) की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी की गई और आगार (रिजर्वायर) निष्पादन निगरानी के संदर्भ में अन्वेषण ब्लॉकों में कार्यकलापों, खोज की समीक्षा, संभावित वाणिज्यिक हित, वाणिज्यत्व की घोषणा और क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) आदि संबंधित कार्यकलाप भी किए गए। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, पीएससी और आरएससी व्यवस्था के अंतर्गत 4 डीओसी तथा 21 एफडीपी / आरएफडीपी को अनुमोदित किया गया ।

5.1.6. राष्ट्रीय डेटा भंडार (एनडीआर) :

राष्ट्रीय डेटा भंडार परियोजना का संचालन चरण 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें कूपों का डेटा दर्ज और साझा करने का कार्य शुरु किया गया। दिनांक 31.03.2018 तक, कुल 2.402 मिलियन या 24.02 लाख लाइन किलोमीटर 2डी भूकंपीय डेटा और 0.812 मिलियन या 8.12 लाख एसकेएम 3डी भूकंपीय डेटा तथा 18136 कूपों के डेटा और लॉग डेटा एनडीआर में दर्ज किया गया है।

5.1.7. राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी):

भारत में, गैस हाइड्रेट अनुसंधान व खोज सम्बन्धी गतिविधियों को राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समन्वय किया जाता है।

वर्ष 2006 में किए गए राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम अभियान–1 के अंतर्गत कृष्णा–गोदावरी, केरल–कोंकण, महानदी और अंडमान अपतटीय में गैस हाइड्रेटस जोन की मैपिंग के लिए अन्वेषण कार्यक्रम किया गया। 21 स्थलों पर 39 छेदों का वेधन कर मिट्टी के वर्चस्व वाले भूगर्भीय कृष्णा गोदावरी, महानदी और अंडमान बेसिन में गैस हाइड्रेटस की प्रत्यक्ष मौजूदगी दर्ज की गई।

वर्ष 2015 में एनजीएचपी अभियान–2 में कृष्णा गोदावरी और महानदी के रेतीले क्षेत्र में 25 स्थानों पर 42 कुओं का गैस हाइड्रेट्स के लिए वेधन किया गया। एनजीएचपी –02 ने अपतटीय कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस–हाइड्रेट– धारित रेत आगार प्रणाली की खोज की है। महानदी का गहरा जल बेसिन गैस हाइड्रेट्स से रहित हो गया है । कृष्णा गोदावरी बेसिन में दो अलग–अलग संचयों में गैस हाइड्रेट की पहचान की गई है ।

एनजीएचपी अभियान–2 के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं और आगे के व्यापक अध्ययनों के लिए गैस हाइड्रेट संसाधन की क्षमता, आगारों के लक्षण, वर्णन आगारों के परिसीमन और भू–यांत्रिक मॉडलिंग जिससे सीफ्लोर और वेलबोर स्थिरता और परीक्षण के लिए पायलट उत्पादन के लिए साइटों की पहचान होगी, के आकलन करने की योजना बनाई गई है। एनजीएचपी अभियान–3 के तहत केजी के गहरे अपतटीय क्षेत्र 'बी और सी' गैस हाइड्रेट संचयन गैस हाइड्रेट उत्पादन परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थल हो सकते हैं ।

5.1.8. कोल बेड मीथेन (सीबीएम):

वर्ष 2019–20 के दौरान, 6 सीबीएम ब्लॉकों से सीबीएम का उत्पादन 1.7 एमएमएससीएमडी था, जिसमें 2 सीबीएम ब्लॉकों अर्थात झरिया और सोहागपुर पूर्व से आकस्मिक उत्पादन और 4 सीबीएम ब्लॉकों जैसे बोकारो, रानीगंज दक्षिण, रानीगंज पूर्व और सोहागपुर पश्चिम से व्यावसायिक उत्पादन शामिल था। देश में सीबीएम उत्पादन में तेजी लाने के लिए, सीबीएम की प्रारंभिक विमुद्रीकरण के लिए दिनांक 11.04.2017 को एक सीबीएम

नीति अधिसूचित की गई है । ये नीति सीबीएम ठेकेदारों को विपणन और मूल्य स्वतंत्रता प्रदान करती है ताकि देश में सीबीएम उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके । नीति का मूल उद्देश्य ''व्यापार करने में आसानी'' और ''अधिकतम अभिशासन और न्यूनतम नियन्त्रण'' को बढ़ावा देना है, ताकि बहुत कड़े अनुबंध प्रावधानों में छूट देकर सीबीएम अन्वेषण और उत्पादन में आगे निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान हो ।

5.1.9. खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंडः

नामांकित और पीएसबी व्यवस्था की अ–विमुद्रीकृत/त्याग की गई खोजों के मुद्रीकरण के लिए लघु क्षेत्र नीति लागू की गई। लघु क्षेत्र बोली नीति हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेसिंग नीति (एचईएलपी) से जुड़ी है, जो राजस्व साझाकरण मॉडल को अपनाती है जो भारतीय ई एंड पी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के सुधार की दिशा में एक कदम है। यह आकर्षक राजकोषीय शर्तों जैसे कम रॉयल्टी दरों और बिना सेस, सभी हाइड्रोकार्बन के लिए एकल लाइसेंस, मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, अनुबंध की अवधि में अन्वेषण, बिना किसी ऐतिहासिक लागत और सामान्य सुविधाओं के बंटवारे के प्रावधान के साथ निर्गत की गई है।

नीति को 14 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया। इन नीति का खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (डीसीएफ) के नाम से पुनः नामित किया गया। सरकार ने डीसीएफ नीति को भविष्य के डीसीएफ राउंड के लिए दिनांक 5.4.2018 को राजपत्र में अधिसूचित किया। खोजे गए लघु क्षेत्र नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पहल की गईः–

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड–I (2016)

- लघु क्षेत्र बोली दौर –I को 25 मई 2016 को चालू किया गया था ।
- 43 खोजों से युक्त तीस (30) संविदा क्षेत्रों (23 तटीय और 7 उथले अपतटीय) अनुबन्धित किए गए तथा 27 मार्च 2017 को राजस्व भागीदारी संविदाओं (आरएससी) पर हस्ताक्षर किए गए।

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड–II (2018)

- लघु क्षेत्र बोली दौर –II को 9 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था ।
- 57 खोजों से युक्त 23 संविदा क्षेत्र (14 तटीय और 9 उथले अपतटीय) को सम्मानित किया गया और 07 मार्च 2019 को राजस्व साझाकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

खोजे गए लघु क्षेत्र नीति के तहत अनुबंधित क्षेत्र

बोली दौर	लांच वर्ष	संविदा क्षेत्रों/फील्ड्स की संख्या		क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
		प्रस्तावित	प्रदान	
डीएसएफ–I	2016	46 (67 फील्ड्स)	30 (43 फील्ड्स)	776.8
डीएसएफ–II	2018	25 (59 फील्ड्स)	23 (57 फील्ड्स)	2999.7
कुल		**71 (126 फील्ड्स)**	**53 (100 फील्ड्स)**	**3776.4**

5.1.10. राष्ट्रीय कोर रेपॉजिटरी (एनसीआर) की स्थापना :

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.08.2017 के आदेश के तहत निम्नलिखित के लिए सैद्धांतिक रूप से सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रदान किया हैः–

क. गांधीनगर, गुजरात में एनसीआर स्थापित करना

ख. राष्ट्रीय तेल कंपनियों की मुख्य कोर प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संपदा घोषित करना

ग. एनसीआर के पूर्णतः प्रचालन तक, ऐसी सभी प्रयोगशालाओं का डीजीएच के अधीन कार्य करना

घ. डीजीएच द्वारा इन प्रयोगशालाओं के प्रबंधन और पहुँच संबंधी प्रचालन दिशा–निर्देश जारी करना

ङ. डीजीएच द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की नियुक्ति करना

एनसीआर वैश्विक स्तर का अपनी तरह का एक केंद्र होगा जिसमें एक ही छत के नीचे हस्तगत/बारीकी से सारगर्भित अवलोकन, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, इच्छुक कंपनियों/संस्थानों द्वारा स्वतंत्र अध्ययन के लिए कोर के चयन की एकीकृत सुविधा उपलब्ध होगी।

5.1.11. अनिवार्यता प्रमाण पत्र

वर्ष 2019–20 के दौरान डीजीएच ने 45,141 करोड़ रूपए सीआईएफ मूल्य के कुल 18115 अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किए।

5.1.12. तेल और गैस के लिए संवर्धित पुर्नप्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन देने के लिए नीति फ्रेमवर्क

सरकार ने संवर्धित पुर्नप्राप्ति (ईआर)/उन्नत पुर्नप्राप्ति (आईआर)/गैर–परंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन विधियों/तकनीकों को राजकोषीय प्रोत्साहन और मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार करने और समग्र रूप से बढ़ाने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। हाइड्रोकार्बन की वसूली नीति अपनी ईआर क्षमता, उपयुक्त ईआर तकनीकों का मूल्यांकन और राजकोषीय प्रोत्साहन और सभी पात्र क्षेत्रों के अनिवार्य स्क्रीनिंग के माध्यम से हर क्षेत्र के प्रणालीगत मूल्यांकन के लिए प्रदान करती है, जो कि वाणिज्यिक स्तर पर ईआर परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन से पहले लागत को जोखिम में न डालने के लिए इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, पायलट ईआर परियोजनाओं का संचालन करती है।

नीति द्वारा नई, नवीन और अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने और मौजूदा क्षेत्रों की पूर्ण वसूली को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है। उपरोक्त नीति की वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति (31 मार्च 2020 तक) नीचे दी गई है:

स्थिति	क्षेत्र	संचयी (संख्या में)
योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों की संख्या	ओएनजीसी नामांकित	147
	ओआईएल नामांकित	18
	पीएससी/आरएससी	50
	कुल	215
स्क्रीनिंग के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	ओएनजीसी नामांकित	9
	ओआईएल नामांकित	3
	पीएससी/आरएससी	9
	कुल	21

सहमति व्यक्त प्रस्तावों की संख्या	ओएनजीसी नामांकित	5
	ओआईएल नामांकित	0
	पीएससी/आरएससी	1
	कुल	6
पायलट अध्ययन के तहत फील्ड्स की संख्या	ओएनजीसी नामांकित	1
	ओआईएल नामांकित	0
	पीएससी/आरएससी	0
	कुल	1
वाणिज्यिक आवेदन के तहत क्षेत्रों की संख्या	ओएनजीसी नामांकित	0
	ओआईएल नामांकित	0
	पीएससी/आरएससी	0
	कुल	0

5.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में स्थापित पंजीकृत सोसायटी है। पीसीआरए विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगी हुई है। तेल की आवश्यकता पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से यह पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों के प्रस्ताव में सरकार की मदद करता है। पीसीआरए ईंधन–कुशल सामग्री/उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रायोजित करता है। यह विभिन्न क्षेत्र की गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण के संदेश का प्रसार करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बड़े पैमाने पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और माय गोव जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करता है। पीसीआरए के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नियमित रूप से ईंधन बचत की युक्तियाँ और पीसीआरए की संरक्षण गतिविधियों पर अपडेट पोस्ट किए जाते हैं। जनता की दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पीसीआरए द्वारा विभिन्न भाषाओं में कई फिल्मों, टीवी स्पॉट और रेडियो जिंगल्स का उपयोग तेल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

2019–20 के दौरान, प्रशासनिक व्यय सहित अपनी गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए ओआईडीबी द्वारा पीसीआरए को 67.30 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की एक झलक नीचे दी गई है :

5.2.1 चार्टर्ड गतिविधियां :

पीसीआरए ने ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न चार्टर्ड गतिविधियों को अंजाम दिया। क्षेत्रीय फील्ड गतिविधियों के माध्यम से, पीसीआरए के इंजीनियर और इसके सूचीबद्ध विशेषज्ञ विभिन्न गतिविधियों जैसे ऊर्जा ऑडिट, ईंधन तेल डायग्नोस्टिक अध्ययन और वॉक थ्रू ऑडिट, तकनीकी सेमिनार, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम, चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवहन कार्यशाला, आदर्श डिपो परियोजना, वैन प्रचार, किसान मेले, कृषि महाविद्यालयों के छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, एलपीजी बचत कार्यशाला, युवा कार्यक्रम, बच्चों की रूचि के अनुसार प्रतियोगिताएं जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद–विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां आदि गतिविधियों का संचालन करके लक्षित समूहों तक पहुँचते हैं। ये गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश की

सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा में बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं जैसे – उद्योग, परिवहन, घरेलू, कृषि और वाणिज्यिक इत्यादि। इन गतिविधियों का उपयोग ईंधन संरक्षण पर इन कार्यक्रमों की पहुँच को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 21405 फील्ड गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में 12.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इस अवधि के दौरान प्रशिक्षित कुल 170336 चालकों को किया गया हैं। इस अवधि के दौरान, 0.1475 एमटीओई (मिलियन टन तेल समतुल्य) की बचत को इसकी क्षेत्रीय गतिविधियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है। पीसीआरए आईएसओ 50001:2011 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (एनएमएस) प्राप्त करने में उद्योगों की सहायता करता है जो अनिवार्य रूप से ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक आईएसओ प्रक्रिया है।

5.2.2 स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं–2019 :

बच्चे भारत के भविष्य और बदलाव के अग्रदूत हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उन्हें वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से ईंधन संरक्षण के बारे में भी प्रेरित किया गया। निबंध प्रतियोगिता 23 भारतीय भाषाओं में देश भर में कक्षा 7–10 के स्कूली छात्रों के लिए आयोजित की गई। पेंटिंग प्रतियोगिता 2 श्रेणियों– जूनियर (कक्षा 5–7) और सीनियर (कक्षा 8–10) में आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं का चयन करने के लिए इस वर्ष 14 शहरों में निबंध फाइनल आयोजित किए गए थे। चित्रकला प्रतियोगिता के लिए, शीर्ष 100 जूनियर और सीनियर स्तर के छात्रों को नई दिल्ली में एक ऑन ग्राउंड पेंटिंग के अंतिम दौर के लिए आमंत्रित किया गया था।

स्कूलों में ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रत्येक स्कूल से दो सदस्यीय टीम का चयन किया गया। जिला और राज्य स्तर की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चयनित 36 राज्य स्तरीय/संघ क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ टीमों ने दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में दूरदर्शन स्टूडियो में आयोजित क्विज जोनल्स में भाग लिया। दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियो में क्विज का राष्ट्रीय फाइनल आयोजित किया गया था। जिन्हें जोनल और फाइनल

के एक घंटे के 5 एपिसोड बनाए गए और दूरदर्शन नेशनल पर प्रसारित किया गया था। छात्रों को कुल 2709 पुरस्कार वितरित किए गए (लैपटॉप, टैबलेट, नकद और जापान यात्रा)।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता –2018 के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को इस वर्ष 5 – दिवसीय अध्ययन दौरे पर सिंगापुर ले जाया गया। विजेताओं को उनके अध्ययन दौरे के लिए सिंगापुर विज्ञान केन्द्र, नवजल संयंत्र, नेक्सस अंतरराष्ट्रीय स्कूल सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों पर घुमाया गया।

5.2.3 संरक्षण क्षमता महोत्सव (सक्षम) – 2020 :

ईंधन संरक्षण प्रयासों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए, पीएसयू तेल एवं गैस कंपनियों के साथ मिलकर पीसीआरए हर साल 16 जनवरी को शुरू होने वाला एक राष्ट्रव्यापी जन–केंद्रित जन ईंधन संरक्षण जागरूकता अभियान "सक्षम " का आयोजन करता है। इस वर्ष के आयोजन की टैगलाइन थी – ''ईंधन अधिक न खपाएँ , आओ पर्यावरण बचायें''। इस एक महीने के अभियान के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा ईंधन के संरक्षण की आवश्यकता के प्रचार के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को विविध गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया गया था। 'सक्षम 2020' का उद्घाटन समारोह 16 जनवरी 2020 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, छात्र, शिक्षक, सार्वजनिक तेल उपक्रमों के अध्यक्ष/सीएमडी, मीडिया कर्मी इत्यादि उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. एम. कुट्टी ने राज्य स्तरीय समन्वयकों, राज्य सरकारों और राज्य परिवहन उपक्रमों के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। एक प्रचार वैन को भी मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रभावशाली उद्घाटन कार्यक्रम एक साथ राज्यों की राजधानियों में आयोजित किए गए थे।

सक्षम – 2020 के एक महीने के अभियान के दौरान, औद्योगिक, परिवहन, घरेलू और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जागरूकता गतिविधियों को अंजाम दिया गया। विदाई समारोह 15 फरवरी 2020 को पीएसयू ऑफिस/स्थल/यूनिटों में मनाया गया। उनमें से कुछ गतिविधियां हैं :–

नाम	कुल कार्य/प्रतिभागी
सक्षम साइकिल दिवस –19.01.2020	191 शहर/1.38 लाख*
सक्षम वॉकथोन–02.02.2020	561 जिले/1.43 लाख*
(क) ग्रुप टॉक (ख) टैलंट शो/ईंधन बचत के कार्यक्रम (ग) स्कूल कालेज में ईंधन संरक्षण पर भित्तिचित्र, दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता	(क) 8059+/5.5 लाख* (ख) 373+ (ग) 108+/5000*
इंजीनियरिंग कॉलेजों में कार्यशाला/ईंधन संरक्षण पर औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी बैठक/कार्यशालाएँ	
आरडब्ल्यूए/हाउसिंग सोसायटीज/ कॉलोनियों में गृहिणियों/रसोइयों के लिए ग्रुप टॉक	4800+/3.67 लाख*
सार्वजनिक स्थानों में विभिन्न क्लब के सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा साइकिल रैली/सामूहिक रैली/मानव श्रृंखला/ऑनलाइन प्रतिज्ञा/प्रश्नोत्तरी / निबंध प्रतियोगिता	
कारों और ट्रक ड्राइवरों के लिए ईंधन कुशल ड्राइविंग प्रतियोगिता	74+
मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस/मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों के संदेश का प्रकाशन, राज्यपालों/मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों द्वारा टीवी और रेडियो पर संबोधन, टीवी/रेडियो में टॉक शो, समाचार पत्र एजेंसियों के लिए लेख लेखन प्रतियोगिता, व्यापक सोशल मीडिया अभियान, टीवी, रेडियो और सिनेमा हॉल पर जिंगल/स्पॉट	

एलपीजी पंचायतें और एलपीजी वितरण कर्मियों को एलपीजी बचत के सुझावों पर प्रशिक्षण देना	
गांवों में गृहिणियों के लिए एलपीजी पंचायत	2900^{+} / 2 लाख*
ड्राइवरों के लिए पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर ग्रुप टॉक	7900^{+} / 2.27 लाख*
किसानों के लिए कृषि कार्यशालाएं	248^{+} / 7000*
राज्य परिवहन संघ / फ्लीट संचालकों के लिए कार्यशालाएं / समूह वार्ता (संगठित / असंगठित क्षेत्र)	517^{+} / 20000*
अध्यक्ष / सीएमडी / निदेशकों / यूनिट प्रमुख के संरक्षण संदेश का प्रकाशन / प्रदर्शन, समाचार पत्रों / पत्रिकाओं में ईंधन संरक्षण लेखों का प्रकाशन, पीएसयू के अध्यक्ष / सीएमडी द्वारा रेडियो / टीवी में टॉक शो, होर्डिंग्स / डिजिटल डिस्प्ले पर संदेश	
आवासीय सोसाइटीयों में महिलाओं के लिए ईंधन कुशल पाक कला प्रतियोगिता	1800^{+} / 11500*
औद्योगिक उपकरण और वाहन की उत्सर्जन जांच	

$^{+}$गतिविधियां *प्रतिभागियों की संख्या

5.2.4. सक्षम–2020 के दौरान व्यापक मीडिया अभियान:

देश भर में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, प्राइवेट एफएम और टीवी चैनलों और डिजिटल सिनेमा पर मीडिया अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया और लोगों को सक्षम–2020 के दौरान ईंधन संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया गया। सक्षम–2020 के प्री–बज और पोस्ट–बज अभियान के दौरान, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की अपील को देश भर के 262 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल पर चलाया गया।

मेगा अभियान के अलावा, जनता को जोड़ने के लिए कई गतिविधियाँ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर की गईं। उनमें से कुछ हैं कारपूल फोटो प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, कई कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण जैसे – सक्षम दिवस, सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता, एग्रोवर्ल्ड 2019, पीसीआरए वैन फ्लैग ऑफ, स्वच्छता पखवाड़ा, पीएनजी स्टोव लॉन्च, इंडिया हैबीटेट सेंटर में ऊर्जा और संसाधन संरक्षण पर तकनीकी सम्मेलन इत्यादि। इनके अलावा, 22 ट्विटर ट्रेडिंग गतिविधियों को किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लाइक्स आए। 30 सोशल मीडिया अभियान विशेष दिनों पर जैसे योग दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि पर किए गए थे।

5.2.5. ऑनलाइन चालक प्रशिक्षण (ओडीटी) आवेदन :

पीसीआरए ने एक ऑनलाइन चालक प्रशिक्षण ऐप विकसित किया है, जिसमें अच्छी चालन आदतों, रखरखाव युक्तियों और दृश्य सामग्री पर छोटी–छोटी बातों का ध्यान दिलाया गया है। यह चालकों में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाएगा जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी होगी। यह ऐप पीसीआरए का सोशल मीडिया पेज और उसकी वेबसाइट के लिंक भी प्रदान करता है।

5.2.6. कृषि विश्व मेला 2019 में भागीदारी :

पीसीआरए ने दुनिया के सबसे बड़े एग्रो प्रतिस्पर्धा में से एक, 'एग्रोवर्ल्ड' 2019 में भाग लिया, जिसका आयोजन भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद द्वारा एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा कैंपस नई दिल्ली में 06 नवंबर से 08 नवंबर, 2019 तक किया गया। संवर्धित वास्तविकता, क्विज, नुक्कड़ नाटक शो, प्रति घंटा लकी ड्रॉ, सेल्फी पॉइंट सहित कई गतिविधियाँ पीसीआरए स्टाल के मुख्य आकर्षण थे।

5.2.7. मोबाइल टॉवरों में अभियान :

पीसीआरए मोबाइल टावर्स के लिए स्थापित डीजी सेटों को प्राकृतिक गैस सेवा में परिवर्तित करने के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य कर रहा है। पीसीआरए द्वारा एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की मौजूदा चुनौती को पूरा करने के लिए यह पहल की गई है। तीन साइटों (गाजियाबाद में दो और नोएडा में एक) में आईजीएल द्वारा कार्य सम्पन्न हो गया है और अन्य 19 स्थान पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस में रूपांतरण के लिए 3000 से अधिक मोबाइल टॉवर स्थानों की पहचान की गई है।

5.2.8. पैट योजना के तहत गतिविधियाँ :

पीसीआर पैट (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार) अभियान में अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा तथा निगरानी और सत्यापन लेखा परीक्षा आयोजित करके अपनी ऊर्जा पदचिह्न को कम करने में ऊर्जा गहन उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 20 पैट लेखा परीक्षा (ताप विद्युत संयंत्र –14, रेलवे –2, लोहा एवं इस्पात –1, रिफाइनरी –1, पेट्रोकेमिकल –2) पूरे हो चुके हैं, जबकि ऑडिट 3 इकाइयों (ताप विद्युत संयंत्र –2, लोहा एवं इस्पात –1) में चल रहा है।

5.2.9. चालू और पूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं :

वर्तमान में, 1 चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजना है और 3 परियोजनाएं वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी हो गई हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	संगठन/संस्था	स्थिति
1	एलपीजी घरेलू खाना पकाने के स्टोव की थर्मल दक्षता में सुधार।	बीपीसीएल कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास सेंटर, ग्रेटर नोएडा।	पूरा हो चुका है

2	जैव–मेथनॉल और मूल्य वर्धित रसायनों का लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास के रूपांतरण के लिए एकीकृत प्रक्रिया।	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली।	पूरा हो चुका है
3	डिजाइन, डेवलपमेंट और परीक्षण :– डाउन–ड्राफ्ट बायोमास गैसीफायर सिस्टम, जो वायु – भाप गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन संवर्धन द्वारा पूरक है।	ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) विश्वविद्यालय, नई दिल्ली'' जिसे अब ''टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली'' के रूप में जाना जाता है।	पूरा हो चुका है
4	मेट्रो स्टेशनों के आसपास ट्रैफिक प्रसार योजनाओं के लिए कार्यप्रणाली का विकास और माइक्रोस्कोपिक सिमुलेशन का उपयोग करके उनके प्रभाव की गणना।	सीएसआईआर–सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआई), नई दिल्ली।	कार्य प्रगति पर है

5.2.10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

पीसीआरए ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए 10.12.2019 को 5 साल के लिए ईसीसीजे (ऊर्जा संरक्षण सेल, जापान) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.2.11. ईंधन दक्षता सुधार कार्यक्रम (एफईआईपी)

ईंधन दक्षता सुधार कार्यक्रम पीसीआरए द्वारा एसटीयू बस डिपो की ईंधन दक्षता में सुधार करने के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है जिसमें कम कार्य निष्पादन करने वाले बसों के रखरखाव के साथ कम कार्य निष्पादन करने वाले चालकों को प्रशिक्षित किया जाता है और उनके प्रदर्शन की निगरानी की जाती है। डिपो के विस्तृत मासिक डेटा विश्लेषण के आधार पर, कम कार्य निष्पादन करने वाले चालकों और बसों का चयन किया जाता है। चयनित चालकों को निर्धारित प्रशिक्षण मापांक के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उन्हें दो साप्ताहिक अनुवर्ती प्रशिक्षण मापांक के अधीन अलग किया जाता है। चयनित बसों को श्रेणी –I रखरखाव प्रोटोकॉल के अधीन किया जाता है और इसके बाद 15 दिनों में बसों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। उनके केएमपीएल में 3 प्रतिशत से कम सुधार के मामले में, उन्हें आगे श्रेणी–II रखरखाव प्रोटोकॉल के अधीन किया जाता है और उनके प्रदर्शन की समीक्षा 15 दिनों के बाद की जाती है। प्रत्येक डिपो के लिए, उपरोक्त अभ्यासों को बसों के विभिन्न समूहों और चालकों के लिए तीन दौर में दोहराया जाता है, जिनमें लगभग 30 प्रतिशत कम कार्य निष्पादन करने वाले चालक और 30 प्रतिशत कम प्रदर्शन करने वाली बसें शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम से न केवल ईंधन संरक्षण होगा बल्कि वाहनों की खराबी भी कम होगी, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और अंततः वाहन प्रदूषण में कमी आएगी।

5.2.12. विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ''लक्षित चालकों के प्रशिक्षण और बसों के रखरखाव के माध्यम से ईंधन दक्षता'' :

वित्तीय रूप से सतत परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करने में ईंधन दक्षता के महत्व के बारे में बताने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने भारत के 61 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) के 50 प्रतिशत शहरों के बस ऑपरेटरों को शिक्षित करने के लिए विश्व बैंक के समर्थन से ''लक्षित चालकों के माध्यम से ईंधन दक्षता के प्रशिक्षण और बसों के रखरखाव'' पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। पीसीआरए को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कुल तीन क्षेत्रों में से दो क्षेत्रों के लिए 1.25 करोड़ रुपये का कार्य आदेश मिला है।

5.2.13. नई नीति पहल :

ईंधन दक्षता और संरक्षण उपाय के संबंध में कई नीतिगत पहलों को बढ़ाया/शुरू किया गया है। उनमें से कुछ नीचे उल्लिखित हैं।

क. भारी वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानदंड : भारत में परिवहन क्षेत्र डीजल का प्रमुख उपभोक्ता है और 70 प्रतिशत से अधिक डीजल की कुल बिक्री इसी का हिस्सा है। भारी वाहनों (ट्रकों और बसों) का परिवहन क्षेत्र में अधिकतम डीजल खपत का हिस्सा है। निर्माताओं/आयातकों के लिए ईंधन आर्थिक मानदंड को पूरा करने से इस क्षेत्र में खपत होने वाले डीजल को बचाने में मदद मिलेगी। पीसीआरए और बीईई को संयुक्त रूप से अन्य हितधारकों के परामर्श से एचडीवी के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंड विकसित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस पहल की प्रगति की निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया था। संचालन समिति ने निर्णय लिया था कि बीईई द्वारा 17.08.2017 को अधिसूचित चरण –1 के मानदंडों को बीएस–VI के लिए सुधार कारक लागू करने के बाद जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इसके अलावा, चरण –2 मानदंड मार्च–2020 तक उपलब्ध बीएस –VI वाहनों के आंकड़ों के आधार पर संशोधित किए जाएंगे। बीईई ने बीएस–VI के वाहनों के लिए सुधार कारक फैक्टर खोजने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सलाह दी। तदनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा एक तकनीकी समिति बनाई गई है जो भारी वाहनों के लिए बीएस–VI उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप आवश्यक सुधार कारक विकसित करें।

ख. हल्के और माध्यम व्यावसायिक वाहनों के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था के मानदंड : हल्के और माध्यम वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी और एमसीवी) एचएसडी की खपत में परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाहनों के इस खंड के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था के मानदंड की कार्य योजना और विकास की निगरानी को प्रतिपादित करने का निर्णय लिया गया है। बीईई ने हल्के और माध्यम वाणिज्यिक वाहनों के मानदंडों को अधिसूचित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के तहत मानदंडों को अधिसूचित करने और प्रशासनिक प्रक्रिया जारी करनी है।

ग. टायर्स का मानक और लेबलिंग : टायर को, एक घटक के रूप में, सड़क वाहनों के ईंधन दक्षता में सुधार के लिए एक बड़ी क्षमता के रूप में पहचान की गई है, क्योंकि भारत के कुल टायर बाजार का 73 प्रतिशत हिस्सा प्रतिस्थापन बाजार खंड है। परिवहन क्षेत्र के उपयोगकर्ता इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि अकुशल टायरों के कारण ईंधन की खपत का 20 प्रतिशत के लगभग ईंधन का अपव्यय होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, पीसीआरए ने भारत में टायरों के लिए ईंधन दक्षता मानकों और लेबलिंग कार्यक्रम स्थापित करने के लिए बीईई से कार्य शुरू करने का अनुरोध किया था। इसके बाद कार्यकारी निदेशक, पीसीआरए की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन, मोटर वाहनों के टायरों की बैंडविड्थ और लेबलिंग कार्यक्रम की प्रक्रिया के विकास के लिए किया गया था। बीईई अनुसूची की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में है। लेबलिंग का स्वैच्छिक चरण 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने की संभावना है।

घ. कृषि ट्रैक्टर को स्टार और लेबलिंग : कच्चे तेल के आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता और इस तथ्य के आलोक में कि ट्रैक्टरों द्वारा एचएसडी की खपत लगभग 7.7 प्रतिशत है, सरकार द्वारा डीजल के आर्थिक उपयोग के मानदंडों को परिभाषित करने और भारत में ट्रैक्टरों के लिए समय–समय पर प्रगति की निगरानी करना अनिवार्य माना गया है। बीईई अनुसूची की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में है। लेबलिंग का स्वैच्छिक चरण पहली अप्रैल 2020 से शुरू होने की संभावना है।

ङ. उच्च तापीय क्षमता पीएनजी बर्नर का विकास : अब तक पीएनजी के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टोव के लिए कोई बीआईएस मानक नहीं था और पीएनजी उपयोग के लिए किसी भी स्टोव का निर्माण नहीं किया गया था। मौजूदा एलपीजी स्टोव को पीएनजी में उपयोग के लिए संशोधित किया जा रहा था, जो उष्णता संबंधी दक्षता को कम करता है। पीसीआरए ने, आईआईपी–देहरादून के सहयोग से हार्डवेयर विकास के माध्यम से एक उच्च तापीय क्षमता वाले पीएनजी स्टोव विकसित किया है। बीआईएस मानक (आईएस 17153: 2019) 11.06.2019 को गैजेट में भी प्रकाशित किया गया है। स्टोव के क्षेत्रीय परीक्षणों में लगभग 30 प्रतिशत पीएनजी की बचत

दिखाई देती है। वर्तमान में पीएनजी स्टोव, ऑन लाइन स्टोर के माध्यम जैसे– फ्लिपकार्ट/स्नैपडील/अमेजन पर उपलब्ध है। भारत के प्रमुख शहरों में पीएनजी स्टोव स्थानीय दुकानों में उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

च. एलपीजी स्टोव के लिए अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन : पीसीआरए की पहल पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी विभाग ने आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिनांक 03.12.2019 को जारी किया है जो बीआईएस मानक (आईएस 4246: 2002) को भारत में निर्मित, आयात या बेचे जाने वाले सभी घरेलू एलपीजी स्टोव पर लागू करता है। यह आदेश 01.06.2020 से प्रभावी होगा। इस प्रयास से 0.5 एमएमटी एलपीजी की बचत होने की संभावना है जिसका दो साल में मूल्य 1600 करोड़ रुपये तक अनुमानित है।

ईंधन दक्षता और संरक्षण की ये गतिविधियां, कच्चे तेल के आयात में वर्ष 2021–22 तक 10 प्रतिशत की कमी लाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के प्रति सकारात्मक योगदान दे रही हैं।

5.3. पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वय समिति को भंग कर दिया गया था और दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रुप में सरकार के निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया:

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की व्यवस्था

(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण

(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन

(ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हो।

महानिदेशक की अध्यक्षता में वित्त, आपूर्ति, मांग, सूचना प्रोद्योगिकी, विपणन, गैस, और मानव संसाधन एवं समन्वय प्रभागों के अधीन पीपीएसी में 43 अधिकारियों एवं स्टाफ की संख्या स्वीकृत है। केन्द्रीय कर्मचारी योजना के तहत संयुक्त सचिव स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात महानिदेशक को छोड़कर, सभी अधिकारी एवं स्टाफ तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं।

ओआईडीबी ने वर्ष 2019–20 के दौरान, पीपीएसी को अनुदान के रूप में 22.61 करोड़ रुपये प्रदान किये। वर्ष के दौरान पीपीएसी ने निम्नलिखित गतिविधियां की :

5.3.1. तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के सब्सिडी दावों का निपटान

1 जनवरी 2015 से प्रभावी, पहल (डीबीटीएल) योजना–2014 पूरे देश में क्रियान्वित की गई। इस योजना के तहत घरेलू एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ही पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाती है। पहल योजना के तहत वर्ष 2019–20 में रुपये 22,635 करोड़ के दावे प्राप्त हुए और उनकी समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) 1 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को अब 4 साल (2019–20 तक) की अवधि में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल करने के लिए बढ़ाई गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार गरीब घरेलू महिला लाभार्थियों को सुरक्षा जमा मुक्त कनेक्शन जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए क्रमशः 1600 रुपये और 1150 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2019–20 के लिए, पीपीएसी ने 1,250 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये और 1,165 करोड़ तक के दावों (तेल विपणन कंपनियों से लंबित प्रमाणपत्र) की समीक्षा की।

1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी, पीडीएस केरोसिन योजना 2016 (डीबीटीके) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, झारखंड राज्य के 4 जिलों में लागू किया गया था। यह योजना 1 अप्रैल, 2017 से 6 अन्य जिलों में लागू कर दी गई थी और 1 जुलाई, 2017 से पूर्ण झारखंड राज्य डीबीटीके के तहत कवर कर दिया गया। वर्ष 2019–20 के लिए, पीपीएसी ने 36 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये तथा उनकी समीक्षा की।

5.3.2. नार्थ ईस्ट गैस सब्सिडी दावों का निपटान

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चयनित उद्योग/ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की बिक्री में सब्सिडी व्यवस्था हेतु "प्राकृतिक गैस सब्सिडी योजना" तैयार की गई है। इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियां नामित गैस क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस बेचती हैं और भारत सरकार से सब्सिडी राशि का दावा करती हैं। वर्ष 2019–20 के लिए, पीपीएसी ने 574 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये तथा उन दावों की समीक्षा की।

5.3.3. तेल विपणन कंपनियों के अंडर रिकवरी दावों का निपटान

अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार पीडीएस केरोसिन की खुदरा बिक्री कीमतों में लगातार संशोधन करती रहती है जिससे उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उत्पाद मिलता रहता है इससे तेल विपणन कंपनियों को अपनी बिक्री पर वसूली कम हो रही हैं। वर्ष 2019–20 के लिए, पीपीएसी ने पीडीएस केरोसिन की बिक्री पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए वसूली कम के 1,833 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त किये तथा उनकी समीक्षा की।

5.3.4. घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2014 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य के आवधिक संशोधन को सूचित करने के लिए महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल 2019 से सितंबर, 2019 और अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य, पीपीएसी द्वारा अधिसूचित किया गया था।

5.3.5. गैस मूल्य की अधिकतम सीमा की अधिसूचना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना के द्वारा, गहरे–पानी, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को उक्त अधिसूचना के तहत गैस मूल्य की अधिकतम सीमा के आवधिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 और अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए गैस की कीमत की अधिकतम सीमा पीपीएसी द्वारा अधिसूचित की गई थी।

5.3.6. कच्चे तेल के आयात के पीपीएसी और डीजीसीएलएंडएस के आंकड़ों का मिलान

पीपीएसी ने डीजीसीएलएंडएस, कोलकाता, सीमा शुल्क (आइस गेट) दिल्ली, और आईओसीएल, दिल्ली के साथ विभिन्न बैठकें की थी, और आयात आंकड़ों के संग्रहण/परितुलन के लिए इन एजेंसियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का विश्लेषण किया और कच्चे तेल के आयात आंकड़ों में भिन्नता के कारणों की पहचान की। जो मुख्य रूप से (आगमन बनाम लदान विवरण, विदेशी विनिमय दरों की गणना की तारीखों में अंतर आदि) विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में अंतर के कारण था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दिसम्बर 2019 में विस्तृत जानकारी सौंपी गयी थी।

5.3.7. पीपीएसी एसएएस कार्यान्वयन परियोजना

पीपीएसी एसएएस कार्यान्वयन परियोजना 5 मार्च 2020 से प्रभावी हो चुकी है। गो–लाइव परियोजना 6 मॉड्यूलों–मांग, आपूर्ति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वित्त एवं मार्केटिंग और गैस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। एसएएस परियोजना को विभागों की कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विकसित और प्रसारित किया गया है। समाधान में फ्रंट–एंड फाइल अपलोड और बैक–एंड एसएएस विजुअलाइजेशन रिपोर्ट दोनों का कार्यान्वयन शामिल है। फ्रंट–एंड मॉड्यूल, ओएमसी को पूर्व–निर्धारित प्रारूपों में डेटा अपलोड करने में सक्षम बनाता है। उद्धरण–ट्रांसफॉर्म–लोड (ईटीएल) प्रक्रिया का उपयोग कर डेटा को एक स्थानीय डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है। अंत में, एसएएस विजुअलाइजेशन उपयोगकर्ताओं को डेटा रिपोर्ट, समाप्त डेटा को ग्राफ और चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, एसएएस ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डेटाबेस के एकीकरण द्वारा डीबीटीएल योजना भी लागू की है। वर्तमान में, एसएएस में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डेटाबेस के एकीकरण द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रगति पर है।

5.3.8. ऊर्जा मांग प्रक्षेपण मॉडल (ईडीपीएम)

ऊर्जा मांग प्रक्षेपण मॉडल (ईडीपीएम) पीपीएसी द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अतिरक्ति सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के एक भाग के रूप में विकसित किया गया था। यह मूल रूप से नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों द्वारा भारत के ऊर्जा परिदृश्य को समझने के लिए 2015 को आधार वर्ष लेते हुए विकसित किया गया था। मॉडल की मान्यताओं और आधारभूत डेटा को फरवरी 2020 में उद्योग विशेषज्ञों की सहायता से अपडेट किया गया, जो 2018 के विकास को दर्शाता है।

5.3.9. स्वच्छता पखवाड़ा में विशेष उपलब्धि पुरस्कार

पीपीएसी ने कार्यालय व उसके आस–पास स्वच्छता का संदेश देने एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा सौंपी गई तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सभी संस्थानों द्वारा की गई गतिविधियों में भाग लेते हुए आम जनता में स्वच्छता से संबंधित अभियान के लिए व्यापक प्रयास किए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में स्वच्छता पखवाड़ा, में स्वच्छता के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें पीपीएसी को एक विशेष उपलब्धि ''अत्यधिक सराहनीय'' और ''उत्कृष्ट योगदान'' के लिए पुरस्कृत किया गया ।

5.4. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है, जिसे पेट्रोलियम उद्योग में मानक बनाने तथा सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाया जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिमों को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानकों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियाँ अर्थात अन्वेषण व उत्पादन, शोधन, गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, पर्यावरण आदि निहित हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा

स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। ओआईएसडी का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तेल उद्योग के सदस्यों के समन्वय से तेल व गैस प्रतिष्ठानों में सुरक्षा बढ़ाना है।

वर्ष 2019–20 के दौरान ओआईडीबी द्वारा ओआईएसडी को 21.65 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई। ओआईएसडी के अनुसार, वर्ष के दौरान ओआईएसडी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईः–

5.4.1. ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिट : वित्त वर्ष 19–20

ओआईएसडी, तेल व गैस प्रतिष्ठानों की ओआईएसडी मानकों के अनुसार जांच करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है। वर्ष 2019–20 के लिए ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट प्रदर्शन नीचे निर्दिष्ट हैः

गतिविधियां	मद	योजना	वास्तविक
सुरक्षा ऑडिट			
रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र	संख्या	17	16*
विपणन प्रतिष्ठान	संख्या	70	100
अन्वेषण एवं उत्पादन तटीय एवं अपतटीय प्रतिष्ठान	संख्या	66	73
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें	कि०मी०	8000	9000
*कोविड–19 महामारी के कारण कुछ ऑडिट को स्थगित करना पड़ा।			

5.4.2. प्री कमीशनिंग सेफ्टी ऑडिट (पीसीएसए)

ग्रीन फील्ड प्रतिष्ठानों की सुरक्षित व उत्पादक पूंजीकरण सुनिश्चित करने और इसके द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए, ओआईएसडी तेल व गैस उद्योग में प्री कमीशनिंग सेफ्टी ऑडिट करता है। ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट तथा मौजूदा प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त फैसिलिटीज के निर्माण अवस्था में ही ओआईएसडी मानकों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना इन ऑडिट का मुख्य उदेश्य है।

2019–20 के दौरान उपयोक्ता उद्योग सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 65 ऑडिट किए गए। इस संदर्भ में 1027 कि.मी. पाइपलाइन का भी ऑडिट किया गया।

गतिविधियां	मद	वास्तविक
पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए) 2019–20		
रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र	संख्या	35
विपणन प्रतिष्ठान	संख्या	30
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें	कि.मी.	1027

5.4.3. इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) के साथ तेल रिसाव प्रतिक्रिया उपकरण/सुविधा का संयुक्त निरीक्षण (जीआई)

तेल रिसाव की श्रेणी–1 उपकरणों/सुविधाओं का ओआईएसडी और इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। इस संदर्भ में वर्ष 2019–20 के दौरान दो अपतटीय प्लेटफार्म/ एकल बिंदु मूरिंग संस्थापनाओं का निरीक्षण किया गया।

5.4.4. अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए "प्रचालन की सहमति"

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालनों क्रियाओं में सुरक्षा), नियम, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए ओआईएसडी, सक्षम प्राधिकरण के तौर पर, ड्रिलिंग रिंगों, अपतटीय प्रतिष्ठानों, एसपीएम में "प्रचालन की सहमति" प्रदान करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान 16 रिंग, 12 प्लेटफार्म तथा 3 एसपीएम प्रतिष्ठानों को "प्रचालन की सहमति" प्रदान की गई है।

5.4.5. तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं

तकनीकी विकास पर चर्चा करने, घटनाओं के अनुभव साझा करने आदि के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा तेल उद्योग के लिए तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान ओआईएसडी ने निम्नलिखित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित कीः

1. आईओसीएल के एलपीजी बोटलिंग प्लांट, मैसूर में 'एलपीजी बोटलिंग प्लांट की ऑडिट' पर ऑडिटर्स के लिए 25 और 26 अप्रैल 2019 को दो–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई ।
2. एचपीसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, भोपाल में 'एलपीजी बोटलिंग प्लांट की ऑडिट' पर ऑडिटर्स के लिए 27 और 28 जनवरी, 2020 को दो–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
3. ओआईएसडी और ओएनजीसी द्वारा संयुक्त रूप से, इपशम, ओएनजीसी गोवा में 'अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस ऑपरेशन में फायर एंड सेफ्टी' पर 14 और 15 फरवरी, 2020 को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
4. आईओसीएल के पीओएल इरम्पानम टर्मिनल में 'ऑडिटर्स कौशल वृद्धि' पर ऑडिटर्स के लिए 26 और 27 फरवरी, 2020 को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
5. बीपीसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, सिकरपुर, पुणे में 'एलपीजी बोटलिंग प्लांट की ऑडिट' पर ऑडिटर्स के लिए 6 और 7 मार्च, 2020 को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

5.4.6. 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों' के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा निष्पादन को प्रोत्साहन

तेल एवं गैस उद्योग के सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित कार्यप्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें जुड़े खतरों, वर्ष के दौरान दर्ज की गई घटनाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को संज्ञान में लिया जाता है। वर्ष के दौरान 'श्रेष्ठ सुरक्षा निष्पादन' हासिल करने वाले संगठनों को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा, सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों के प्रोत्साहन हेतु उन्हें भी सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2018–19 के लिए 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार' समारोह, अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।

5.4.7. सुरक्षा परिषद

भारत में तेल एवं गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। सुरक्षा परिषद की बैठक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होती है।

सुरक्षा परिषद के सदस्यों में सार्वजनिक और निजी/संयुक्त उद्यम क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वैधानिक निकाय जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (पीईएसओ), महानिदेशक खान सुरक्षा, सचिव केंद्रीय बिजली अथॉरिटी, महानिदेशक फैक्ट्री सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, सलाहकार (अग्नि) सम्मिलित हैं। कार्यकारी निदेशक–ओआईएसडी सुरक्षा परिषद के समन्वयक है। सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है और विगत 6 अगस्त, 2019 को सुरक्षा परिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई।

36वीं बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई वे इस प्रकार हैं:

वर्ष 2018–19 की प्रमुख गतिविधियां और वर्ष 2019–20 के लिए गतिविधि योजना।

- ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट की लंबे समय से लंबित सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति
- आठ मौजूदा ओआईएसडी मानकों में संशोधन की स्वीकृति।

5.4.8. सुरक्षा मानकों का विकास

ओआईएसडी सभी हितधारकों की सहभागिता के साथ तेल व गैस क्षेत्र के लिए मानक/दिशा निर्देश/अनुशंसित प्रथाएं विकसित करता है । नए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता का पता लगाने, प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ–साथ मौजूद वर्तमान अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों का पुनरीक्षण करने के लिए ओआईएसडी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

अब तक, ओआईएसडी ने 121 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। जिनमें से 21 मानकों को पेट्रोलियम

नियमावली, 2002 गैस सिलेंडर नियमावली 2016, स्टेटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अन फायर्ड) नियम, 2016 और ऑयल माइन्स विनियम 2017 के सांविधिक प्रावधानों में भी शामिल किया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, ओआईएसडी ने 8 मौजूदा सुरक्षा मानकों को संशोधित किया है इन मानकों को 6 अगस्त, 2019 को आयोजित 36वीं सुरक्षा परिषद की बैठक में मंजूरी के बाद तेल और गैस उद्योग द्वारा कार्यान्वयन के लिए जारी किया गया।

इनके अलावा, वर्तमान में एक नये मानक और 8 मौजूदा ओआईएसडी मानकों के संशोधन की प्रक्रिया नियमन में हैं।

5.4.9. घटना जांच व विश्लेषण

ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग में होने वाली प्रमुख घटनाओं (गंभीरता/क्षति के आधार पर) की जांच करता है। इन घटनाओं का विश्लेषण पुनरावृत्ति से बचने के लिए उद्योग के साथ साझा किया जाता है। तेल और गैस उद्योग की घटनाओं का ओआईएसडी द्वारा एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों, सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें फिर सुरक्षा अलर्ट, केस स्टडी, परामर्शी नोट्स, कार्यशालाओं /सेमिनारों और ओआईएसडी समाचार पत्र आदि के माध्यम से उद्योग को प्रसारित किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान ओआईएसडी ने 10 प्रमुख घटनाओं की जांच की।

5.4.10. अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

1. संचालन समिति की बैठक

54वीं संचालन समिति की बैठक 6 मई, 2019 को ओआईएसडी, नोएडा में तेल एवं गैस उद्योग (मुख्य पैनलिस्ट) के प्रतिनिधियों के साथ हुई। बैठक के दौरान चर्चा की गई कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:

- आठ संशोधित ओआईएसडी मानकों का अंगीकरण
- दो साल से अधिक समय से लंबित ईएसए /एसएसए सिफारिशों की कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।
- पिछले तीन वर्षों की घटना का विश्लेषण।

2. ओआईएसडी में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

ओआईएसडी ने 5 जून 2019 को ''वायु प्रदूषण को हराओ'' विषय पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जो हम सभी को यह विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने प्राकृतिक स्थानों, हमारे वन्यजीवों तथा अपने स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं।

3. पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

ओआईएसडी कर्मचारियों ने 21 जून, 2019 को पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया।

5.4.11. ओआईएसडी के आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणपत्र का पुनः वैधीकरण

ओआईएसडी वर्ष 2013 में सभी ओआईडीबी अनुदान संगठनों के बीच पहला आईएसओ 9001: 2008 के प्रमाणित संगठन बना। मैसर्स डीएनवी ने आवधिक ऑडिट द्वारा 2 दिसम्बर 2019 को आईएसओ प्रमाणीकरण का पुनः वैधीकरण किया।

5.5 उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी)

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) 1987 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और यह सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रूप में कार्य करता है। सीएचटी के प्रमुख कार्यों में प्रौद्योगिकी आवश्यकता, का निर्धारण, परिचालन प्रदर्शन, रिफाइनरियों के प्रचालनात्मक निष्पादन मूल्यांकन और सुधार शामिल है। सीएचटी केंद्रीकृत तकनीकी सहायता, ज्ञान प्रसार, निष्पादन आंकड़ा बेस, सूचना का आदान–प्रदान और अनुभव साझा करने के लिए तेल उद्योग के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। सीएचटी डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के वित्त–पोषण का समन्वय करता है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ''हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति'' के कार्यकलापों में सहयोग भी देता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, सीएचटी द्वारा ओआईडीबी से अनुदान के रूप में 18.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष 2019–20 के दौरान सीएचटी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैः–

5.5.1. पीएसयू रिफाइनरियों और पाइपलाइनों का प्रदर्शन मानदण्ड

(क) पीएसयू रिफाइनरियों का प्रदर्शन मानदण्ड

पीएसयू रिफाइनरियों का प्रदर्शन मानदण्ड 2018 चक्र सीएचटी द्वारा 2012 से नियमित रूप से मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), यूएसए के माध्यम से किया जाता है। 2018 चक्र के लिए 16 पीएसयू रिफाइनरी और 4 तेल रिफाइनरियों के लिए अध्ययन पूरा किया गया था और अक्टूबर 2019 के मध्य में अंतिम बेंचमार्किंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स द्वारा 19/20 नवंबर 2019 को ''डेटा का उपयोग कैसे करें'' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों में सभी भाग लेने वाले पीएसयू रिफाइनरियों से एक बहु–विषयक टीम शामिल थी। कार्यशाला में, सोलोमन एसोसिएट्स ने बेंचमार्किंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न केपीआई पर विचार–विमर्श किया और इसके महत्व और गणना कार्यप्रणाली के बारे में बताया। मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स ने 18 नवंबर 2019 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में पीएसयू रिफाइनरियों के प्रदर्शन पर एक निर्णायक समेकित प्रस्तुति दी।

(ख) पीएसयू पाइपलाइनों का प्रदर्शन बेंचमार्किंगः

2018 चक्र के लिए पाइपलाइन (तरल, गैस, एलपीजी और एसपीएम) के लिए प्रदर्शन बेंचमार्किंग अध्ययन पहली बार शुरू किया गया था और जनवरी, 2019 में मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), यूएसए के माध्यम से पूरा किया गया। सोलोमन एसोसिएट्स द्वारा डेटा समन्वयक/संगोष्ठी 22/23 फरवरी, 2019 को सीएचटी में पाइपलाइन (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल, गेल) के प्रतिभागियों के साथ आयोजित की गई थी। अध्ययन के परिणाम अक्टूबर, 2019 में साझा किए गए थे। अध्ययन के परिणामों की कार्यकारी प्रस्तुति मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स द्वारा 21.10.2019 को की गई थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिल्ली और मुंबई में दो कार्यशालाएं 22.10.2019 और 25.10.2019 को आयोजित की गईं। भाग लेने वाली सभी कंपनियों के साथ अध्ययन के परिणाम साझा किए गए हैं। 10 फरवरी 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अध्ययन परिणामों की प्रस्तुति हुई। सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी निदेशक/निदेशकों के साथ और कार्यकारी निदेशक सीएचटी और मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स के प्रतिनिधि के प्रमुख सहभागी थे।

5.5.2. ऊर्जा दक्षता में सुधार

रिफाइनरियों को पीएटी (परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड) में शामिल किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक रिफाइनरियों को विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है। सीएचटी सक्रिय रूप से रिफाइनरियों की आधारभूत लेखा परीक्षा, लक्ष्य निर्धारण तथा गणना प्रारुपों के विकास के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरों से जुड़ा है और प्रगति की निगरानी करता रहा है। सीएचटी ने प्रत्याशित ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निर्णायक एमएंडवी रिपोर्ट की भी जाँच की है और रिफाइनरियों के लिए ऊर्जा कटौती लक्ष्य की उपलब्धियों को अंतिम रूप देने में ऊर्जा दक्षता ब्यूरों की सहायता की है।

पीएटी चक्र–II के तहत, जो 2018–19 में समाप्त हुआ, रिफाइनरी क्षेत्र ने 2014–15 के आधारभूत वर्ष के 1.08 एमटीओई के लक्ष्य के मुकाबले 1.482 एमटीओई की बचत हासिल की। नए पीएटी चक्र के तहत 2023–24 के लिए रिफाइनरी का ऊर्जा बचत लक्ष्य भी रिफाइनिंग क्षेत्र 4.49 प्रतिशत की विशिष्ट ऊर्जा कटौती के आधार पर अनिवार्य किए गए हैं।

पीएसयू रिफाइनरियों में 2030 तक ऊर्जा बचत के लिए रोडमैप, 2005 के आधार वर्ष में विशिष्ट ऊर्जा खपत में 33–35 प्रतिशत की कमी के लिए भारत की राष्ट्रीय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) के साथ संरेखित किया गया है। रोडमैप में प्रत्येक पीएसयू रिफाइनरी को एक मध्यावधि (2023–24) और दीर्घकालिक लक्ष्य (2030) भी सौंपा गया है।

5.5.3. रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी)

सीएचटी ने बेसलाइन 2017–18 के आधार पर पहले चरण में 7 पीएसयू रिफाइनरियों (एचपीसीएल –मुंबई और विशाख, बीपीसीएल – मुंबई और कोच्चि, आईओसीएल – पानीपत, पारादीप और मथुरा) के व्यापक रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार कार्यक्रम को करने के लिए रिफाइनरी वार वैश्विक सलाहकारों के चयन को समन्वित किया। रिफाइनरियों को उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट मिल गई है और कार्यान्वयन चरण प्रगति पर है।

रिफाइनरी चरण –1 के बाद के मूल्यांकन के अनुभव के आधार पर बची हुई रिफाइनरियों (आईओसीएल–बरौनी, गुजरात, हल्दिया, बंगाईगांव, गुवाहाटी, डिग्बोई, सीपीसीएल–मनाली और एनआरएल) का अध्ययन द्वितीय चरण में किया जाएगा और अभिरुचि की अभिव्यक्ति को अंतिम रूप देने की गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं।

5.5.4. पीएसयू रिफाइनरियों के लिए विशेष अध्ययन

जल उपभोग मानकों का विकास और रिफाइनरियों के लिए जल पदचिह्न को कम करना ।

सीएचटी ने ईआईएल के माध्यम से रिफाइनरियों के लिए पानी की खपत के मानदंड के विकास और पानी के पदचिह्न को कम करने के लिए सीएचटी के ईसी की 25वीं बैठक के दौरान मंजूरी दी। अंतिम रिपोर्ट पर 26/27 फरवरी, 2020 को पीएसयू रिफाइनरियों के साथ सीएचटी में चर्चा की गई थी और एक छोटी अवधि (<2 वर्ष) और एक दीर्घकालिक (>2 वर्ष) लक्ष्य के साथ एक निष्पादन रोडमैप, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया। जबकि अल्पकालिक उपायों की पूरा होने की लक्ष्य तिथि मार्च 2022 थी, दीर्घकालिक उपायों में ऐसे विचार/परियोजनाएं शामिल थीं, जिन्हें मार्च 2022 के बाद पूरा किया जाएगा।

एप्रोच पेपर ऑन डिमांड साइड स्टीम मैनेजमेंट

मैसर्स केबीसी, सिंगापुर को सर्वोत्तम अभ्यास और भारतीय वास्तविकताओं के आधार पर स्टीम पेपर ऑन डिमांड साइड मैनेजमेंट तैयार करने के लिए चुना गया। निर्णायक रिपोर्ट के साथ आरपीआईपी निष्कर्षों की एक विस्तृत मैट्रिक्स रिफाइनरियों को परिचालित की गई।

मैसर्स लैंजाटेक , यूएसए के माध्यम से अपशिष्ट गैसों के उपयोग से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययनः रिफाइनरियों के प्रथम चरण का अध्ययन जारी है।

मैसर्स लैंजाटेक के साथ समन्वय में सीएचटी ने रिफाइनरी–वार इथेनॉल क्षमता, पूंजीगत व्यय और अनुमानित उत्पादन की नगद लागत (सीसीओपी) को कवर करने वाले 13 पीएसयू रिफाइनरियों के लिए तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन किया। आईसीओ–जीआरएंडडीआर को छोड़कर सभी रिफाइनरियों के लिए उत्पादन की नगद लागत 40 रुपये प्रति लीटर से कम होने का अनुमान लगाया गया था, जो लैंजाटेक तकनीक को अपनाने की व्यवहार्यता को दर्शाता है। मैसर्स लैंजाटेक और संबंधित रिफाइनरी द्वारा संयुक्त साइट का दौरा, साइट सीमाओं की कमी यदि कोई हो, जानने के लिए किया गया था, शुरू में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए पहचाने जाने वाली 6 रिफाइनरियों में से, दो रिफाइनरियों (आईओसी–हल्दिया एवं आईओसी–गुजरात) को जगह की कमी के कारण छोड़ दिया गया था। बीपीसीएल–मुंबई रिफाइनरी और एमआरपीएल को कार्य सौंपा गया, बीपीसीएल–कोच्चि और बीना रिफाइनरी तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए मैसर्स लैंजाटेक के साथ बातचीत कर रही हैं। एमआरपीएल में इथेनॉल की कम क्षमता को देखते हुए, एमआरपीएल द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन स्वतंत्र रूप से बिना सीएचटी निधियों के किया जाएगा।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अनुसंधान एवं विकास द्वारा संदर्भ ईंधन के लिए व्यवहार्यता और व्यापार मॉडलः

संदर्भ ईंधन का उपयोग मूल्य उपकरण निर्माता (ओईएम) अपने वाहनों के परीक्षण के लिए करते हैं। ये ईंधन मुख्य रूप से जर्मनी से आयात किए जाते हैं। भारत में उत्पादन हेतु व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तीन चरणों सहित एक अध्ययन की योजना बनाई गई है। आईओसी–आरएंडडी के साथ ''संदर्भ ईंधन के लिए प्रक्रिया योजना का विकास'' के लिए मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को वर्क ऑर्डर दिया गया था। संदर्भ ईंधन के निर्माण के लिए रिफाइनरियों की पहचान की गई। 27 जनवरी, 2020 को सीएचटी में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अनुसंधान एवं विकास के साथ ''संदर्भ फ्यूल के उत्पादन के लिए प्रक्रिया योजना के विकास'' के पहले चरण के लिए गोष्ठी आयोजित की गई। ईआईएल ने 26 मई 2020 को स्टेज –1 अध्ययन के लिए अद्यतन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

5.5.5. भट्ठी की दक्षता और भाप के रिसाव का सर्वेक्षण

ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, रिफाइनरियों के सहयोग से सीएचटी, हर साल (i) भट्ठी/बॉयलर दक्षता और (ii) स्टीम रिसाव क्षेत्रों में सर्वेक्षण का आयोजन करता है इन दोनों क्षेत्रों को हर वैकल्पिक वर्ष में लिया जाता है। स्टीम लीक के क्षेत्र में सर्वेक्षण जनवरी, 2019 के दौरान आयोजित किया गया था और भट्ठी/बॉयलर दक्षता के लिए सर्वेक्षण जनवरी–फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित किया गया था।

5.5.6. रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी संगोष्ठी (आरपीटीएम)

तकनीकी विकास के बारे में जानकारी रखने और जानकारी के प्रसार के साथ, सीएचटी प्रासंगिकता के विभिन्न विषयों पर पीएसयू तेल कंपनी में से एक के साथ मिलकर हर साल आरपीटीएम का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में प्रक्रिया लाइसेंसकर्ता, उत्प्रेरक आपूर्तिकर्ता और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीएचटी द्वारा अंतिम 24वीं आरपीटीएम, 19 से 21 जनवरी, 2020 को बेंगलुरू में एमआरपीएल के साथ मिलकर आयोजित की गई थी। संगोष्ठी की थीम ''रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल्स को जीविका की ओर ले जाना'' था। संगोष्ठी में भारत और विदेश के लगभग 1500 प्रतिनिधियों/आमंत्रितों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 15 तकनीकी सत्रों में 82 मौखिक पत्रों की प्रस्तुति थी, पोस्टर सत्रों में 77 पत्रों और 17 प्रदर्शनी स्टॉल थे। इस बैठक में भारत और विदेश के 1500 प्रतिनिधियों /आमंत्रितों ने भाग लिया।

5.5.7. प्रधानमंत्री जी–वन योजना का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री जी–वन योजना मार्च, 2019 में 12 वाणिज्यिक इकाइयों (प्रति वर्ष 40 करोड़ लीटर की संयुक्त क्षमता) और 10 अर्द्ध वाणिज्यिक स्तर पर 10 प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके 2 जी इथेनॉल के प्रचार के लिए घोषित की गई थी। सरकार ने पेट्रोल में 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल और 2030 तक 20 प्रतिशत और 2030 तक डीजल में 5 प्रतिशत बायोडीजल के सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है।

योजना को 2 चरणों में निम्नानुसार लागू किया जाएगा:

चरण–I (2018–19 से 2022–23): 6 वाणिज्यिक और 5 प्रदर्शन परियोजनाएं

चरण–II (2020–21 से 2023–24): 6 वाणिज्यिक और 5 प्रदर्शन परियोजनाएं

वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए, प्रति परियोजना अधिकतम वित्तीय सहायता 150 करोड़ रुपये रखी गई है, जो इथेनॉल क्षमता और परियोजना लागत से जुड़ी है। प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए, वित्तीय सहायता 15 करोड़ रूपये प्रति प्रौद्योगिकी तक सीमित होगी।

सीएचटी को प्रधानमंत्री जीवन योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एसएसी) के हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति को नामित किया गया है। एसएसी द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा और सीएचटी की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

योजना के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसएसी द्वारा 3 उप समितियों का गठन किया गया था। ड्राफ्ट आरएफएस, वाणिज्यिक और प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए अलग–अलग, 3 उप समितियों और बाद में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा से इनपुट लेने के बाद तैयार किए गए थे। सीपीपी तथा प्रदर्शन पैमाने और वाणिज्यिक पैमाने पर 2जी पोर्टल पर 26 अगस्त 2019 को आरएफएस दस्तावेज बायोएथेनॉल परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट डेवलपर्स (पीडी) के चयन के लिए सीएचटी वेबसाइट जारी किए गए थे।

आरएफएस में, 6 वाणिज्यिक परियोजना प्रस्ताव और एक प्रस्ताव (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास) प्रदर्शन परियोजना के लिए प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिश अब सीएचटी की संचालन समिति के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखी जाएगी।

5.5.8. स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास

सीएचटी डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान और वित्त पोषण में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय करता है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति राष्ट्रीय महत्व और परिष्कृत परिचालनों की परियोजनाओं की मंजूरी और उनका संचालन करता है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का नेतृत्व बीएआरसी के प्रख्यात वैज्ञानिक और डीएई अध्यक्ष प्रोफेसर, डॉ. अनिल काकोडकर कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, बीपीसी कोच्चि के साथ मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने सीएचटी द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत स्वदेशी देसाल्टर टेक्नोलॉजी विकसित की है।

5.5.9. हाइड्रोजन अनुसंधान

हाल के दिनों तक, हाइड्रोजन की भूमिका इतनी स्पष्ट रूप से नहीं देखी गई थी। परिणामस्वरूप हाइड्रोजन अनुसंधान में इतनी रुचि नहीं थी। ग्लोबल वार्मिंग, बिगड़ते उत्सर्जन स्तर और अक्षय ऊर्जा की गिरती लागत की चिंता से प्रेरित, अब यह माना जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन (कोयला, कच्चे तेल, गैस) सहित विभिन्न ऊर्जा प्रणालियां भविष्य में सह–अस्तित्व में होंगी। चूंकि ऊर्जा प्रणालियां पूंजी प्रधान होती हैं और इसे विकसित करने में समय लगता है, इसलिए नवीकरणीयों की बढ़ती हुई भूमिका को, बिजली और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में उनके

संभावित परिवर्तन के साथ दीर्घकालिक रूप से महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। जबकि हाइड्रोजन अनुसंधान में नए सिरे से रुचि दिखाई देती है, ऊर्जा संक्रमण अभी भी अस्पष्ट है ऐसे में विभिन्न ऊर्जा रूपों में विकास आगे के मार्ग को निर्धारित करेगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने हाइड्रोजन अनुसंधान और इसके प्रसार को अपने प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में केन्द्रित किया है।

वर्तमान में, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था संक्रमण में कई चुनौतियां हैं, जैसे लागत प्रभावी उत्पादन, भंडारण, ईंधन सेल का विकास और विभिन्न अनुप्रयोगों की तैनाती आदि। इसके लिए इन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए ठोस प्रयासों और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन के वितरण हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है।

वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाएं प्रगति पर/विचाराधीन हैं;

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	कुल परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)	सीएचटी द्वारा वित्त पोषण (रुपये करोड़ में)	अनुमोदन की स्थिति
1.	प्राकृतिक गैस के उत्प्रेरक अपघटन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए स्केल–अप अध्ययन और प्रक्रिया विकासः एचपीसीएल–अनुसंधान एवं विकास, सीईएनएस और आईआईटी, दिल्ली	29.46	16.73	चल रही है
2.	सौर एच2 उत्पादन और वितरण स्टेशनः इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास	65.16	25.00	चल रही है
3.	दिल्ली में राजघाट बस डिपो में एच–सीएनजी उत्पादन और परीक्षणों के लिए प्रदर्शन इकाईः आईओसी आरएंडडी	33.39	9.2	चल रही है
4.	कई पथों से उत्पादित एच2 पर आधारित ईंधन सेल बसेंः आईओसीएल/केपीआईटी/आईआईएससी	296.66	138.32	विचाराधीन

5.5.10. भारत में उत्प्रेरक विनिर्माण संयंत्र का विकासः

भारत में मेक इन इंडिया के तहत विश्व स्तर की कैटेलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की दृष्टि से, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक विनिर्माण क्षमता के विपणन के लिए वैश्विक पहुंच रखने वाले बोलीदाताओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है। प्रस्तावित उत्प्रेरक संयंत्र की स्थापना एक स्थापित उत्प्रेरक निर्माता/आपूर्तिकर्ता और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक या एक से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में करने की परिकल्पना की गई है।

5.5.11. पुरस्कार

सीएचटी भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित वार्षिक पुरस्कारों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है:

- रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार
- भाप के रिसाव और भट्ठी की दक्षता सर्वे पर आधारित सक्षम पुरस्कार
- नवपरिवर्तन पुरस्कार

पहली दो श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। नवाचार पुरस्कारों के लिए, उद्योग से निम्नलिखित तीन श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे और पुरस्कार विजेताओं का चयन सीएचटी की शासन परिषद के दिशानिर्देशों के आधार पर अध्यक्ष, एसएसी द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया है:

I) सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी

II) रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार (रिफाइनरी/समूह/व्यक्तिगत)

III) आरएंडडी इंस्टीट्यूट (संस्थान/समूह/व्यक्तिगत) में सर्वश्रेष्ठ नवाचार

2018–19 के लिए रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार, 2019 के लिए सक्षम पुरस्कार और 2018–19 के लिए इनोवेशन अवार्ड 19 जनवरी, 2020 को बेंगलुरू में 24वीं रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट (आरपीटीएम) के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को प्रदान किए गए।

5.5.12. स्वच्छता रैंकिंग फॉर पीएसयू/जेवी रिफाइनरियां

पीएसयू/जेवी रिफाइनरियों की स्वछता रैंकिंग पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। रिफाइनरियों की सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित स्वच्छता सूचकांक के आधार पर रैंक किया गया है। पीएसयू/जेवी रिफाइनरियों के लिए 2018–19 के लिए स्वच्छता रैंकिंग को अंतिम रूप दिया गया और विजेताओं को माननीय मंत्री जी, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और इस्पात, भारत सरकार द्वारा 16 सितंबर 2019 को प्रदान की गई।

5.5.13. गतिविधि समिति की बैठकें

नवीनतम विकास पर सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं को सामना करने और सूचना के प्रसार के उद्देश्य से, सीएचटी ने विभिन्न क्षेत्रों/पाइपलाइनों के शोधन और संचालन कार्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधि समिति की बैठकों का आयोजन किया। वर्तमान में 14 एक्टिविटी समितियां चल रही हैं और वर्ष 2019–20 के दौरान 7 एसीएम आयोजित किए गए थे।

5.5.14. ज्ञान प्रसार और अनुभव साझा करना

- रिफाइनिंग क्षेत्र में गतिविधि समिति की बैठकों और नवाचारों से ली गई सहित सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों पर एक संग्रह, सभी रिफाइनरियों के साथ तैयार और साझा किया गया।
- सीएचटी पोर्टल पर डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन से संबंधित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा मंच बनाया गया है। विशेषज्ञ पैनल से जवाब मांगने के लिए विशिष्ट प्रश्नों को पीएसयू कंपनियों के अधिकृत समन्वयकों द्वारा पोस्ट किया जा सकता है।

5.5.15. बीएस–VI ऑटो ईंधन और लैब सह–संबंध कार्यक्रम का कार्यान्वयन

जेएस (आर) और पीएसयू रिफाइनरियों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान बीएस–VI ईंधन की आपूर्ति की तैयारी पर चर्चा की गई। पीएसयू रिफाइनरियों में बीएस–VI गैसोलीन और डीजल की आपूर्ति के लिए बीएस–VI प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा 22 नवंबर 2019 को वर्किंग ग्रुप की 21वीं बैठक के दौरान की गई। रिफाइनरियों ने रिफाइनरी से विपणन स्थानों तथा फिलिंग स्टेशनों तक आपूर्ति 1 अप्रैल 2020 रोलआउट की तारीख से पहले नेटवर्क के उन्नयन की योजना बनाई थी।

सीएचटी ने उद्योग स्तर पर उत्पाद की गुणवत्ता के बेहतर समन्वय के लिए ''अंतर प्रयोगशाला सहसंबंध कार्यक्रम'' शुरू किया। एमएस, एचएसडी और एटीएफ को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

5.5.16. ग्रेड ए (1000 पीपीएम एस) केरोसीन की आपूर्ति :

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2018 के माध्यम से उद्योग को सूचित किया गया कि दिनांक 04 जनवरी, 2020 से सभी रिफाइनरियां ग्रेड–ए केरोसीन (1000 पीपीएम सल्फर) की आपूर्ति करेगी। उद्योग दिनांक 04 जनवरी, 2020 रिफाइनरियों से उत्पादन के लिए तैयार है कम आवंटन और सीमित टैंकों को ध्यान में रखते हुए, इसे सामान्य होने में आगे 3 महीने की आवश्यकता होगी।

अध्याय
04

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को तेल उद्योग विकास बोर्ड के उपकर व अन्य नवीन संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

2 अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा अनुदान सहायता के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जा सकता है। तद्नुसार, तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में एक समिति का महानिदेशक, डीजीएच, की अध्यक्षता में और सदस्यों में सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड (एफआईपीआई) हैं, का गठन किया गया।

समिति, प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय वाली अनुमोदित परियोजनाओं को तेल उद्योग (विकास) नियम, के नियम 24 (i)(ii) की शर्तों के अनुसार अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है।

2.1 परियोजनाओं की पुनरीक्षा

उपरोक्त समिति समय–समय पर अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं के अधिक कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

3. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य विभिन्न तेल उद्योग क्षेत्रों से संबद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है। सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और उनमें वित्त पोषण करने में वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4. तकनीकी संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसाकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई, भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद और राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों की मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद की दो नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृत किया है : –

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	संस्थानों के नाम	राशि
1	वैक्सी क्रूड के प्रवाह के लिए पोर प्वाइंट डिप्रेसेंस के रूप में प्राकृतिक अर्क का उपयोग	54.00
2	फोम सहायक तेल जल नैनो–इमल्शन द्वारा तेल रिकवरी का प्रायोगिक और आणविक गतिशील सिमुलेशन अध्ययन	70.00

5 हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है । भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए के एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है:

1 तेउविबो 40 करोड़ रुपए

2 ओएनजीसी, आईओसी, गेल 16 करोड़ रुपए प्रत्येक

3 एचपीसीएल, बीपीसीएल 6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है । हाइड्रोजन परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए सीएचटी, नोडल ऐजेंसी है। स्थापना के बाद से 31 मार्च 2020 तक, ओआईडीबी ने एचसीएफ फंड में से एचसीएफ परियोजनाओं के वित पोषण के लिए 31.51 करोड़ रुपये का अनुदान सीएचटी को जारी किया है। 31.3.2020 तक एचसीएफ के पास 175.76 करोड़ रुपए (लगभग) का कुल कॉपर्स उपलब्ध हैं। एचसीएफ के अन्तर्गत चालू परियोजनाएं निम्नानुसार है:–

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	एचसीएफ से अंशदान	एचसीएफ से 31.03.2020 तक जारी राशि	कार्यान्वयन एजेंसी
1	प्राकृतिक गैस के उत्प्रेरक अपघटन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के अध्ययन और प्रक्रिया विकास को बढ़ावा देना	29.46	16.92	1.13	एचपीसीएल / आईआईटीडी / सीईएनएस
2	सोलर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली और हाइड्रोजन ईंधन सैल वाहन के लिए ईंधन भरने वाले वितरण स्टेशन	65.16 25.00 एचसीएफ 40.16 आईओसी	25.00	0.00	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
3	दिल्ली में राजघाट बस डिपो में हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के उत्पादन की 4 टीपीडी क्षमता की कॉम्पैक्ट रिर्फामर यूनिट की स्थापना और परीक्षण का प्रदर्शन	33.39 9.20 एचसीएफ 9.20 आईओसी 15 करोड़– दिल्ली सरकार	9.20	2.19	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
	कुल	**103.82**	**51.12**	**3.32**	

अध्याय
05

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) के द्वारा 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। कैवर्न का निर्माण तीन स्थानों नामतः विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में किया जा रहा है। विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), में भूविज्ञान की स्थिति अच्छी है जिससे वहां पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त लागत द्वारा 30 प्रतिशत अतिरिक्त भण्डारण किया जा सका। इससे विजाग की क्षमता 1 एमएमटी से बढ़कर 1.33 एमएमटी हो गई है, इन भंडारों में भारत की 9.5 दिनों के शुद्ध आयात की आवश्यकताओं के बराबर कच्चे तेल को भंडारित किया जा सकता है।

इस सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत का मूलतः सितम्बर, 2005 में 2397 करोड़ रूपये आँका गया जो अब संशोधन के बाद 4098.35 करोड़ हो गया। कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.2019 को क्रमशः 3832.56 करोड़ रूपये एवं 3775.87 करोड़ रूपये है। तेउविबो की आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता 31.03.2020 तक 3775.87 करोड़ रूपये की है। तीनों स्थलों पर परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता 1.33 एमएमटी)

विशाखापट्टनम केवर्न को जून 2015 में चालू कर लिया गया था। भूमिगत सिविल कार्य हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड एनर्जी सर्विसिस लिमिटेड (आईओटीआईईएसएल) द्वारा निष्पादित की गई। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रहा है।

एचपीसीएल ने विशाखापट्टनम में कच्चे तेल के लगभग 220 शिपमैंट प्राप्त किए और 370 हस्तांरित किए हैं।

एचपीसीएल ने आईएसपीआरएल के साथ विशाखापट्टनम में कच्चे तेल केवर्न की सुविधा के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जिसे 16 नवम्बर 2019 को अनुबंध की शर्तों के अनुसार बढ़ाया गया है।

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

मंगलौर कैवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु मंगलौर स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) के द्वारा 104.73 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी। मंगलौर कैवर्न परियोजना में 0.75 एमएमटी प्रत्येक के 2 भूमिगत भंडारण कंपार्टमेंट हैं। परियोजना की पूंजीगत लागत 1227 करोड़ रूपये है।

परियोजना को तीन पार्सलों के साथ अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। मंगलौर में एक कंपार्टमेंट के खनिज तेल की कुल लागत 1754 करोड़ रूपये है।

मंगलौर कैवर्न के दोनों कंपार्टमेंट चालू कर दिए गए हैं। पहला कंपार्टमेंट जो कि कैवर्न बी है, अक्टूबर 2016 में चालू हो गया और उसे पूरी तरह से दिसम्बर 2016 में 50 प्रतिशत ईरानी हेवी+ 50 प्रतिशत ईरान लाइट कच्चे तेल के तीन वीएलसीसी पार्सल से पूरा भर दिया गया।

कैवर्न ए को एडीएनओसी द्वारा उपलब्ध किए कच्चे तेल से भरने के लिए एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच फरवरी 2018 में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने मई 2018 से नवम्बर 2018 तक कैवर्न में तेल भरने के अपने संरचनात्मक दायित्व को पूरा किया।

सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) के अनुमोदन से मैंगलौर और पादुर में आईएसपीआरएल कैवर्न में सम्पूर्ण संग्रहित कच्चे तेल को इस दृष्टि से आईएसपीआरएल में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि कच्चे तेल के एक अलग ग्रेड को भंडारित किया जा सके। आईएसपीआरएल मंगलौर से एमआरपीएल में रिफाइनरी तक यह पहला सफल स्थानांनतरण और लाइन का चालू होना था। वर्ष के दौरान 90 टीएमटी आईएसपीआरएल क्रूड को एमआरपीएल में स्थानांतरित किया गया। एमआरपीएल ने उपरोक्त आईएसपीआरएल कच्चे तेल के प्रतिस्थापन के लिए अरब का मिक्स क्रूड खरीदा है।

वर्ष के दौरान, एचपीसीएल विजाग को 8,68,591 बैरल एडीएनओसी क्रूड का पहला सफल वाणिज्यिक स्थानांतरण, दिसम्बर 2019 में किया गया। इसके पश्चात्, एमआरपीएल ने 1.9 मिलियन बैरल क्रूड खरीदा जिसे की मंगलौर कैर्वन ए से स्थानांतरित किया गया था।

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 मिलियन मीट्रिक टन) :

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्य को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी के संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे।

पादुर कैवर्न परियोजना को दिसम्बर 2018 में सफलतापूर्वक चालू कर लिया गया।

इस सुविधा में प्रत्येक 0.625 एमएमटी के कैवर्न ए,बी,सी,डी, चार कम्पाटमेंट है जिसकी कुल क्षमता 2.5 एमएमटी है। सभी चार कम्पाटमेंटों को अब कच्चे तेल से भरा जा चुका है।

माननीय प्रधानमंत्री की साऊदी अरब के रियाद की यात्रा के साथ–साथ, 29 अक्टूबर 2019 को कर्नाटक के पादुर में आईएसपीआरएल के एक कंपार्टमेंट में कच्चे तेल को भरने के लिए साऊदी अरामको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कोविड–19 महामारी में कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ उठाते हुए, भारत सरकार ने भूमिगत कैवर्न में बचे हुए भाग को भरने के लिए निधियां आवंटित की। अप्रैल और मई 2020 में कैवर्न को भरने के लिए जहाजों का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया। कैवर्न को भरने का कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा हो गया। सरकार, ओएमसी तथा एमआरपीएल के समर्थन से आईएसपीआरएल लॉकडाउन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद सभी तीनों स्थानों पर रणनीतिक भंडारों को भरने में सक्षम रहा।

अध्याय
06

अन्य गतिविधियां

1 तेउविबो राहत ट्रस्ट (तेउविबो आर टी)

अप्रैल से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मई 2000 के दौरान इन राज्यों में सूखा प्रभावित ग्रामों को पेय जल के परिवहन हेतु डीज़ल की लागत वापिस करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से एक ट्रस्ट नामतः तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट का एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 01.06.2000 को गठन किया गया था। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन सचिव (पीएनजी), ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी पदेन, अपर सचिव (पीएनजी) और ट्रस्ट के सचिव के रूप में सचिव (ओआईडीबी) तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अन्य प्रतिनिधि ट्रस्टियों के रूप इस ट्रस्ट में है। तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कोष में 20.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया है इस ट्रस्ट के लक्ष्य व उद्देश्य के आधार व्यापक हैं और अन्य राहत ट्रस्ट से अतिरिक्त अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए भी वित्तीय सहायता को अनुमत कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के नाम को दिनांक 09.07.2010 से परिवर्तित करते हुए तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट से तेउविबो राहत ट्रस्ट कर दिया गया था। वर्ष 2015–16 तक विभिन्न राज्यों, प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कल्याणकारी संगठनों के लिए लगभग 22.76 करोड़ रुपये राशि जारी की गई।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि कोविड–19 महामारी को देखते हुए तेल उद्योग विकास बोर्ड राहत ट्रस्ट का सम्पूर्ण फंड पीएम केयर फंड में स्थानान्तरित कर दिया जाए। तथा उसके बाद भंग कर दिया जाए। तदानुसार 18.34 करोड़ रुपये दिनांक 31.03.2020 को पीएम केयर फंड में स्थानान्तरित कर दिए गए।

2 हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी)

भारत के राष्ट्रीय कौशल मिशन के अनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के तत्वावधान में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के तत्वावधान में स्थापित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कौशल विकास गतिविधियों को निष्पादित करना और सतत एवं विकसित आधार पर मात्रा और गुणवत्ता में उचित प्रशिक्षित जनशक्ति की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

ओआईडीबी तथा तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अन्य समर्थकों ने एचएससीसी के कॉपर्स फंड में योगदान दिया। जिसमें से, एक समर्थक होने के नाते ओआईडीबी ने एचएससीसी में 3 करोड़ रूपये की राशि का अंश दान दिया।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों का कल्याण।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है । आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है । सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/

निःशक्त जन की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए वर्ष 2018 के लिए रोस्टरों का निरीक्षण दिनांक 25.07.2019 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया और पाया गया भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रोस्टर को सही ढंग से रखा जा रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग जन के आरक्षित कोटे के उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

4. महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण :

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की शिकायतों का निवारण करने हेतु इसकी सुनवाई के लिए तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 17 कर्मचारियों में 3 महिलाकर्मी हैं।

5. सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को संवर्धित करने में सदा प्रयासरत रहा है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/करार द्विभाषी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक अधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 12.09.2019 से 26.09.2019 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें आशुव्याख्यान, भाषा ज्ञान, प्रश्नोत्तरी, निबन्ध, दोहा प्रतियोगिता आदि शामिल किया गया और 13 सितम्बर, 2020 को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गईं।
- तेउविबो में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न विषयों जैसे– हिन्दी भाषा ज्ञान और मानक वर्तनी, राजभाषा नीति और उसका अनुपालन तथा हिन्दी में काम करने पर आने वाली कठिनाईयों का समाधान आदि विषयों पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- वर्ष के दौरान, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा की ओर से वर्ष 2018–19 के लिए तेउविबो को राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

- तेउविबो ने अपनी अंतर्गृहीय वार्षिक पत्रिका ''अनुभूति'' का प्रकाशन जारी रखा तथा ओआईडीबी के स्थापना दिवस (13 जनवरी 2020) के अवसर पर इसका विमोचन किया गया। इस पत्रिका में साहित्य, कविता,

धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य अधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के साथ इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है। पत्रिका को तेल क्षेत्र के उपक्रमों तथा ओआईडीबी के अनुदानी संगठनों में प्रसारित किया गया।

- वर्ष के दौरान, तेउविबो ने वर्ष 2020 का कैलेंडर भी प्रकाशित किया।

6. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहः–

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 21 जून 2019 को ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' का आयोजन, तेउविबो, भवन, नोएडा में किया गया। तेउविबो भवन नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' में भाग लिया।

7. 45वां स्थापना दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 13 जनवरी 2020 को अपना 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में तेउविबो के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के कार्मिक तेउविबो भवन, में उपस्थित थे। स्थापना दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन तेउविबो भवन, नोएडा के सभागार में किया गया।

8. स्वच्छता पखवाड़ा समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 01.07.2019 से 15.07.2019 के दौरान ''स्वच्छता पखवाड़ा'' मनाया और दिनांक 15.09.2019 से 2.10.2019 के दौरान ''स्वच्छता ही सेवा अभियान'' (एसएचएस) को आयोजित किया।

पखवाड़े के दौरान एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) का प्रयोग न करने पर शपथ ग्रहण, ओआईडीबी भवन परिसर से प्लास्टिक का संग्रह, पास के स्कूल में '' प्लास्टिक का उपयोग न करने'' विषय पर व्याख्यान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, जागरूकता अभियान आदि जैसी गतिविधियां आयोजित की गई।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की रूपरेखा, मुख्य रूप में सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। ओआईडीबी पहले से ही डीओपीटी की आरटीआई पोर्टल से जुड़ी हुई है जहां आरटीआई आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये/हस्तांतरित किये व निस्तारित किये जाते है।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 8 अभ्यावेदन/प्राप्तियां प्राप्त की गई हैं। प्राप्त हुए इन सभी अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर निर्धारित समय सीमा में प्रेषित कर दिए गए।

अध्याय
07

वार्षिक लेखे
2019–20

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

कॉपर्स /पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	2	1092349	1077552
चिन्हित / अक्षय निधि	3	0	0
जमानती ऋण एवं उधार	4	0	0
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6		0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	11689	6016
योग		**1194278**	**1173808**
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ (नेट ब्लॉक)	**8**	**8347**	**9248**
प्रगतित कार्य	8	50	50
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	0	0
निवेश – अन्य	10	382621	379871
चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	803260	784639
विविध खर्चे		0	0
(जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
योग		**1194278**	**1173808**
लेखा संबंधी विशेष नितियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखो पर टिप्पणियाँ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0–
(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0–
(निरंजन कुमार सिंह)
सचिव

दिनांकः 19.08.2020
स्थानः नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(रूपये लाख में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान/ सब्सिडी	13	0	0
फीस/अभिदान	14	0	0
निवेश से आय	15	0	0
रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	16	969	73
अर्जित ब्याज	17	53900	54487
अन्य आय	18	3508	480
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोत्तरी/(कमी)	19	0	0
योग (क)		**58378**	**55040**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	480	619
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	1142	1044
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	32890	37483
भुगतान किया गया ब्याज	23	0	0
राज्य सरकारों को रॉयल्टी	24	0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)	8	784	871
योग – ख		**35296**	**40017**
खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		23082	15023
आयकर के लिए प्रावधान		8240	5363
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)		–	–
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		–	–
आधिक्य के शेष को कॉपर्स/ पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		**14842**	**9660**
विशेष लेखा नीतियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0–
(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0–
(निरंजन कुमार सिंह)
सचिव

दिनांकः 19.08.2020
स्थानः नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोड़ें: कॉपर्स / पूंजीगत निधि में योगदान	–		–	
जोड़ें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि	–	–	–	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

(रूपये लाख में)

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पूंजीगत आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	(–)	–	(–)	
2. पुनःमूल्यांकन आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाएं वर्ष के दौरान कमी	(–)	–	(–)	
3. विशेष आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	(–)	–	(–)	
4. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार		1077552		1068193
वर्ष के दौरान जमा/परिवर्धन/अपमार्जन				
(i) व्यय पर आय से अधिक्य	14842		9660	
(II)घटाएं : कर प्रावधान आदि का समायोजन	45	14797	301	9359
कुल योग		**1092349**		**1077552**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 3 – चिन्हित / अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण	योग	
	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) निधि का प्रारंभिक शेष (ख) निधि में परिवर्धन (i) दान / अनुदान (ii) निधि के निवेश से आय (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)	शून्य		
योग (क+ख)			
(ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग/ खर्च	शून्य		
(i) पूँजीगत खर्चे			
– अचल परिसम्पतियाँ			
– अन्य			
योग :			
(ii) राजस्व खर्चे			
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि			
– किराया			
– अन्य प्रशासनिक खर्चे			
योग :			
योग(ग)	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख–ग)	-	-	-

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 4 . आरक्षित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	शून्य	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण		
– अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
– अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 5 – अनारक्षित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	शून्य	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक :		
(क) आवधिक ऋण		
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

(रूपये लाख में)

अनुसूची 6 अस्थगित जमा देनदारियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पततियों के बंधक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	
(ख) अन्य		
योगः		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए	-		-	
(ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
(क) जमानती ऋण / उधार	-		-	
(ख) गैरजमानती ऋण / उधार	-		-	
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिशोध्य	-		-	
(ख) अन्य	-		-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	0		0	
ख) आय कर/टीडीएस/वर्कस कॉन्ट्रेक्ट देय कर	10		57	
ग) ठेकेदारों को देय	220		216	
घ) अन्य (i) बकाया 243 लाख				
(ii) अन्य बिल– 2705 लाख				
(ii) अन्य – 12 लाख	2960		114	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	107		118	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दर (ठेकेदारों को देय)	47	3344	49	554
योग (क) :		**3344**		**554**
(ख) प्रावधान				
1. करों के लिए		8240		5363
2. ग्रेच्यूटी		0		0
3. सेवानिवृत्ति /पेंशन		0		0
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		101		95
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6. अन्य–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधान		4		4
योग (ख)		**8345**		**5462**
योग (क + ख)		**11689**		**6016**

तेल उद्योग विकास बोड

31–3–2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 8– स्थाई परिसम्पतियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
विवरण	1.4.2019 से आरंभ वर्ष में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2020 वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	1.4.2019 से वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2020 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	31.3.2020 को चालू वर्ष के अन्त में	31.3.2019 को पूर्व वर्ष के अन्त में
क स्थाई परिसम्पतियाँ										
1. भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) पट्टे पर		0	0	0	0	0	0	0	0	0
द्वारका भूमि	995	0	0	995	0	0	0	0	995	995
नोएडा भूमि	946	0	0	946	0	135	0	135	811	946
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) पट्टे वाली भूमि पर	10181	0	0	10181	5305	488	0	5793	4388	4876
(ग) स्वामित्व मकान/पक्षित्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	0	0	32	21	1	0	21	11	10
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2955	0	1	2954	2061	135	0	2196	758	893
4. वाहन	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0
5. फर्नीचर, फीक्सर्च	3171	0	0	3171	1666	150	0	1816	1355	1505
6. कार्यालय उपकरण	56	4	0	61	44	3	0	47	14	12
7. कम्प्यूटर /बाह्य उपकरण	58	11	0	69	55	6	0	61	8	4
8. विद्युत संस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियाँ	27	0	0	27	20	1	0	21	6	7
चालू वर्ष का योग:	**18426**	**15**	**1**	**18441**	**9177**	**918**	**0**	**10095**	**8347**	**9248**
गत वर्ष :	**18512**	**16**	**101**	**18427**	**8308**	**871**	**0**	**9179**	**9248**	**10204**
ख पूंजीगत चालू कार्य	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**

* नोएडा भूमि लीज का ऋण चुकाने के लिए 2006 –07 से प्रावधान

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 9 चिन्हित /अक्षय निधि से निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :	-	-

अनुसूची 10 – अन्य निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
बीको लॉरी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	-	-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम (आईएसपीआरएल)	377587	374837
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग :	**382621**	**379871**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क . चालू परिसम्पतियाँ				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक– इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगति कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. फुटकर देनदारी				
क) छः महीने से ज्यादा बकाया देनदारियाँ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. कुल नकद शेष (इसमें चौक/ड्राफ्ट/ अग्रदाय सहित)	0	0	0	0
4. बैंक शेष				
क) अधिसूचित बैंकों के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर (एफडीआर में)	15100		313230	
– बचत खातों पर	8589	23689	87	313317
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर	-		-	
– बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाक घर– बचत खाते		-		-
योग (क) :		**23689**		**313317**

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पतियाँ				
1. ऋण				
क) स्टाफ	10		13	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयाँ (अनुलग्नक II)	744904		429255	
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-		-	
		744914		**429268**
2. अग्रिम एवं अन्य राशियाँ जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्य है				
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम तथा संघटन अग्रिम)	0		2750	
ख) अग्रिम किराया	218		220	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर, टीडीएस तथा एम एम सैल,प्रतिभूति जमा)	21268	**21486**	21255	**24225**
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित/ अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	57		4557	
ग) ऋण एवं अग्रिम	2820		2877	
घटाएं: संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षों में किया)	2711		2711	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	12	**178**	72	**4795**
4. वसूली योग्य दावे				
(I) (विरोध के तहत भुगतान किया गया कर)	12897		12895	
(II) प्राप्य राशि	95	**12993**	139	**13034**
योग (ख):		**779571**		**471322**
योग (क + ख) :		**803260**		**784639**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियां

(रूपये लाख में)

अनुसूची 12 . बिक्री/ सेवाओं से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय	शून्य	
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) खंडित माल की बिक्री		
2 . सेवाओं से आय		
क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार		
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन तथा दलाली		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/ सम्पत्ति)		
ड़) अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

अनुसूची 13 – अनुदान / सहायता	चालू वर्ष	गत वर्ष
(अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता		
1) केंद्रीय सरकार		
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एजेंसियाँ		
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान			**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
1. प्रवेश शुल्क			शून्य	
2. वार्षिक शुल्क/ अंशदान				
3. सेमीनार/ कार्यक्रम शुल्क				
4. परामर्शदाता शुल्क				
5. अन्य (उल्लेख करें)				
योग :				
	चिन्हित निधियों से निवेश		**निवेश– अन्य**	
अनुसूची 15 – निवेशों से आय	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
(चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	शून्य			
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र				
2. लाभांश				
क) शेयरों पर				
ख) मयूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य				
योग :				
चिन्हित/अक्षय निधियों में अंतरण				

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 16	चालू वर्ष	गत वर्ष
रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय		
1.रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य – डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	969	73
योग :	969	73
अनुसूची – 17 अर्जित ब्याज	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंकों के पास (सावधि जमा)	12050	25947
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर		
क) अधिसूचित बैंको के पास	16	153
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	18	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	1	1
ख) तेल कम्पनियाँ	41816	28386
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
(क) चल अग्रिम पर ब्याज	0	0
(ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	0	67
योग:	**53900**	**54487**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	**5437**	**5484**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. परिसम्पतियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिससम्पतियाँ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पतियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	-
4. पूर्व अवधि की आय	0	0
5. विविध आय (i) किराए से आय – रू. 461.36	3508	480
ii) बिना खर्च हुए अनुदानें आदि की वापसी रू. 3047.05		
योग :	**3508**	**480**

अनुसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि /कमी	चालू वर्ष	गत वर्ष
माल और कार्य प्रगति	शून्य	
क) अन्तिम स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति		
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति	-	-
निवल जमा (घटा) (क + ख)		

अनुसूची 20– स्थापना खर्चे	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	239	270
ख) भत्ते एवं बोनस	11	20
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	180	88
ड.) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	41	31
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	8	9
छ) अन्य	1	201
योग :	**480**	**619**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियां

(रूपये लाख में)

अनुसूची 21 . अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		चालू वर्ष	गत वर्ष
क) क्रय		0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे		0	0
ग) गाड़ी तथा भाड़ा		0	0
घ) विद्युत तथा बिजली		424	468
ड) जल प्रभार		2	2
च) बीमा		5	2
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		160	146
ज) उत्पाद कर		0	0
झ) किराया, दरें तथा कर		25	37
त्र) गाड़ियों का चालन एवं रखरखाव		18	16
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार		7	5
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री		6	5
ड्) विविध खर्चे		3	2
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चे		6	5
ण) अभिदान खर्चे		0	0
त) शुल्क पर खर्चे		0	0
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		0	3
द) आतिथ्य खर्चा		0	0
ध) व्यावसायिक प्रभार		51	41
न) संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे		0	0
फ) पैकिंग प्रभार		0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे		0	0
भ) संवितरण खर्चे		0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार		2	5
अन्य –(पूर्व अवधि व्यय)	134	434	307
अन्य	300		
योग	**434**	**1142**	**1044**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–3–2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

अनुसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थानों/ संगठनों को दिया गया अनुदान (अनुलग्नक ।।।–ए)	32255	37243
ख) सरकार/ ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए सहायता (अनुलग्नक ।।।–बी)	635	240
योग :	**32890**	**37483**

टिप्पणी – अनुलग्नक ।।। (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान/सब्सिडी राशि इंगित की गई है।

(रूपये लाख में)

अनुसूची 23– भुगतान किया गया ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) स्थाई ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग	**0**	**0**

(रूपये लाख में)

अनुसूची 24– राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
अरूणाचल प्रदेश सरकार	0	0
गुजरात सरकार	0	0
योग	**0**	**0**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ

1. लेखाकरण व्यावहारिक रीति

वित्तीय विवरणपत्र, अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. स्थाई परिसम्पत्तियाँ

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार " मूल्यह्रास पद्धति" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

5. सरकारी अनुदान/सब्सिडी –

अनुदान, विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों को देय रायल्टी को छोड़कर, यदि कोई हो, जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. आय

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है। अनुदान के एवज में प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर है।

7. विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. लीज़

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:–

(क) ट्रेसेस (आयकर विभाग) से डाउनलोड डिफॉल्ट सारांश के आधार पर 31 मार्च 2019 को रुपये 10.88 लाख की तुलना में 31 मार्च 2020 टीडीएस खातों के बकाया दावे 7.18 लाख रुपये है।

(ख) विभिन्न मूल्यांकन वर्षो के लिए आयकर, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र0 स0	निर्धारण वर्ष	धारा 271(1) (सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति	धारा 143 (3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति
1	2005-06	1.76	विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा हटा दिया गया है	-	
2	2006-07	1.85		-	
3	2007-08	1.40		-	
4	2008-09	4.52	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील	5.63	आईटीएटी द्वारा एओ को मामले से अलग (बहाल) रखा गया है और आज तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ
5	2010-11	22.77	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील	28.97	आईटीएटी द्वारा एओ को मामले से अलग (बहाल) रखा गया है और आज तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ
6	2011-12	-	-	28.54	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील
7	2012-13	-	-	20.51	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील
8	2013-14	-	-	3.85	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील
9	2014-15	-	-	14.71	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील
	कुल	**32.30**		**115.20**	

आगे, 2009–10 के लिए, टैक्स विभाग ने आईटीएटी के समक्ष अपील की है इसलिए 17.74 करोड़ रूपये की इस राशि को आकस्मिक देयताओं की राशि बनाया जायेगा।

(ख) मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अपूर्ण भुगतान और कटौती के संबंध में तेउविबो के आदेश सं. 14/18/2007 ओआईडीबी दिनांक 04.06.2008 के द्वारा जी+3 ब्लॉक ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं. 2, सेक्टर 73, नोएडा के आंतरिक कार्य (आंतरिक विद्युत कार्यों सहित) के निष्पादन से संबंधित मामले में रुपये 180.41 लाख का एक आर्बिट्रेशन दावा तेउविबो के विरूद्ध दायर किया गया। आरबीट्रेटर ने मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पक्ष में उनके दावे रू0. 180.41 लाख के बदले में रू0. 62.78 लाख की राशि देय करने का फैसला दिया। तेउविबो ने आरबीट्रेटर के फैसले को चुनौती दी।

2. वचन बद्धताएँ

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए अन्तिम बिलों का मूल्य जो कि रूपये 119 लाख (लगभग) है, पीएमसी और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण के अभाव में उन पर विचार नहीं किया गया है।

ख) तेउविबो ने मार्च 2020 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को रूपये 377587 लाख (गत वर्ष 377587 लाख) इक्विटी के रूप में निवेश के लिए दिये। कंपनी पहले ही तेउविबो के डीमैट खाते में रूपये 37758746700 लाख के 3775746700 शेयर, 10/– रूपये प्रति प्रमाणपत्र आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। हांलाकि, आरबीट्रेटर ने फैसले को उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2019 में सही ठहराया है। प्रदान की गई राशि, दिनांक 15.03.2012 से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से है। तेउविबो की ओर से दावे की राशि आरबीट्रेटर को दी गई और तेउविबो ने दावे की राशि का केस दायर करना है।

3. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लॉरी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउविबो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढ़कर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित करने की मंजूरी द्वारा बीएलएल की इक्विटी की पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने को तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13 के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को सीसीई को भेजी गई स्वीकृति के अनुसार, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने सामान्य नियम एवं शर्तों में रियायत देते हुए बीएलएल को रुपये 86.65 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जिसमें से बीएलएल के बंद होने के कारण वीआरएस की लागत, सांविधिक देयताओं का भुगतान जैसेकि बीएलएल कर्मचारियों का बकाया वेतन, आकस्मिक देयतायें आदि प्रदान की जानी है। रुपये 86.65 करोड़ में से, ओआईडीबी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 71.77 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 14.88 करोड़ रुपये बीएलएल को जारी किए हैं। कंपनी बंद करने के बाद बीएलएल की चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री की राशि, प्राप्ति के बाद ही आवश्यक प्रावधान किए जांएगे।

इसके अतिरक्ति, ओआईडीबी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान

27.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए (बीएलएल को बंद करने प्रक्रिया में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से ओआईडीबी अभिरक्षक के रूप में कार्य करेगा)।

ख) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड से वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2443 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख था। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित मामला पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य राशि दर्शायी गई है।

4. कर निर्धारण

चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

5. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

6. तुलनपत्र की अनुसूची 25 के महत्वपूर्ण लेखा नीति के खण्ड 6 के अनुसार बीएलएल से रूपये 95.24 लाख ब्याज को आय में नहीं दर्शाया गया है।

7. (i) आईसीएआई द्वारा जारी एएस.15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के लिए बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी के तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

8. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां लागू हो अनुपालन किया गया है।

9. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

10. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकडे को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0–
(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0–
(निरंजन कुमार सिंह)
सचिव

दिनांकः 19.08.2020
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक–1

(सन्दर्भः अनुसूची 26, नोट सं 4(क))

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–03–2020 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(रुपये लाख में)

विवरण	अनुसूची सं.	2019-20	2018-19
आय			
ब्याज आय	17	53900	54487
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	4477	553
योग		**58378**	**55040**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 & 24	32890	37483
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	480	619
प्रशासनिक खर्चे ?	21	1142	1044
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास रूपये 918	8	784	871
घटाएं– गत वर्ष चुकाया गया ऋण रूपये 134			
योग		**35296**	**40017**
वर्ष के लिए लाभ		**23082**	**15023**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**23082**	**15023**
घटाएं: कर के लिए प्रावधान		**8240**	**5363**
कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित		**14842**	**9660**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	**25 & 26**		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0–
(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0–
(निरंजन कुमार सिंह)
सचिव

दिनांकः 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक ।।
(सन्दर्भ : अनुसूची–11(ख)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2020 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	1.4.2019 को आरंभिक शेष	वर्ष 2019 –20 के दौरान संवितरित ऋण	वर्ष 2019–20 के दौरान वापस किए गए ऋण	31.03.2020 को अंतिम शेष
1	आईओसीएल	46063	15000	28281	32781
2	बीपीसीएल	135850	32825	49944	118731
3	एचपीसीएल	69238	230000	6119	293119
4	बीसीपीएल	120450	0	19414	101036
5	बीएलएल	8377	1488	0	9865
6	एमआरपीएल	26800	27100	0	53900
7	गेल गैस लिमिटेड	17478	0	2006	15472
8	सीपीसीएल	5000	30000	0	35000
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0	85000	0	85000
	कुल	**429255**	**421413**	**105764**	**744904**

अनुलग्नक – III (क)
सन्दर्भ अनुसूची 22

वर्ष 2019–2020 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाली तालिका

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		संस्थान का नाम	2019-20	2018-19
	क	**नियमित अनुदानी संस्थान**		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	19291	23899
2		पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ	6730	6095
3		उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान	1808	2058
4		पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	2261	2396
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	2165	2598
		कुल (क)	**32255**	**37046**
	ख	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**		
6		**आईओसीएल – स्मार्ट कार्ड परियोजना का कार्यान्वयन**	**0**	**197**
		योग (ख)	**0**	**197**
		योग (क+ख)	**32255**	**37243**

अनुलग्नक – III (ख)
(सन्दर्भ अनुसूची 22)

भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2019–20 के दौरान व्यय

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		संस्थान का नाम	2019-20	2018-19
1		इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड	635	225
2		पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय	0	15
3		हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी)	0	0
		कुल योग (ग)	**635**	**240**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–03–2020 को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्त आय और भुगतान

(रुपये लाख में)

प्राप्तियां	2019-20	2018-19	भुगतान	2019-20	2018-19
1. प्रारंभिक शेष			**1. खर्चे**		
(क) नकद	-	0.04	क) स्थापना व्यय	208.14	304.78
(ख) बैंक राशि			ख) प्रशासनिक व्यय	626.88	865.03
1) चालू खाता	-	-			
2) जमा खाता	-	-	**2.विभिन्न परियोजना के लिए राशि का भुगतान**		
3) बचत खाता	87.38	18,348.43	एचएसएससी को अनुदान	-	200.00
			आईएसपीआरएल को अनुदान	635.00	225.00
			पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय को अनुदान	-	15.00
2. प्राप्त अनुदान			सीएचटी को अनुदान सहायता	1,810.13	2,057.53
क) भारत सरकार से	-	-	डीजीएच को अनुदान सहायता	18,261.00	23,899.39
ख) राज्य सरकार से	-	-	ओआईएसडी को अनुदान सहायता	2,165.05	2,598.00
ग) अन्य स्त्रोतों से (विवरण)	-	-	पीसीआरए को अनुदान सहायता	6,730.00	6,095.00
			पीपीएसी को अनुदान सहायता	2,260.57	2,395.60
			आईओसीएल को अनुदान में सहायता	-	197.42
3. निवेश से आय					
क) चिह्नित / अक्षय निधि	8,23,215.07	12,27,808.00	**3. निवेश और जमा**		
ख) हमारी पूंजी (अन्य निवेश)	1,11,548.06	1,28,865.48	क) स्थाई जमा	5,25,085.00	12,15,044.51
			ख) स्वंय की निधि में से (अन्य निवेश)	4,21,413.53	1,69,330.44
4. प्राप्त ब्याज			**4. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य प्रगतित पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर	-	-	क) अचल संपतियों की खरीद	15.37	15.25
ख) ऋण अग्रिम आदि	41,891.01	25,433.00	ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	-	-
ग) बचत खाता	13.17	155.00			
घ) सावधि जमा पर	16,546.84	28,323.00	**5. अधिशेष राशि /ऋण की वापसी**		
			क) भारत सरकार को	-	-
			ख) राज्य सरकार को	-	-
5. अन्य आय			ग) अन्य प्रदाओं के लिए निधि	-	-
क) किराए से आय	451.7	397.00			
ख) स्थाई सम्पत्ति से	-	-	**6. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
ग) संस्थापन से	-	-			
घ) प्रशासन से	-	-	**7. अन्य भुगतान**		
ड़) डेटा बिक्री से	-	1.00	क) व्यावसायिक प्रावधान	-	-
			ख) अन्य देयताएं	9,000.27	6,082.62
6. उधार राशि					
ऋण और अग्रिम	-	-	**8. शेष राशि**		
			क) नकद	0.02	-
			ख) बैंक बैलेंस		
7. अन्य प्राप्तियों			1) चालू खाता	-	-
अक्षय अनुदान वापसी	3,047.05	42.00	2) जमा खाता	-	-
अन्य प्राप्तियां	-	-	3) बचत खाता	8,589.32	87.38
योग	9,96,800.28	14,29,372.95	**योग**	9,96,800.28	14,29,372.95

अध्याय 08

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन।

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते. उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. इस पृथक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमित्तता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण/प्रतिवेदनों/सीएंडएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

4. लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा वर्ष 2007 में भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे निरीक्षण में लगा कि तेउविबो द्वारा उचित लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं, कि:

लेखों पर टिप्पणियां :

(क) तुलनपत्र

क(1) देयताएं :– चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची –7) –: 11689.00 लाख रुपये

उपरोक्त उल्लिखित राशि में रुपये 67.00 लाख की कमी निम्न कारण से है :–

(i) वर्ष 2019–20 के आयकर के लिए प्रावधान में रुपये 43.00 लाख की कमी

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में ओआईडीबी के आय और व्यय खातों के अनुसार, 23082.00 लाख रुपये की राशि को 'व्यय से अधिक आय की शेष राशि' के अन्तर्गत दिखाया गया है। इस आय के आधार पर वर्ष 2019–20 में खातों में 8240.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2019–20 के लिए

23082 लाख का 30% = 6925 लाख+रुपये1039 (रुपये 6925 लाख का 15%) = रुपये 7964 लाख+ रुपये 319 (रुपये 7964 लाख का 4%) = रुपये 8283 लाख।

आयकर दरों के अनुसार, वर्ष 2019–20 के लिए ओआईडीबी पर उचित आयकर देयताएं 8283.00 लाख रुपये होनी चाहिए।

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा अनुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना के लिए 24.00 लाख रुपये की देनदारी का प्रावधान नहीं किया गया है।

एलआईसी से (फरवरी 2020) प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट/मांग पत्र के अनुसार ओआईडीबी को 174.00 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना था। हालांकि, लेखा परीक्षा में पाया गया कि ओआईडीबी ने उपरोक्त मांग में से केवल 150.00 लाख रुपये का ही भुगतान किया।

उपरोक्त देनदारियों के गैर–प्रावधानों के परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' में रुपये 67.00 लाख की अधिकता है।

क(2) अचल परिसम्पतियां (नेट ब्लॉक) (अनुसूची 8) : रुपये 8347.00 लाख

उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 101.00 लाख की अधिकता है, क्योंकि:–

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण से ओआईडीबी द्वारा अधिग्रहित भूमि का ऋटिपूर्ण लेखांकन

ओआईडीबी द्वारा ऋटिपूर्ण लेखांकन में भूमि लागत रुपये 940.00 लाख[#] (डीड पर आधारित भूमि मूल्य) की जगह 995.00 लाख ले ली गई थी, जिससे पट्टे पर ली गई जमीन का मूल्य रुपये 55.00 लाख अधिक हो गया।

(ii) नोएडा से ओआईडीबी द्वारा अधिग्रहित भूमि का ऋटिपूर्ण लेखांकन

लीज डीड के अनुसार रुपये 817.00 लाख का भुगतान नोएडा भूमि के लिए किया गया था। इसके अलावा भूमि के पंजीकरण के लिए स्टैम्प डयूटी के रूप में रुपये 83.00 लाख का भुगतान किया गया। इस तरह ओआईडीबी द्वारा रुपये 900.00 लाख रुपये लीज डीड के रूप में पूंजीगत किए जाने चाहिए थे लेकिन ओआईडीबी ने लेखो में इसे 946.00 लाख दर्शाया है इस वजह से भूमि का मूल्य 46.00 लाख रुपये अधिक हो गया।

भूमि पट्टे की लागत के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' में रुपये 101.00 लाख की अधिकता हो गई है।

क.3 निवेश–अन्य(अनुसूची–10) : रुपये 382621.00 लाख

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त राशि 4013.00 लाख अधिक हो गई है। परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' कथित राशि जितनी ही अधिक है।

पिछले वर्षों (2017–18 और 2018–19) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया है।

क.4 चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) : रुपये 803260.00 लाख

उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 11065.00 लाख की अधिकता है क्योंकि :

(i) मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए रुपये 1200 लाख के ब्रिज लोन का गैर–प्रावधान, हालांकि किश्तों का भुगतान नहीं आ रहा था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।

(ii) वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को

(विचार मूल्य: रुपये 8,98,04,935 + स्टाम्प शुल्क: रुपये 41,40,010 + पंजीकरण शुल्क का मूल्य: रुपये 50,000)

पूरा करने के लिए मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए 9865.00 लाख रुपये के ऋणों का प्रावधान नहीं किया गया है। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो पाएगी।

परिणामस्वरूप, "आय की व्यय से अधिकता" भी 11065.00 लाख रुपये अधिक हो गई है।

पिछले वर्षों (2017–18 और 2018–19) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

ख सामान्य

ख(1) हाइड्रोजन कॉर्पस फंड्स का गठन और उपयोग

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने जून 2003 में ओआईडीबी और तेल सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान से हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ) बनाने का निर्णय लिया। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना वर्ष 2004 में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड में ओआईडीबी ने 40 करोड़, आईओसी, ओएनजीसी और गेल प्रत्येक ने 16 करोड़ रुपये और बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक की ओर से 6 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

एचसीएफ में भाग लेने वाले संगठनों के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र में हाइड्रोजन अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों को करने के लिए सीएचटी को नोडल एजेंसी बनाया गया था। लेखा परीक्षक के प्रश्न के उत्तर में, प्रबंधन ने (सितंबर 2020) कहा कि एचसीएफ को सीएचटी में स्थानान्तरित करने का मामला ओआईडीबी बोर्ड में विचार विमर्श के लिए ले जाया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि निधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखा जाए।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2020 तक कॉर्पस फंड में रुपये 175.76 करोड़ की राशि जमा थी, जिसे ओआईडीबी के खातों के बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया है। इसके अलावा वर्ष 2019–20 के दौरान सीएचटी द्वारा केवल 2.25 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया। फंड के लिए कोई औपचारिक ऑडिट और जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है। इसमें शामिल यथेष्ट राशि को देखते हुए, हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की वित्तीय देखरेख करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का होना आवश्यक है।

इसके अलावा, चूंकि सभी परियोजनाओं को सीएचटी द्वारा किया जाना है, इसलिए ओआईडीबी को उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए फंड को सीएचटी के पास स्थानांतरित कर देना चाहिए।

पिछले वर्षों (2018–19) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड द्वारा एचसीएफ को उचित निगरानी और निधियों के बेहतर उपयोग के लिए सीएचटी को देने पर विचार नहीं किया गया।

ख(2) आईएसपीआरएल द्वारा अप्रयुक्त अनुदान की अ–प्रतिदेयता

ओआईडीबी ने आईएसपीआरएल को अनुदान के रूप में 635.00 लाख रुपये (नवम्बर 2019) क्रमशः चांदीखोल, उडीसा (4 एमएमटी) तथा पादुर कर्नाटक में (2.5 एमएमटी) में 6.5 एमएमटी के अतिरिक्त भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना के लिए जिसमें एसपीआर के लिए समर्पित सिंगल प्वाइंट मूरिंग का निर्माण तथा कैबिनेट स्वीकृति (जून 2018) के अनुसरण में संभावित निवेशकों के साथ रोड शो आयोजित करके परियोजना निष्पादन के पीपीपी मोड की संभावना खोजना शामिल है, जारी किए। अनुदान की नियम एवं शर्तों के अनुसार आईएसपीआरएल को अप्रयुक्त अनुदान को ओआईडीबी को वापस करना था।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आईएसपीआरएल ने 635.00 लाख रुपये के कुल अनुदान में से केवल 70.00 लाख रुपये का ही प्रयोग किया तथा शेष 535.00 लाख रुपये ओआईडीबी को वापस नहीं लौटाए।

इसके प्रति उत्तर में (अक्टूबर 2020) प्रबंधन ने बताया कि 360.00 लाख रुपये की राशि आईएसपीआरएल द्वारा 25 सितम्बर, 2020 को लौटा दी गई तथा सूचित किया गया कि 860.00 लाख रुपये के कुल अनुदान में से वह 399.00 लाख रुपये उपयोग हो चुका है तथा 100.00 लाख रुपये का भुगतान करने की प्रक्रिया में है।

हालांकि, अनुदान के लिए लिखित उद्घोषणा प्रपत्र (27.03.2019) के अनुसार निर्दिष्ट वर्ष या निर्दिष्ट अवधि के लिए दिया जाने वाला अनुदान या उसका कोई हिस्सा या अंश, यदि वर्ष या निर्दिष्ट अवधि के अंत में अनुपयोगी रह जाता है तो वह निरस्त हो जाएगा और उसके बाद, जब तक कि बोर्ड द्वारा कोई लिखित अनुमति नहीं दी जाती, उसे समर्पित कर ओआईडीबी को वापस कर दिया जाए। इसके अलावा अनुदान के लिए लिखित उदघोषणा पत्र (27.03.2019) के नियम 2(v) के अनुसार यदि अनुदान का अप्रयुक्त भाग समर्पित नहीं किया गया और समय पर बोर्ड को लौटाया नहीं गया तो उस पर 19.5 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाए।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2019–20 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(घ) प्रबंधन पत्र

वो कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें ठीक करने/उन पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड को एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

(अ) इस रिपोर्ट में अनुलग्नक में बनाए गए महत्वपूर्ण मामलों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

(vi) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(vii) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I में उल्लिखित विषय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहॉ तक यह दिनांक 31 मार्च 2020 को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों से है, उस दिन समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय के संबंध में है।

ह0/–
(तनुजा मित्तल)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई

अनुलग्नक–I

(संदर्भ अनुच्छेद 4(V) के संदर्भ में)

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2018–2019 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्म से कराई गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने वर्ष 2018–19 के दौरान तिमाही आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में खातों की जाँच/सत्यापन, अचल संपत्तियों का सत्यापन, ओआईडीबी द्वारा वितरित ऋण और अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों का सत्यापन शामिल हैं। हालांकि, फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों का ऑडिट शामिल नहीं है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित नहीं की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग की निगरानी की जा सके।
3.	अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	स्थाई संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्तन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को उचित तरीके से कायम नहीं किया जा रहा है।
4.	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	जैसाकि बताया व सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी कर तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था।

ह0/–

प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा

मुम्बई

ओआईडीबी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के खातों पर सी एंड एजी की लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियां और ओआईडीबी की ओर से उत्तर

टिप्पणियां	प्रत्युतर
(क) तुलनपत्र क(1) देयताएं :– चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची –7) –: 11689.00 लाख रुपये उपरोक्त उल्लिखित राशि में रुपये 67.00 लाख की कमी निम्न के कारण है :–	
(i) वर्ष 2019–20 के आयकर के लिए प्रावधान में रुपये 43.00 लाख की कमी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में ओआईडीबी के आय और व्यय खातों के अनुसार, 23082.00 लाख रुपये की राशि को 'व्यय से अधिक आय की शेष राशि' के अन्तर्गत दिखाया गया है। इस आय के आधार पर वर्ष 2019–20 में खातों में 8240.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2019–20 के लिए आयकर दरों के अनुसार, वर्ष 2019–20 के लिए ओआईडीबी पर उचित आयकर देयताएं 8283.00@ लाख रुपये होनी चाहिए।	खाता पुस्तिका में आयकर प्रावधान की गणना करते समय शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर से की गई गणना अज्ञानवश 6925.00 लाख रुपये यानि कर मूल्य पर हो गई, जबकि गणना कर मूल्य तथा उस पर लागू सरचार्ज पर की जानी चाहिए, जिससे 43 लाख रुपये का प्रावधान कम हो गया। यह सूचित किया जाता है कि यह केवल प्रावधान है, जब वास्तविक कर का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, तब इसे समायोजित कर लिया जाएगा। सामान्यतः कर का वास्तविक भुगतान आमतौर पर अंतिम आंकड़े से विभिन्न होता है। हालांकि लेखा परीक्षक की टिप्पण्यिों को भविष्य के सन्दर्भ में नोट कर लिया है।
(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा अनुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना के लिए 24.00 लाख रुपये की देनदारी का प्रावधान नहीं किया गया है। एलआईसी से (फरवरी 2020) प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट/मांग पत्र के अनुसार ओआईडीबी को 174.00 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना था। हालांकि, लेखा परीक्षा में पाया गया कि ओआईडीबी ने उपरोक्त मांग में से केवल 150.00 लाख रुपये का ही भुगतान किया। उपरोक्त देनदारियों के गैर–प्रावधानों के परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' में रुपये 67.00 लाख की अधिकता है।	भारतीय जीवन बीमा निगम से 174 लाख रुपये के लिए मांग पत्र आया था, हालांकि, उन्हें केवल 150 लाख रुपये का भुगतान किया गया। 174 लाख के लिए प्रावधान होना चाहिए था जब कि अनजाने में 150 लाख का प्रावधान कर लिया गया। शेष 24 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020–21 में पहले ही किया जा चुका है। जिसके लिए आयकर लाभ भी प्राप्त किया जाएगा। वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए आयकर व्यय की अधिकता को वर्ष 2020–21 में समायोजित किया जाएगा। अतः ओआईडीबी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।

@ 23082 लाख का 30% = 6925 लाख + रुपये 1039 (रुपये 6925 लाख का 15%) = रुपये 7964 लाख + रुपये 319 (रुपये 7964 लाख का 4%) = रुपये 8283 लाख।

क(2) अचल परिसम्पतियां (नेट ब्लॉक) (अनुसूची 8) : रुपये 8347.00 लाख

उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 101.00 लाख की अधिकता है, क्योंकि:–

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण से ओआईडीबी द्वारा अधिग्रहित भूमि का ऋटिपूर्ण लेखांकन

ओआईडीबी द्वारा ऋटिपूर्ण लेखांकन में भूमि लागत रुपये 940.00 लाख# (डीड पर आधारित भूमि मूल्य) की जगह 995.00 लाख ले ली गई थी जिसमें पट्टे पर ली गई जमीन का मूल्य रुपये 55.00 लाख अधिक हो गया।

रुपये 995 लाख का ब्यौरा निम्नानुसार है–:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	डीडीए की जमीन की लागत	9,26,67,367
2	स्टाम्प डयूटी/शुल्क	41,40,035
3	पंजीकरण/न्यायालय शुल्क	50,100
4	लीज रेंट में संशोधन	55,864
5	समय का विस्तार	4,87,500
6	लीज रेंट	21,45,000
	कुल	**9,95,45,866**

उपरोक्त के संबंध में, यह स्पष्ट है कि सभी खर्चे द्वारका भूमि से संबंधित है। कुछ खर्चे हो सकता है कि लीज दस्तावेजों का हिस्सा न हो, लेकिन यह द्वारका भूमि पर हुए खर्चे है, क्योंकि ये सभी पूर्व–प्रचालित खर्चे हैं।

(ii) नोएडा से ओआईडीबी द्वारा अधिग्रहित भूमि का ऋटिपूर्ण लेखांकन

लीज डीड के अनुसार रुपये 817.00 लाख का भुगतान नोएडा भूमि के लिए किया था। इसके अलावा भूमि के पंजीकरण के लिए स्टैम्प डयूटी के रूप में रुपये 83.00 लाख का भुगतान किया गया। इस तरह ओआईडीबी द्वारा रुपये 900.00 लाख रुपये लीज डीड के रूप में पूंजीगत किए जाने चाहिए थे लेकिन ओआईडीबी ने लेखो में इसे 946.00 लाख दर्शाया है इस वजह से भूमि का मूल्य 46.00 लाख रुपये अधिक हो गया।

946 लाख रुपये का ब्यौरा निम्नानुसार है–:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	नोएडा की भूमि की लागत	8,16,00,000
2	पंजीकरण के लिए गैर–न्यायिक स्टाम्प की लागत	83,30,160
3	अतिरिक्त आंबटित भूमि के लिए अग्रिम लीज किराया	67,069
4	अग्रिम लीज किराया की लागत	20,40,000
5	उप–रजिस्टरार कार्यालय शुल्क	5,100
6	बिल्डिंग परमिट शुल्क	12,27,000
7	कंपाउडिंग, विकास, बिल्डिंग के अतिरिक्त कवरेज के लिए संशोधन शुल्क	13,32,146
	कुल राशि	9,46,01,475

भूमि पट्टे की लागत के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' में रुपये 101.00 लाख की अधिकता हो गई है।

लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के संबंध में, भूमि की लागत रुपये 817 लाख है, यह सूचित किया जाता है कि भूमि की लागत 816 लाख है जो कि

(विचार मूल्य: रुपये 8,98,04,935. स्टाम्प शुल्क: रुपये 41,40,010. पंजीकरण शुल्क का मूल्य: रुपये 50,000)

	अनुलग्नक–I (1.3.2006 को 72,00,000/– और 27.04.2006 को 7,44,00,000/– रुपये का भुगतान किया गया) के रूप में संलग्न भुगतान विवरण के अनुसार है। इसके अलावा, पंजीकरण भूमि की स्टाम्प डयूटी ऑडिट द्वारा उल्लिखित 63 लाख रुपये के बजाय वास्तव में दिनांक 12.6.2006 को स्टाम्प डयूटी के लिए भुगतान की गई राशि 83,30,160/– थी। (भुगतान का विवरण फिर से अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है)। उपरोक्त लागत में से, ऑडिट द्वारा उल्लिखित भूमि की वास्तविक लागत रुपये 880 लाख के बजाय 899.30 लाख (मद सं. 1 से 2 तक) है। शेष 46.71 लाख (मद सं. 3 से 7 तक) की राशि भवन की लागत से संबंधित है। तदानुसार, अचल संपत्तियों (भूमि की लागत) का अधिक मूल्य रुपये 66 लाख न होकर 46.71 लाख है। आगामी वित्त वर्ष 2020–21 में 46.71 लाख की राशि का पूंजीकरण भूमि से हटाकर भवन निर्माण में कर दिया जाएगा। इसके अलावा, भूमि की संशोधित लागत के अनुसार, लीज भूमि के परिशोधन को भी अगले वित्तीय वर्ष के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
क.3 निवेश–अन्य (अनुसूची–10) : रुपये 382621.00 लाख आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त राशि 4013.00 लाख अधिक हो गई है। परिणामस्वरूप ''व्यय से अधिक आय'' कथित राशि जितनी ही अधिक है। पिछले वर्षों (2017–18 और 2018–19) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया है।	लेखा परीक्षा को पहले भी सूचित किया गया था कि मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल), ने दिनांक 17.06.2015 को पत्र संख्या बीएलएल/एमडी/डीसीओ/2015–16/017 द्वारा सूचित किया गया कि इस कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के सन्दर्भ में अक्टूबर 2015 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया गया था और इसको ध्यान में रखते हुए, कंपनी की पूंजी में कमी करने को रोक दिया गया। चूंकि पिछले ऑडिट के बाद से स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा को यह भी बताया गया था कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की 10.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ने सीसीईए का फैसला बीएलएल को पत्रसंख्या पी–25011/103/2018–एलपीजी (खण्ड–II) दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14.06.2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है। ओआईडीबी के पत्र दिनांक 7.10.2019 के माध्यम से लेखा परीक्षा को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था। इसलिए इस स्तर पर बीएलएल के कारण ओआईडीबी को हुआ कुल नुकसान अभी अनिश्चित है। दिनांक 19.03.2020 को हुई 100वीं बोर्ड की बैठक में, उक्त ऑडिट की टिप्पणियों के बारे में ओआईडीबी बोर्ड को अवगत करवाया था। बोर्ड ने निर्देश दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अवगत कराया जाए कि बीएलएल की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के बाद ही कंपनी को अंतिम रूप से बंद करने के पश्चात् आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बोर्ड को यह सूचित कर दिया गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में समुचित प्रकटन वार्षिक लेखा 2019–20 की अनुसूची 25 : लेखों पर टिप्पणियों में कर दिया गया है।

क.4 चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) : रुपये 803260.00 लाख	
उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 11065.00 लाख की अधिकता है क्योंकि :	
(i) मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए रुपये 1200 लाख के ब्रिज लोन का गैर–प्रावधान, हालांकि किश्तों का भुगतान आने वाला नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।	लेखा परीक्षा को यह भी बताया गया था कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की 10.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ने सीसीईए का फैसला बीएलएल को पत्रसंख्या पी–25011/103/2018–एलपीजी (खण्ड–II) दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14.06.2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है। ओआईडीबी के पत्र दिनांक 7.10.2019 के माध्यम से लेखा परीक्षा को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था। इसलिए इस स्तर पर बीएलएल के कारण ओआईडीबी को हुआ कुल नुकसान अभी अनिश्चित है। दिनांक 19.03.2020 को हुई 100वीं बोर्ड की बैठक में, उक्त ऑडिट की टिप्पणियों के बारे में ओआईडीबी बोर्ड को अवगत करवाया था। बोर्ड ने निर्देश दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अवगत कराया जाए कि बीएलएल की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के बाद ही कंपनी को अंतिम रूप से बंद करने के पश्चात् आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बोर्ड को यह सूचित कर दिया गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में समुचित प्रकटन वार्षिक लेखा 2019–20 की अनुसूची 25 : लेखों पर टिप्पणियों में कर दिया गया है।
(ii) वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए 9865.00 लाख रुपये के ऋण का प्रावधान नहीं है। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी। परिणामस्वरूप, "व्यय से अधिक आय" भी 11065.00 लाख रुपये अधिक हो गई है। पिछले वर्षों (2017–18 और 2018–19) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।	लेखा परीक्षा को यह भी बताया गया था कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की 10.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ने सीसीईए का फैसला बीएलएल को पत्रसंख्या पी–25011/103/2018–एलपीजी (खण्ड–प्) दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14.06.2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है। ओआईडीबी के पत्र दिनांक 7.10.2019 के माध्यम से लेखा परीक्षा को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था। इसलिए इस स्तर पर बीएलएल के कारण ओआईडीबी को हुआ कुल नुकसान अभी अनिश्चित है।

	दिनांक 19.03.2020 को हुई 100वीं बोर्ड की बैठक में, उक्त ऑडिट की टिप्पणियों के बारे में ओआईडीबी बोर्ड को अवगत करवाया था। बोर्ड ने निर्देश दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अवगत कराया जाए कि बीएलएल की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के बाद ही कंपनी को अंतिम रूप से बंद करने के पश्चात् आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बोर्ड को यह सूचित कर दिया गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में समुचित प्रकटन वार्षिक लेखा 2019–20 की अनुसूची 25 : लेखों पर टिप्पणियों में कर दिया गया है।
ख सामान्य **ख(1) हाइड्रोजन कॉर्पस फंड्स का गठन और उपयोग** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने जून 2003 में ओआईडीबी और तेल सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान से हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ) बनाने का निर्णय लिया। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना वर्ष 2004 में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड में ओआईडीबी ने 40 करोड़, आईओसी, ओएनजीसी और गेल प्रत्येक ने 16 करोड़ रुपये और बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक की ओर से 6 करोड़ रुपये का योगदान दिया। एचसीएफ में भाग लेने वाले संगठनों के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र में हाइड्रोजन अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों को करने के लिए सीएचटी को नोडल एजेंसी बनाया गया था। लेखा परीक्षक के प्रश्न के उत्तर में, प्रबंधन ने (सितंबर 2020) कहा कि एचसीएफ को सीएचटी में स्थानान्तरित करने का मामला ओआईडीबी बोर्ड में विचार विमर्श के लिए ले जाया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि निधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाए। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2020 तक कॉर्पस फंड में रुपये 175.76 करोड़ की राशि जमा थी, जिसे ओआईडीबी के खातों के बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया है। इसके अलावा वर्ष 2019–20 के दौरान सीएचटी द्वारा 2.25 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया। फंड के लिए कोई	उक्त टिप्पणी प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा, तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II द्वारा जारी प्रबंधन पत्र दिनांक 26.12.2018 में की गई थी। ओआईडीबी ने, दिनांक 06.05.2019 के पत्र के माध्यम से, टिप्पणियों का जवाब दिया था कि एचसीएफ के लिए नियमानुसार लेखा परीक्षा और जवाबदेही प्रणाली मौजूद है। ओआईडीबी ने बोर्ड को प्रबंधन पत्र और ओआईडीबी द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में भी सूचित किया था। हालांकि, हाड्रोजन कॉपर्स फंड को सीएचटी को स्थानान्तरित करने के संबंध में लेखा परीक्षा के सुझाव के अनुसार, ओआईडीबी के अपने पत्र दिनांक 21.02.2020 के माध्यम से सीएचटीको अनुरोध किया था कि वे ओआईडीबी द्वारा सीएचटी को एचसीएफ स्थानान्तरित करने पर अपनी टिप्पणियां दें। ताकि, एचसीएफ से संबंधित सभी कार्यों का सीएचटी द्वारा समन्वित तरीके और उचित निगरानी और उसके बेहतर उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। सीएचटी ने अपने पत्र दिनांक 26.02.2020 में टिप्पणी करते हुए कहा कि ''सीएचटी वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) के माध्यम से परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन का समन्वय जारी रख सकता है। हालांकि, सीएचटी में फंड प्रबंधन की बहुत सीमित योग्यता को ध्यान में रखते हुए और एक सक्षम और स्थापित फंडिग एजेंसी होने के नाते ओआईडीबी द्वारा फंड का लेखा जोखा रखने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखना उचित होगा। ओआईडीबी के पास व्यापक और उचित लेखांकन रखरखाव तथा लेखा परीक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक विशेषज्ञ भी उपलब्ध है''। अतः इस संबंध में समुचित तत्परता दिखाई गई है।

औपचारिक ऑडिट और जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है। इसमें शामिल यथेष्ट राशि को देखते हुए, हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की वित्तीय देखरेख करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का होना आवश्यक है। इसके अलावा, चूंकि सभी परियोजनाओं को सीएचटी द्वारा किया जाना है, इसलिए ओआईडीबी को उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए फंड को सीएचटी के पास स्थानांतरित कर देना चाहिए। पिछले वर्षों (2018–19) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड द्वारा एचसीएफ को उचित निगरानी और निधियों के बेहतर उपयोग के लिए सीएचटी को देने पर विचार नहीं किया गया।	लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षकों को सूचित किया गया, कि इस मामले को ओआईडीबी की दिनांक 19.03.2020 को आयोजित 100वीं बैठक में पुनः रखा गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर, कि ओआईडीबी को उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए हाइड्रोजन कॉर्पस फंड को सीएचटी में स्थानान्तरण करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि सीएचटी द्वारा सारी परियोजनाएं संचालित की जाती है, बोर्ड न यह पाया कि बेहतर फंड प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाए। वर्ष 2019–20 के वार्षिक खातों को पहले ही अंतिम रूप देकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑडिट कर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं और आयकर रिर्टन भर दी गई इसलिए उचित लेखांकन, लेखापरीक्षा तथा आयकर प्रणाली मौजूद है इसके ऑडिट को अवगत कराया गया है। चूकिं ओाआईडीबी बोर्ड बैठक में एचसीएफ को सीएचटी में स्थानान्तरित करने के मामले पर पहले ही विचार विमर्श किया जा चुका है तथा बोर्ड द्वारा बेहतर फंड प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
ख(2) आईएसपीआरएल द्वारा अप्रयुक्त अनुदान की अ–प्रतिदेयता ओआईडीबी ने आईएसपीआरएल को अनुदान के रूप में 635.00 लाख रुपये (नवम्बर 2019) क्रमशः चांदीखोल, उडीसा (4 एमएमटी) तथा पादुर कर्नाटक में (2.5 एमएमटी) में 6.5 एमएमटी के अतिरिक्त भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना के लिए जिसमें एसपीआर के लिए समर्पित सिंगल प्वाइंट मूरिंग का निर्माण तथा कैबिनेट स्वीकृति (जून 2018) के अनुसरण में संभावित निवेशकों के साथ रोड शो आयोजित करके परियोजना निष्पादन के पीपीपी मोड की संभावना खोजना शामिल है, जारी किए। अनुदान की नियम एवं शर्तों के अनुसार आईएसपीआरएल को अप्रयुक्त अनुदान को ओआईडीबी को वापस करना था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आईएसपीआरएल ने 635.00 लाख रुपये के कुल अनुदान में से केवल 70.00 लाख रुपये का ही प्रयोग किया तथा शेष 565.00 लाख रुपये ओआईडीबी को वापस नहीं लौटाए। इसके प्रति उत्तर में (अक्टूबर 2020) प्रबंधन ने बताया कि 360.00 लाख रुपये की राशि आईएसपीआरएल द्वारा 25 सितम्बर, 2020 को लौटा दी गई तथा सूचित किया गया कि 860.00 लाख रुपये के कुल अनुदान में से वह 399.00 लाख रुपये उपयोग कर चुका है तथा 100.00 लाख रुपये का भुगतान करने की प्रक्रिया में है।	इस पर ध्यान आकर्षित किया जाता है आईएसपीआरएल को जो निधियां जारी की गई वह उनकी अवश्यकता तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों पर आधारित थीं। चूंकि यह परियोजनाएं राष्ट्र की तेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हैं इस लिए ओआईडीबी के अपने पत्र दिनांक 14.09.2020 के अनुसरण में लेखा परीक्षा को सूचित किया था कि आईएसपीआरएल को कार्यालय पत्र 28.09.2020 के माध्यम से अप्रयुक्त अनुदान 5.65 करोड़ रुपये ब्याजसहित लौटाने का अनुरोध किया गया था। आईएसपीआरएल ने 25.09.2020 को ओआईडीबी के बैंक खाते में 3,59,78,313/– रुपये लौटा दिए तथा आईएसपीआरएल ने अपने पत्र सं.आईएसपीआरएल/वित्त/66 दिनांक 15 अक्टूबर 2020 में बताया कि 8.60 करोड़ रुपये की कुल प्राप्त अनुदान सहायता में से आईएसपीआरएल पहले ही 3.99 करोड़ का उपयोग कर चुका है तथा लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को करने की प्रक्रिया जारी है। आईएसपीआरएल वित्तीय वर्ष 2020–21 में ओआईडीबी को शेष बचे हुए अप्रयुक्त अनुदान की राशि चुका देगा। आईएसपीआरएल ने यह बाताया कि ओआईडीबी द्वारा प्रदान की गई धनराशि को चालू खाते में रखा गया है, अतः उस पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सचिव, ओआईडीबी ने लेखा परीक्षा के ऑडिट पैरा को अपने अर्द्धशासित पत्र दिनांक 20.11.2020 को अग्रेषित कर दिया है। और सीईओ एमडी, आईएसपीआरएल को सलाह दी है कि परियोजना के द्वितीय चरण के कार्य की वास्तविक प्रगति की उचित समीक्षा के बाद ही ओआईडीबी से अनुदान की मांग को यर्थाथवादी आधार पर उठाया जाए।

हालांकि, अनुदान के लिए लिखित उद्घोषणा प्रपत्र (27.03.2019) के अनुसार निर्दिष्ट वर्ष या निर्दिष्ट अवधि के लिए दिया जाने वाला अनुदान या उसका कोई हिस्सा या अंश, वर्ष या निर्दिष्ट अवधि के अंत में अनुपयोगी रह जाता है तो वह निरस्त हो जाएगा और उसके बाद, जब तक कि बोर्ड द्वारा कोई लिखित अनुमति नहीं दी जाती, उसे समर्पित कर ओआईडीबी को वापस कर दिया जाए। इसके अलावा अनुदान के लिए लिखित उदघोषण पत्र (27.03.2019) के नियम 2(V) के अनुसार यदि अनुदान का अप्रयुक्त भाग समर्पित नहीं किया गया और समय पर बोर्ड को लौटाया नहीं गया तो उस पर 19.5 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाए।	
ग. अनुदान सहायता वर्ष 2019–20 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।	वास्तविक स्थिति।

अनुलग्नक

(संदर्भ अनुच्छेद 4(V) के संदर्भ में)

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रत्युतर
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2019–2020 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकाउंटेट फर्मों द्वारा कराई गई। चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म ने वर्ष 2019–20 के दौरान तिमाही आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में खातों की जाँच/ सत्यापन, अचल संपत्तियों का सत्यापन, ओआईडीबी द्वारा वितरित ऋण और अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों का सत्यापन शामिल हैं। हालांकि, फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों का ऑडिट शामिल नहीं है।	ओआईडीबी ने लेखा और कर संबंधी मामलों के निर्धारण और ओआईडीबी को परामर्श सेवाओं से संबंधित सहायता एवं सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स सुशील गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सीएंडएजी के मानदंडों और आईसीएआई के लेखा मानको के अनुसार तैयार किए गए हैं। यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा अनुबंध में ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों के ऑडिट सहित सभी आंतरिक ऑडिट पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। हालांकि वित्त वर्ष 2020–21 में नए टेंडर को अंतिम रूप देते समय कार्य आबंटन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके।	ओआईडीबी द्वारा अपने अनुदानी संस्थान को जारी किए गए अनुदान का मुख्य हिस्सा, वेतन और भत्ते, कार्यालय व अन्य प्रशासनिक व्ययो की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होता हैं। अनुदान के समुचित उपयोग की निगरानी के संबंध में, अनुदान प्राप्त संस्थानों को ओआईडीबी द्वारा तैयार निर्धारित प्रपत्र में, अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है। जिसमें विगत माह में किए गए शीर्ष मद–वार अनुमोदित बजट तथा व्यय का विवरण तथा चालू माह की मांग का लेखा जोखा होता है। सभी प्रकार के प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और अनुदान जारी करने से पूर्व शीर्ष वार अनुमोदित बजट के अनुसार जांच की जाती है। इन विवरणों की जांच ओआईडीबी को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि न तो बजट अनुदान से अधिक व्यय किया गया है और न ही निधियों की निष्क्रियता रही है क्योंकि विगत माह तक प्राप्त अनुदान के उपयोग की प्रगति पर ही वर्तमान अनुदान निर्भर करते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में, खातों के लेखा परीक्षित विवरणों के साथ जीएफआर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। बोर्ड की विभिन्न बैठकों में अनुदान की स्थिति से अवगत कराया जाता है, इसके अलावा सभी अनुदान प्राप्त संगठनों के बजट प्रावधानों को ओआईडीबी द्वारा अनुमोदित करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है। इन संगठनों की गतिविधियां भी ओआईडीबी की वार्षिक रिपोर्ट में चित्रों सहित शामिल की जाती हैं। इसके अलावा इन संगठनों की लेखा परीक्षा समय–समय पर सीएण्डएजी द्वारा की जाती है।

3.	**अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली** अचल संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्यतन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को कायम किया जा रहा है। हालांकि वर्ष 2019–20 का अचल संपति रजिस्टर अद्यतन अपडेट नहीं किया गया है।	कोविड–19 महामारी और देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण, वर्ष 2019–20 के लिए अस्थाई संपति के भौतिक सत्यापन से संबंधित कार्य पूरा नहीं किया जा सका। यह कार्य अभी प्रगति पर है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
4.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** जैसाकि बताया व सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था।	सभी कर और वैधानिक देय राशियों का समय पर भुगतान कर दिया जाता है।

अध्याय
09

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्बस लिमिटेड(आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे

निदेशक मंडल

डॉ. एम. एम. कुट्टी	अध्यक्ष	(18.07.2018 से)
श्री राजीव बंसल	निदेशक	(17.02.2020 तक)
श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक	(01.01.2020 से)
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	निदेशक	(11.09.2019 तक)
श्री निरंजन कुमार सिंह	निदेशक	(01.01.2020 से)
श्री बी. एन. रेड्डी	निदेशक	(09.04.2019 से)
श्री एच. पी. एस. आहुजा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(02.06.2017 से)
श्रीमती किरन वासुदेवा	निदेशक	(31.05.2019 से)
सुश्री इंद्राणी कौशल	निदेशक	(01.08.2019 से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.पी.एस. आहूजा

कंपनी सचिव
श्री अरूण तलवार

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स गोयल एंड गोयल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स
कार्पोरेशन बैंक
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110 001
फोन : 011–23412278

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन न. : 91–120–2594661, फैक्स न. : 91–120–2594643
वेबसाईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापट्टनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापट्टनम्–530 005

मंगलौर परियोजना कार्यालय
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574142

पादुर परियोजना कार्यालय
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106, कर्नाटक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षित का लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 16वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	विवरण	(₹ लाख में)	
		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1	सकल अचल परिसंपत्तियां (मूर्त एवं अमूर्त)	3,74,309.26	3,60,613.79
	घटाएं : संचित मूल्यह्रास	28,692.11	18,268.25
	निवल अचल परिसंपत्तियां	**3,45,617.15**	**3,42,345.55**
2	कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	694.15	13,132.38
3	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	78,041.66	11,483.12
	कुल परिसंपत्तियां	**4,24,352.96**	**3,66,961.05**
4	संचित हानियों सहित कुल इक्विटी	3,44,103.18	3,54,265.82
5	कुल गैर वर्तमान देयताएं	870.14	170.45
6	कुल वर्तमान देयताएं	79,379.64	12,524.78
	कुल देयताएं	**4,24,352.96**	**3,66,961.05**
7	कुल आय	464.22	345.58
8	मूल्यह्रास सहित कुल व्यय	10,624.11	7,062.26
	वर्ष के लिए निवल हानि (6) – (7)	**-10,159.89**	**-6,716.68**
9	चरण-II की परियोजना के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान	635.00	225.00
10	देय भुगतान के लिए प्रावधान सहित चरण-II के तहत वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	89.68	205.73

कार्य–निष्पादन समीक्षा

आपकी कंपनी को 5.33 एमएमटी कच्चे तेल का भंडार (इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ आनुपातिक लागत हिस्सेदारी के आधार पर 0.30 एमएमटी का भंडार शामिल है) स्थापित करने का आदेश दिया गया है। सामरिक भंडारणों को सृजित करने के लिए चुने गए स्थल हैं; विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी)। सितंबर 2005 की कीमतों पर रणनीतिक भंडारण की सुविधाओं के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत मूल रूप से ₹ 2,397 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तीनों स्थानों के लिए आरसीई इस प्रकार हैं : विशाखापट्टनम – ₹1,178.35 करोड़, मंगलौर – ₹1,227 करोड़ और पादुर – ₹1,693 करोड़। इस प्रकार, इन परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत ₹4098.35 करोड़ है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, विशाखापट्टनम में 0.3 एमएमटी के कंपार्टमेंट को छोड़कर पूँजीगत लागत को ओआईडीबी के पास उपलब्ध मौजूदा निधियों से वहन किया जाएगा, जिसे आनुपातिक लागत हिस्सेदारी के आधार पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि सामारिक भंडारणों के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

आपकी कंपनी ने तीन स्थानों पर सभी सुविधाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है जो एसपीआर के चरण–I के सफल समापन का द्योतक है।

सभी तीनों स्थलों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता: 1.33 एमएमटी)

बोर्ड सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्न है कि 2015 में विशाखापट्टनम कैवर्न चालू किया गया था। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं – कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3 एमएमटी)। कैवर्न ए स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल के लिए है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के माध्यम से भरा गया है। एचपीसीएल ने आनुपातिक लागत हिस्सेदारी के आधार पर कैवर्न बी को ग्रहण किया है। एचपीसीएल द्वारा विशाखापट्टनम में अपनी रिफाइनरी के प्रचालनों के लिए इसका नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

विशाखापट्टनम संयंत्र का दृश्य

2. मंगलौर (भंडारण क्षमता: 1.5 एमएमटी)

बोर्ड सदस्यों को यह बताते हुए भी प्रसन्न है कि अक्टूबर 2016 में मंगलौर कैवर्न के दोनों कंपार्टमेंट चालू हो गए थे। कैवर्न बी को सरकारी कच्चे तेल से भरा गया है।

कैवर्न–ए को एडीएनओसी के कच्चे तेल से भरा गया है। एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार, इस कैवर्न को भरने के लिए कच्चा तेल एडीएनओसी द्वारा भरा गया है।

सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार, मंगलौर और पादुर में आईएसपीआरएल के कैवर्न में भंडारित कच्चे तेल को प्रतिस्थापन आधार पर एमआरपीएल में स्थानांतरित किया गया। एमआरपीएल ने कच्चे तेल की जो खपत की थी उसके लिए प्रतिस्थापन के रूप में उसने बाद में आईएसपीआरएल के लिए कच्चे तेल की खरीद की है। एमआरपीएल द्वारा खरीदा गया कच्चा तेल फरवरी और मार्च 2020 के दौरान पादुर में प्राप्त किया गया है।

वर्ष के दौरान, एचपीसीएल वाईजैग को डीएएस क्रूड 8,68,591 बीबीएलएस का पहला सफल वाणिज्यिक लेनदेन दिसंबर 2019 से आईएसपीआरएल मैंगलोर द्वारा एडीएनओसी के लिए किया गया, इसके बाद एमआरपीएल ने एडीएनओसी से 1,93,8812 बीबीएलएस क्रूड खरीदा जिसे मंगलौर कैवर्न ए से स्थानांतरित किया गया।

करार के अनुसार, एडीएनओसी ने दो जहाजों के माध्यम से मैंगलोर में 6 से 10 मई 2020 के बीच डीएएस क्रूड की उपरोक्त मात्रा की भराई की।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एसपीआर मंगलौर और पादुर राष्ट्र को समर्पित किया गया।

3. पादुर (भंडारण क्षमता: 2.5 एमएमटी)

मंगलौर के कैवर्न बी में उपलब्ध कच्चे तेल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) को स्थानांतरित करके दिसंबर 2018 में पादुर कैवर्न परियोजना सफलतापूर्वक चालू कर दी गई है।

पादुर की सुविधा में चार कंपार्टमेंट हैं यानी कैवर्न ए, कैवर्न बी, कैवर्न सी और कैवर्न डी जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 0.625 एमएमटी है, जिसकी कुल क्षमता 2.5 एमएमटी है। इस समय सभी चारों कंपार्टमेंट कच्चे तेल से भरे हुए हैं।

हालांकि, लॉक–डाउन की अवधि के दौरान, पादुर के कैवर्न सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों से खरीदे गए कच्चे तेल से भरे गये हैं।

आईएसपीआरएल, पादुर

पादुर का शाफ्ट क्षेत्र

4. सामरिक भंडारण कार्यक्रम का चरण–II

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो स्थानों ओडिशा के चंडीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर (2.5 एमएमटी) में 6.5 एमएमटी के सामरिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन'' प्रदान किया, जिसमें दो एसपीआर के लिए समर्पित एसपीएम भी शामिल हैं। "सैद्धांतिक अनुमोदन'' भारत सरकार की बजटीय सहायता को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना शुरू करने के लिए है। आईएसपीआरएल वित्तीय निवेशकों / ट्रेडर्स / घरेलू एवं विदेशी तेल शोधन एवं विपणन कंपनियों / बड़ी निर्माण कंपनियों / संप्रभु संपदा निधियों जैसे प्रत्याशित साझेदारों के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत इन एसपीआर का निर्माण करने के विकल्प की तलाश कर रहा है। यह चरण–II के तहत विकसित किए जाने के लिए परिकल्पित पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं के निर्माण, भराई और प्रचालन के लिए इन साझेदारों के साथ रियायत करार करने की योजना बना रहा है।

आईएसपीआरएल ने इच्छुक तेल और अवसंरचना कंपनियों के साथ उपयुक्त वित्तीय मॉडल तैयार करने के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में मैसर्स डेलोइट और कानूनी सलाहकार के रूप में मैसर्स डीएसके लीगल को नियुक्त किया गया है। रोड शो के दौरान प्रत्याशित निवेशकों के साथ बातचीत और फीडबैक के आधार पर, पीपीपी प्रणाली पर चरण–II के एसपीआर के निर्माण के लिए आरएफक्यू दस्तावेज पीपीपीएसी अनुमोदन के लिए नीति आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

नीरी नागपुर को चरण–II की एसपीआर परियोजना के तहत चंडीखोल और पादुर में क्रूड ऑयल के प्रस्तावित अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न स्टोरेज के लिए जोखिम आकलन एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। एनईईआरआई की टीम ने डेटा संग्रह और अध्ययन करने के लिए दोनों साइटों का दौरा किया था और अब एनईईआरआई द्वारा आईएसपीआरएल को समीक्षा के लिए अंतिम ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को पादुर में एसपीएम और संबद्ध पाइपलाइन कार्य के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

कोविड–19

मार्च, 2020 के महीने में, कोविड–19 महामारी तेजी से वैश्विक संकट के रूप में विकसित हुई, जिसने सरकार को अधिकांश गतिविधियों पर लॉकडाउन लागू करने के लिए मजबूर कर दिया। इस महामारी के परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें नीचे गिर गईं। भारत सरकार ने इस अवसर को भांपते हुए कच्चे तेल की खरीद के लिए तुरंत धन आवंटित किया और ओएमसी को एसपीआर भरने की सलाह दी। एमआरपीएल और अन्य ओएमसी के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके ओएमसी द्वारा कच्चे तेल की खरीद करने और एसपीआर भरने की पूरी गतिविधि को सीवनरहित ढंग से पूरा कर लिया गया। 8 अप्रैल से 16 मई, 2020 के दौरान कच्चे तेल के कुल 13 जहाज प्राप्त किए गए, जिसके परिणामस्वरूप एसपीआर भर गए। कंपनी के लिए, काम करने वाले सभी कर्मियों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने और साइट कार्यालयों सहित कंपनी की गतिविधियों में व्यवधान को कम करने पर तुरंत ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सावधानियों का सख्ती से पालन किया गया।

लॉकडाउन अवधि के दौरान कम कीमतों पर कच्चे तेल की खरीद के कारण लगभग रु. 5,000/– (पांच हजार रुपये) करोड़ की बचत की गई।

लाभांश

आपका निदेशक मंडल 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

आरक्षित को अंतरण

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान हुए घाटे को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के रिजर्व्स में अंतरित कर दिया गया है।

सार्वजनिक जमा

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी ने आम जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किया है और तदनुसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड ने लेखा–परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री राजेश अग्रवाल

अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल – अध्यक्ष

(ii) श्री एच. पी. एस. आहुजा

मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल – सदस्य

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुबंध–I** में दी गई हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, एनआरसी में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री बी. एन. रेड्डी – अध्यक्ष

संयुक्त सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच. पी. एस. आहुजा – सदस्य

मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुबंध–I** में दी गई हैं।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर कोई धन खर्च नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया है।

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुबंध–I** में दी गई हैं।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में, वार्षिक विवरणी का सार **अनुलग्नक–क** में फार्म नंबर एमजीटी–9 के रूप में संलग्न है।

बोर्ड की बैठकें

वित्त वर्ष 2019–20 में कंपनी के निदेशक मंडल की तीन बैठकें हुईं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

1) 24 जून, 2019

2) 6 सितंबर, 2019

3) 1 जनवरी, 2020

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुबंध–I** में दी गई हैं।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है, जिसके संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी की निरंतर सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनी के प्रचालनों से जुड़े जोखिम की पहचान करने और जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से जुड़े प्रमुख जोखिम कच्चे तेल की प्राप्ति और भंडारण एवं वितरण से संबंधित हैं। मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और पर्याप्त बीमा कवर अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे :

(क) मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक – श्री एच. पी. एस. आहुजा

(ख) मुख्य वित्त अधिकारी – श्री गौतम सेन

(ग) कंपनी सचिव – श्री अरुण तलवार

पारिश्रमिक

मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक को छोड़कर आईएसपीआरएल के बोर्ड के सभी निदेशक पदेन निदेशक हैं जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदेन निदेशक को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक तथा केएमपी सहित कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र के पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर हैं। मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक जो ओएनजीसी से प्रतिनियुक्ति पर आए थे, 31 अक्टूबर, 2019 को ओएनजीसी से सेवानिवृत्त हो गए एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक के रूप में आईएसपीआरएल के साथ बने रहे।

भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्त वर्ष जिससे तुलन पत्र संबंधित है, के समापन और रिपोर्ट की तारीख के बाद कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण एवं सामग्री आदेशों का विवरण जिनसे भविष्य में सतत प्रतिष्ठान स्तर और कंपनी के प्रचालन प्रभावित होंगे

नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जिनसे भविष्य में सतत प्रतिष्ठान स्तर और कंपनी के प्रचालन प्रभावित होंगे।

सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी के पास कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनी नहीं है।

लागत लेखा–परीक्षा

अधिनियम की धारा 148 के संदर्भ में, कंपनी को किसी लागत लेखाकार से लागत के अपने रिकॉर्डों की लेखा–परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है।

लेखा परीक्षक

<u>वैधानिक लेखा परीक्षा</u> :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एडं ए जी) ने मैसर्स गोयल एंड गोयल (डीई0577), नई दिल्ली को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है (**अनुलग्नक–ख**)। शेयरधारकों को संबोधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कोई शर्त नहीं है।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत सी एंड एजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की गई। वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी के कोई महत्वपूर्ण अवलोकन नहीं हैं।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा :

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स एस. एन. अग्रवाल एंड कंपनी, पूर्णकालिक प्रैक्टिस में कंपनी सचिव (सी पी नंबर 3581) को सचिवीय लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **(अनुबंध–ग)** के रूप में संलग्न किया गया है। शेयरधारकों को संबोधित लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में कोई शर्त नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, अनुसंधान और विकास तथा निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

कंपनी ने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर कैवर्न को चालू कर दिया है। ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेश के संबंध में प्रकाशित करने के लिए कंपनी के पास कोई सूचना नहीं है।

कंपनी को वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं हुई है। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुल ₹15.29 करोड़ की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रण

कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किये हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013" में निहित सभी पहलुओं को शामिल करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं इससे संबंधित या इससे आनुषंगिक मामलों की रोकथाम के लिए कंपनी की एक नीति है। कंपनी ने उक्त अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को उक्त अधिनियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

बोर्ड का मूल्यांकन

आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन नीति के अनुसार बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

वर्ष 2019–20 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा कोई ऋण/गारंटी नहीं दी गई या कोई निवेश नहीं किया गया।

संबंधित पक्ष कारोबार

सभी संबंधित पक्ष कारोबार ओआईडीबी द्वारा इक्विटी पूंजी भागीदारी और मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक आईएसपीआरएल, मु.वि.अ., आईएसपीआरएल और कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान तक ही सीमित थे। संबंधित पक्षों के साथ ये संव्यवहार व्यापार के समान्य सचालन के दौरान किए गए आर्मस लैंथ (Arm's Length) के आधार पर हैं एवं सामग्री के आधार पर नहीं है।

सचिवालयी मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

इंस्टीटयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीस ऑफ इड़िया द्वारा निर्धारित सचिवालयी मानकों का कम्पनी द्वारा पूर्णतया पालन किया जाता है।

कम्पनी की वार्षिक विवरणी की एक प्रति कम्पनी की वेबसाईट www.isprlindia.com पर रखी जायेगी।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत आवश्यक है, आपकी कंपनी का निदेशक मंडल इसके द्वारा बयान करता है और पुष्टि करता है कि :

(क) वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी है तथा उनका लगातार प्रयोग किया है एवं ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन तैयार किए हैं जो 31 मार्च, 2020 को कंपनी के मामलों तथा उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि के बारे में सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत एवं समीचीन हैं;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जांच के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा लेखांकन के पर्याप्त रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ''सतत प्रतिष्ठान'' आधार पर लेखा तैयार किया है;

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने समुचित प्रणालियां तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं;

निदेशक मंडल

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में पांच अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं एमडी शामिल हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

1. डॉ. एम. एम. कुट्टी (डीआईएन – 01943083), सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष
2. श्री राजेश अग्रवाल (डीआईएन – 03566931), अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक
3. श्री बी. एन. रेड्डी (डीआईएन – 08389048), संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

4. श्री निरंजन कुमार सिंह (डीआईएन – 03361541), सचिव, ओआईडीबी – निदेशक
5. सुश्री इंद्राणी कौशल (डीआईएन – 02091078), आर्थिक सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक
6. श्री एच. पी. एस. आहुजा (डीआईएन – 07793886), मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

01 अप्रैल, 2019 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री बी. एन. रेड्डी (डीआईएन – 08389048), संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल (09/04/2019 से नियुक्ति)
2. श्रीमती किरण वासुदेवा (डीआईएन – 06419718), निदेशक (जीपी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल (31/05/2019 से समाप्ति)
3. सुश्री इंद्राणी कौशल (डीआईएन – 02091078), आर्थिक सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल (01/08/2019 से नियुक्ति)
4. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (डीआईएन –07464700), सचिव, ओआईडीबी / निदेशक, आईएसपीआरएल (11/09/ 2019 से समाप्ति)
5. श्री राजेश अग्रवाल (डीआईएन – 03566931), अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल (01/01/2020 से नियुक्ति)
6. श्री निरंजन कुमार सिंह (डीआईएन – 03361541), सचिव, ओआईडीबी / निदेशक, आईएसपीआरएल (01/01/2020 से नियुक्ति)
7. श्री राजीव बंसल (डीआईएन – 00245460), अतिरिक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल (17/02/2020 से समाप्ति)

अभिस्वीकृति

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(बी. एन. रेड्डी)	**(एच. पी. एस. आहुजा)**
निदेशक	**सीईओ एवं एमडी**
(डीआईएन # 08389048)	**(डीआईएन # 07793886)**

दिनांक : 11 नवम्बर, 2020

स्थान : नई दिल्ली

(अनुलग्नक–I)

बोर्ड की समितियों और बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा और निदेशकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में भाग ली गई बैठकों की संख्या

लेखा–परीक्षा समिति :

लेखा–परीक्षा समिति की वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान तीन बैठकें हुई थी। ये बैठकें 10 जून, 2019, 26 अगस्त, 2019 और 10 दिसम्बर, 2019 को आयोजित की गई थी। लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष	3
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	3

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एनआरसी की दो बैठकें हुई थी। ये बैठक 11 जून, 2019 और 12 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी। एनआरसी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री बी. एन. रेड्डी	अध्यक्ष	2
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	2

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

निदेशक मंडल :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की तीन बैठकें हुई जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है –

(i) 24/06/2019
(ii) 06/09/2019
(iii) 01/01/2020

निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग ली गई बैठकों की संख्याः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या
1.	डॉ. एम.एम. कुट्टी (30.04.2020 से समाप्ति)	अध्यक्ष	3
2.	श्री राजीव बंसल (17.02.2020 से समाप्ति)	निदेशक	3
3.	श्री राजेश अग्रवाल (01.01.2020 से नियुक्त)	निदेशक	1
4.	श्री बी.एन रेड्डी (09.04.2019 से नियुक्त)	निदेशक	3
5.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (11.09.2019 से समाप्ति)	निदेशक	1
6.	श्री निरंजन कुमार सिंह (01.01.2020 से नियुक्त)	निदेशक	1
7.	सुश्री इंद्राणी कौशल (01.08.2019 से नियुक्त)	निदेशक	2
8.	श्रीमती किरन वासुदेवा (31.05.2019 से समाप्ति)	निदेशक	--
9.	श्री एच.पी.एस आहुजा	सीईओ एवं एमडी	3

अनुलग्नक–क

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

i) सीआईएन : U63023DL2004GOI126973

ii) पंजीकरण तिथि–16 जून, 2004

iii) कंपनी का नाम – इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी – गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे – 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001, टेलीफोन : 011–23412278, 0120–2594661 फैक्स : 0120–2594643

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है – नहीं

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो – लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में सामरिक खनिज तेल भंडारण कैवर्नों का निर्माण, कैवर्नों का प्रचालन और कैवर्न में खनिज तेल की अभिरक्षा।

क्रम सं.	नाम और मुख्य उत्पादों/सेवाओं का विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	खनिज तेल कैवर्नों सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण	43900 52109	--
2.	--	--	--

III. धारक कंपनी के ब्यौरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	पैन नम्बर	धारक / अनुषंगी / एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1.	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी)	AAAJO0032A	धारक	100	2(46)

IV. शेयर धारित पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) कारपोरेट निकाय	374.84	-	374.84	100	377.59	शून्य	377.59	100	0.73
ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क) (1) :–	**374.84**	**शून्य**	**374.84**	**100**	**377.59**	**शून्य**	**377.59**	**100**	**0.73**
(2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य – व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कारपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (क) (2) :–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2)	**374.84**	**शून्य**	**374.84**	**100**	**377.59**	**शून्य**	**377.59**	**100**	**0.73**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (1) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) कारपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ₹1 लाख तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) ₹1 लाख से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख) (2) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) जीडीआर और एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल जोड (क+ख+ग)	**374.84**	शून्य	**374.84**	**100%**	**377.59**	शून्य	**377.59**	**100%**	**0.73**

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधरिता

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम*	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भाराक्रांत रखे गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भाराक्रांत रखे गए शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर धारिता के % मे परिवर्तन
1	तेल उद्योग विकास बोर्ड							
	कुल	374.84	100	शून्य	377.59	100	शून्य	0.73

* तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के अतिरिक्त, कंपनी के 6 अन्य शेयरधारक हैं, जो ओआईडीबी के नामिति हैं, प्रत्येक ने एक शेयर धारित किया है। अन्य 6 शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. श्री गणेश चन्द्र डोभाल
2. श्री राजेश कुमार सैनी
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्रीमती ज्योति शर्मा
5. श्री एम.एस. चौहान
6. श्री राजेश मिश्रा

(iii) प्रर्वतकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	**374.84**	100	**374.84**	100
	वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान शेयरों का आवंटन	वित्तीय वर्ष 2019–20 में शेयरों का आवंटित कुल			
	i) 2,75,00,000	2.75 करोड़			
	वर्ष के अंत में	**377.59**	100	**377.59**	100

(iv) **दस शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रर्वतकों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) :**

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	10 शीर्ष शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथकीकरण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता :**

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी का कारण निर्दिष्ट करते हुए (जैसे की आवंटन / अतंरण / बोनस / स्वेट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोदभूत ब्याज किंतु भुगतान हेतु देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण (लाख रूपये में)	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	एमडी / डब्ल्यूटीडी का नाम	कुल राशि (₹ लाख में)
		श्री एच.पी.एस आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक*	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	₹ 61.03 (क+ख+ग)	₹ 61.03 (क+ख+ग)
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें...	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (क)	₹ 61.03	₹ 61.03
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	₹ 155.26	₹ 155.26

*अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोटस के आधार पर

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशकों का नाम		कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-
	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (ख) = (1+2)	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			₹ 61.03
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			₹ 155.26

ग. एमडी / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			(₹ लाख में)
		सीईओ	सीएफओ*	कंपनी सचिव*	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	पहले ही तालिका में क्रम सं. क में कवर किया जा चुका है।	₹ 63.31 (क+ख+ग)	₹ 45.54 (क+ख+ग)	₹ 108.85
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य , निर्दिष्टि करें...				
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे				
	कुल		₹ 63.31	₹ 45.54	₹ 108.85

***अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोट्स के आधार पर**

VII. जुर्माना/दंड/शमन शुल्क का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई जुर्माना/दंड/शमन शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ख. निदेशक					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--

अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिर्जव्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिर्जव्स लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में लेखांकन के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाहों की सच्ची एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

विचारों का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एस एज) के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां' नामक खंड में भी किया गया है। नैतिकता की आवश्यकताओं जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संगत हैं, के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसरण में हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता संहिता के अनुसरण में नैतिकता की अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

प्रबंधन तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिशासन का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इंड एएस तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन के मानकों सहित भारत में लेखांकन के अन्य सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस

जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में लेखांकन के पर्याप्त रिकार्ड रख–रखाव करना लेखांकन की उपयुक्त नीतियों का चयन करना और लागू करना युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिजाइन तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन के संगत रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहे थे जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की कंपनी की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने, सतत प्रतिष्ठान के संबंध में यथालागू प्रकटन करने तथा लेखांकन के सतत प्रतिष्ठान आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त नहीं करना चाहता है या प्रचालन बंद नहीं करना चाहता है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर वित्तीय विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस एज के अनुसरण में संचालित लेखा परीक्षा हमेशा किसी सामग्री मिथ्या वर्णन का पता लगाएगी जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा तब सामग्री माने जाते हैं जब व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की तर्कसंगत रूप से उम्मीद हो सकती है। इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट का **''अनुबंध क''** भी देखें।

अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हम **''अनुबंध ख''** में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक विवरण प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

   (ङ) निदेशकों से 31 मार्च, 2020 तक लिखित रूप में प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशकों में से कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में **''अनुबंध ग''** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) यथासंशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

हमारी राय में एवं हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में एवं हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसरण में तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी के उत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं थी जिसके लिए कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति हुई।

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जानी थी।

अधिनियम की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) सूचना प्रौधिोगिकी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन के सभी लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए कंपनी ने प्रणाली स्थापित की है।

(ख) ऋण चुकता करने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है या कर्जों / ऋणों / ब्याज आदि के छूट / बट्टे खाते का कोई मामला नहीं है।

(ग) केंन्द्र सरकार /राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों को उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकित / प्रयुक्त किया गया है।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000066N
शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 502897
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18 अगस्त, 2020
यूडीआईएनः 20502897AAAABF4293

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–क"

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों से संबंधित रिपोर्ट

एसएएज़ के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और संपूर्ण लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के वास्तविक मिथ्या वर्णन के जोखिमों की भी पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित एवं निष्पादित करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी वास्तविक मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा से संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के सतत सरोकार आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की सामर्थ्य पर वास्तविक संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटन पर हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटन पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण सतत प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को ऐसे ढंग से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- हम अभिशासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखा परीक्षा के नियोजित कार्य क्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संचार करते हैं।

हम अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की उम्मीद होगी।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000066N

शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 502897

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18 अगस्त, 2020
यूडीआईएन : 20502897AAAABF4293

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–ख"

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक बी के संदर्भ में, हम निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं:

i. क) कंपनी ने मात्रात्मक ब्यौरा तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से अचल परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता है, जो कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में तर्कसंगत है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भी सामग्री विसंगति नहीं देखी गई।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख पादुर में 3.09 एकड़ भूमि जिसके लिए स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है, को छोड़कर कंपनी के नाम में धारित है।

ii. प्रबंधन ने स्वतंत्र सर्वेक्षकों के माध्यम से भारत सरकार के भरोसे पर (कैवर्न बी) एवं एडीएनओसी की ओर से मैंगलोर में (कैवर्न ए) और भारत सरकार की ओर से विशाखापट्टनम एवं पादुर में धारित क्रूड ऑयल स्टॉक का तर्कसंगत अंतराल पर भौतिक सत्यापन कराया है। हमारी राय में, क्रूड की प्रकृति और स्थान को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।

iii. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों/फर्मों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है। इसलिए कंपनी पर आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

iv. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई ऋण, गारंटी, प्रतिभूति नहीं दी है या ऐसा कोई निवेश नहीं किया है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

v. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से ऐसा कोई जमा स्वीकार नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और इसके तहत बनाई गई नियमावली के तहत शामिल है।

vi. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी की किसी भी गतिविधि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रखने के लिए निर्धारित नहीं किया है।

vii. क) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों एवं अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी आमतौर पर उपयुक्त प्राधिकरणों के पास आयकर, मूल्य वर्धित कर, कार्य संविदा कर, सेवा कर, उपकर, जीएसटी सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि और कोई अन्य वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, विवाद के कारण कंपनी द्वारा निम्नलिखित वैधानिक देय राशि जमा नहीं की गई है :

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (लाख ₹ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियमावली, 1996	रायल्टी	11794.95	31 मार्च, 2018 तक	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, आंध्र प्रदेश

विभिन्न प्राधिकरणों में विभिन्न कर निर्धारणों के लिए आयकर से संबंधित विवादों के संबंध में, कंपनी ने विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 का लाभ उठाया है तथा कंपनी द्वारा निर्धारित राशि का हिसाब दिया है / जमा किया है और आयकर विभाग द्वारा उसका अनुमोदन लंबित है।

viii. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने सरकार के ऋणों या उधारियों को चुकता करने में चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक या डिबेंचर धारक से कोई उधार नहीं लिया है।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स सहित) और टर्म लोन के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए कंपनी पर डिफॉल्ट के संबंध में आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता है।

x. निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नोटिस या सूचित नहीं किया गया है।

xi. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान / प्रावधान किया है।

xii. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है; इसलिए आदेश के पैरा 3 के अनुच्छेद (xii) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों जहां लागू होते हैं, के अनुपालन में हैं और वित्तीय विवरणों में लेखांकन के लागू मानकों की आवश्यकता के अनुसार इस तरह के लेनदेन का खुलासा किया गया है।

xiv. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई प्राथमिक आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है।

xv. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर नकदी लेनदेन नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी पर आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45IA के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000066N

शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 502897

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18 अगस्त, 2020
यूडीआईएन : 20502897AAAABF4293

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक–ग''

कंपनी अधिनियम, 2013 ''अधिनियम'' की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपने लेखा परीक्षण के साथ उस तारीख तक **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना सहित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण अभिकल्पित करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय का क्रमबद्ध एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय जाहिर करने की है। हमने आईसीएआई द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा के मानकों पर जारी की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, निर्धारित समझी गई मार्गदर्शन टिप्पणी ''मार्गदर्शन टिप्पणी'' के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखा परीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सारवान मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके काम करने की कारगरता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, कोई सारवान कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और

आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं काम करने की कारगरता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर लेखांकन के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अभिकल्पित की जाती है। वित्तीय विवरणों पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण सहित, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक रूप में और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
2. उचित आश्वासन देना कि लेन–देन को सामान्यनता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने पर रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा
3. अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों के निवारण को समय पर ज्ञात करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जो वित्तीय विवरणों पर एक वास्तविक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित उल्लंघन सहित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के तथ्य इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

विचार

हमारी विचार में, कंपनी में, सभी भौतिक दृष्टि से, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान

में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों की कसौटियों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000066N

शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 502897

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18 अगस्त, 2020
यूडीआईएनः 20502897AAAABF4293

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2020 के लिए

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर

तीसरा तल, बाबर रोड,

नई दिल्ली–110001

हमनें **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखा–परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा–परीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने **31 मार्च, 2020** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका एवं एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय; लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–

  (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: लागू नहीं

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेड़िग का निषेध) विनियम, 1992: लागू नहीं

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी के जारी करने हेतु, जरूरी प्रकटीकरण) विनियम, 2009 : लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999: लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2008 : लागू नहीं

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993: लागू नहीं

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009: लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998:

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जमाकर्ता और प्रतिभागी) विनियम, 1996:

(ञ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पंजीयक का निर्गम तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993:

(vi) अन्य लागू विधियां :

i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934; ii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974; iii) तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948; iv) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

पर्यावरणीय कानून :

i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989

विविध विधियां :

i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हम कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और एजेंडा दस्तावेजों के माध्यम से बोर्ड को की गई रिपोर्टिंग पर भी निर्भर रहे हैं।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे और इस अवधि के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित नियुक्ति और समाप्ति हुए :

क्रं.सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति / समाप्ति	दिनांक
1	श्री बी.एन रेड्डी	नियुक्ति	09/04/2019
2	श्रीमती किरन वासुदेवा	समाप्ति	31/05/2019
3	सुश्री इंद्राणी कौशल	नियुक्ति	01/08/2019
4	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	समाप्ति	11/09/2019
5	श्री राजेश अग्रवाल	नियुक्ति	01/01/2020
6	श्री निरंजन कुमार सिंह	नियुक्ति	01/01/2020
7	श्री राजीव बंसल	समाप्ति	17/02/2020

विस्तृत निर्देश के साथ पर्याप्त सूचना सभी निदेशकों को दी जाती है और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड / समिति और शेयरधारकों की बैठकों के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए मिनटों के अनुसार, हमने देखा कि सभी निर्णयों को संबंधित बोर्ड / समिति और शेयरधारकों द्वारा बिना किसी असहमति के नोट को मंजूरी दी गई थी। कंपनी की 24 जून, 2019, 6 सितंबर, 2019 और 1 जनवरी, 2020 को बोर्ड बैठकें हुई हैं। कंपनी ने 27 मार्च, 2020 को अपनी बोर्ड बैठक निर्धारित की थी और 19 मार्च, 2020 को उसी के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि, कोविड –19 महामारी के कारण भारत सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी लागू कर दिया था और कार्यालयों सहित कहीं पर भी एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए कंपनी 27 मार्च, 2020 के लिए निर्धारित अपनी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं कर सकी। आगे, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सामान्य आदेश सं.11 / 2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा कोविड –19 के प्रकोप के मद्देनजर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विशेष उपायों की घोषणा की है और बोर्ड की बैठक आयोजित करने की छूट दी है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव होने वाले किसी कार्यक्रम / कार्रवाई को नहीं लिया है।

कृते एस. एन. अग्रवाल एण्ड कंपनी
हस्ता. / –
(सत्य नारायण अग्रवाल)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या : 443
सीपी संख्या : 3581

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.06.2020

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. हमने कंपनी की कोई व्यापार और/अथवा वित्तीय लेखा–परीक्षा नहीं की है और कंपनी द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को सही पाया माना गया है।

2. हमने कंपनी के विपणन, प्रचालन, तकनीकी सेवाओं, कर, वाणिज्य या वित्तीय एवं लेखांकन से संबंधित मामलों पर कोई मत व्यक्त, नहीं किया है।

3. हमने हमें मुहैया करवाए गए सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों, मौलिकता और पूर्णता की प्रामाणिकता को माना है और इसके अलावा जो मूल नहीं थे, उन्हें उनके तदानुरूपी मूल दस्तावेजों के अनुरूप माना है।

4. हमने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा–परीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते हैं कि अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

कृते एस. एन. अग्रवाल एण्ड कंपनी

हस्ता./–
(सत्य नारायण अग्रवाल)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या : 443
सीपी संख्या : 3581

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.06.2020

सत्यापित दस्तावेजों की सूची

1. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा संशोधित आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
3. लेखा–परीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।
4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
5. सांविधिक रजिस्टर अर्थात
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
6. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों/सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।
8. अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर किए गए सभी ई–फार्म और लेखा–परीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी संलग्नक।
9. मंगलौर स्थल हेतु 30.09.2022 तक प्रेशर वेसल में एलपीजी गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस वैध है।
10. मंगलौर सुविधा हेतु 30.06.2021 तक वैध पानी के अंदर उपशिष्टों का निर्वहन (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और हवा मे उत्सर्जन (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 हेतु सहमति।
11. विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर के सीसीओई अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये मान्य हैं।
12. मंगलौर सुविधा हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र 26.04.2021 तक वैध है।
13. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन और 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए अधिनियम के अंतर्गत दायर वार्षिक रिटर्न।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित ई–फॉर्म दाखिल किए हैं

क्रम संख्या	फार्म संख्या एसआरएन के साथ	फार्म भरने का उद्देश्य	दाखिल करने की तारीख
1.	डीआईआर.12 एच53239356	श्री बी.एन. रेड्डी की नियुक्ति	20/04/2019
2.	जीएनएल–2 एच57697963	सिक्योरिटीज कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट के मिलान के लिए पीसीएस से प्रमाण पत्र	29/04/2019
3.	पीएएस–6 एच58606237	2,75,00,000 शेयरों का आवंटन	08/05/2019
4.	डीआईआर–12 एच64192156	श्रीमती किरण वासुदेवा के कार्यकाल की समाप्ति	12/06/2019
5.	आईएनसी–22ए एच64307697	एक्टिव (एक्टिव कंपनी टेगिंग आईडेंटिटस एंड वेरिफिकेशन) फ़ार्म	13/06/2019
6.	डीपीटी–3 एच72475791	31/03/2019 (प्रारंभिक) के अनुसार जमा की वापसी	29/06/2019
7.	डीपीटी–3 एच72479538	31/03/2019 (वार्षिक) के रूप में जमा की वापसी	29/06/2019
8.	एमजीटी–14 एच77785855	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय विवरणों की स्वीकृति, वित्त वर्ष 2018–19 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति	17/07/2019
9.	डीआईआर–12 एच81624736	श्रीमती इंद्राणी कौशल की नियुक्ति	08/08/2019
10.	डीआईआर–3 केवाईसी एच82400201	श्री एच.पी.एस. आहुजा की केवाईसी	13/08/2019
11.	डीआईआर–12 एच97511760	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा के कार्यकाल की समाप्ति	30/09/2019
12.	एडीटी–1 आर01257344	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति: मैसर्स गोयल एंड गोयल (डीई0577)	09/10/2019
13.	डीआईआर–12 आर07014467	निदेशकों का नियमितीकरण: 1) श्री बी. एन. रेड्डी 2) श्रीमती इंद्राणी कौशल	22/10/2019
14.	एओसी–4 एक्सबीआरएल आर07222094	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय विवरण दाखिल करना	23/10/2019
15.	एमजीटी–7 आर14147094	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना	19/11/2019
16.	डीआईआर–3 केवाईसी आर30394555	श्री राजेश मदन अग्रवाल की केवाईसी	16/01/2020
17.	एमजीटी–14 आर31637125	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति	29/01/2020
18.	डीआईआर–12 आर31637853	अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति: 1) श्री राजेश अग्रवाल 2) श्री निरंजन कुमार सिंह	29/01/2020
19.	डीआईआर–12 आर35647114	श्री राजीव बंसल के कार्यकाल समाप्ति	17/03/2020

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.06.2020

वार्षिक लेखे
2018–19

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन–पत्र
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(I)	**परिसंपत्तियां**			
	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	3,38,516.20	3,35,244.59
	(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.1	-	42.57
	(ग) अमूर्त परिसम्पत्ति	2.2	7,100.95	7,100.95
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	3	556.18	559.62
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	74.64	210.67
	(ङ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)		63.33	139.38
	(च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	-	12,180.15
	उप जोड़		**3,46,311.30**	**3,55,477.93**
(II)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकदी और नकदी तुल्य	6	8,634.51	8,436.71
	(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष राशि	7	545.80	514.33
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	3,629.52	1,948.78
	(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	9	65,231.83	583.30
	उप जोड़		**78,041.66**	**11,483.12**
	कुल		**4,24,352.96**	**3,66,961.05**
(I)	**इक्विटी और देयताएं**			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	3,77,587.47	3,74,837.47
	(ख) अन्य इक्विटी	11	(33,484.29)	(23,321.65)
(II)	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि		-	2,750.00
	उप जोड़		**3,44,103.18**	**3,54,265.82**
(III)	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	12	870.14	170.45
	उप जोड़		**870.14**	**170.45**
(IV)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(ii) देय व्यापार	13	6,096.77	4,947.36
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	7,359.65	7,090.34
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	15	65,923.22	487.08
	उप जोड़		**79,379.64**	**12,524.78**
	कुल		**4,24,352.96**	**3,66,961.05**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-27
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2020

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : **08389048**

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : **07793886**

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2020 के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
ब्याज आय		358.13	119.91
अन्य आय	16	106.09	225.67
कुल आय		**464.22**	**345.58**
व्यय			
मूल्यह्रास और परिशोधन	17	10,408.74	6,333.95
वित्त लागत (इंड एएस 116)	18	12.10	-
अन्य खर्चे	19	89.68	728.31
कुल व्यय		**10,510.52**	**7,062.26**
कर पूर्व हानि		**(10,046.30)**	**(6,716.68)**
कर व्ययः			
वर्तमान कर		-	-
पिछले वर्षों के लिए आयकर भुगतान (वीएसवी योजना के तहत)		650.12	-
कम :– भारत सरकार से पुनर्प्राप्त / पुनर्प्राप्त योग्य		(536.53)	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		**113.59**	-
वर्ष हेतु हानि		**(10,159.89)**	**(6,716.68)**
अन्य व्यापक आय		**-**	**-**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (इसमें लाभ/(हानि) तथा वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय शामिल है)		**(10,159.89)**	**(6,716.68)**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (₹10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	20		
(i) मूलभूत		(0.27)	(0.18)
(ii) तनुकृत		(0.27)	(0.18)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-27
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां लाभ एवं हानि विवरण का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह विवरण**		
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ	(10,046.30)	(6,716.68)
	समायोजन हेतु :		
	कर	(113.59)	-
	मूल्यह्रास	10,408.74	6,333.95
	वित्त लागत (इंड एएस–116)	12.10	-
	ब्याज आय	(358.13)	(119.91)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**(97.18)**	**(502.64)**
	समायोजन हेतु :		
	वित्तीय तथा अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(67,238.00)	1,003.04
	देयताएं और प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	66,440.52	8,384.45
	कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि/(कमी)	**(797.48)**	**9,387.49**
	संचालन से उत्पन्न नकदी	**(894.66)**	**8,884.85**
	प्रत्यक्ष कर भुगतान (वापसी का निवल)	76.05	(20.55)
	प्रचालन क्रियाकलापों से कुल नकदी प्रवाह (क)	**(818.61)**	**8,864.30**
(ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों /सीडब्ल्यूआईपी की खरीद	(367.95)	(8,451.23)
	वित्तीय परिसंपत्तियों का निपटान	-	-
	अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	-	(2,650.95)
	प्राप्त ब्याज	358.13	119.91
	निवेश गतिविधियों में उपयोग कुल नकदी (ख)	**(9.82)**	**(10,982.27)**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	शेयर पूंजी का निर्गत/शेयर आवेदन से प्राप्तियां	-	9,050.00
	अनुदान से प्राप्तियां	635.00	225.00
	ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन	(89.68)	(205.73)
	शेयर पूंजी इश्यु पर स्टॉम्प शुल्क	(2.75)	(9.58)
	ब्याज लागत (इंड एएस 116)	(12.10)	-
	लीज देनदारी (इंड एएस 116)	568.70	-
	वित्त पोषण से कुल नकदी प्रवाह (ग)	**1,099.17**	**9,059.69**
(घ)	**नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)**	**270.74**	**6,941.72**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	**(8,909.57)**	**(1,967.85)**
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	**9,180.31**	**8,909.57**

हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2020

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	3,74,837.47	3,68,106.47
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	2,750.00	6,731.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**3,77,587.47**	**3,74,837.47**

ख. अन्य इक्विटी		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	(23,321.65)	(16,595.39)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(10,159.89)	(6,716.68)
जारी शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी	(2.75)	(9.58)
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष	**(33,484.29)**	**(23,321.65)**

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2020

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	इंड एस 116 के प्रभाव	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2020 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(क) भवन	18,341.95	161.78		-	18,503.73	929.72	509.95	-	1,439.67	17,064.06	17,412.23
(ख) सड़के तथा पुलिया	3,165.30	-		-	3,165.30	885.31	436.81	-	1,322.12	1,843.18	2,279.99
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,759.86	-		-	1,26,759.86	9,509.10	5,167.52	-	14,676.62	1,12,083.24	1,17,250.76
(घ) कैवर्न	2,03,344.20	235.36		-	2,03,579.56	5,943.95	3,381.90	-	9,325.85	1,94,253.71	1,97,400.25
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	128.98	0.07		-	129.05	35.05	12.92	-	47.97	81.08	93.93
(च) परिवहन वाहन	131.41	-		-	131.41	26.45	15.61	-	42.06	89.35	104.96
(छ) कार्यालय उपकरण	424.92	11.62		-	436.54	247.70	81.84	-	329.54	107.00	177.22
(ज) कम्प्यूटर	1,216.22	16.81			1,233.03	690.97	284.24	-	975.21	257.82	525.25
(ज) उपयोग का अधिकार (इंड एएस–116)	-	-	13,269.83		13,269.83	-	533.07		533.07	12,736.76	-
कुल	**3,53,512.84**	**425.64**	**13,269.83**	**-**	**3,67,208.31**	**18,268.25**	**10,423.86**	**-**	**28,692.11**	**3,38,516.20**	**3,35,244.59**

विगत वर्ष

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	इंड एस 116 के प्रभाव	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2019 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(क) भवन	9,544.41	8,239.07		558.47	18,341.95	1,486.26	355.68	(912.22)	929.72	17,412.23	8,058.15
(ख) सड़के तथा पुलिया	1,375.27	1,790.03		-	3,165.30	601.51	295.65	(11.85)	885.31	2,279.99	773.76
(ग) संयंत्र और मशीनरी	70,192.38	57,325.63		(758.15)	1,26,759.86	5,397.69	3,561.14	550.27	9,509.10	1,17,250.76	64,794.69
(घ) कैवर्न	1,07,238.72	96,620.13		(514.65)	2,03,344.20	3,711.23	2,250.81	(18.09)	5,943.95	1,97,400.25	1,03,527.49
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	607.75	35.08		(513.85)	128.98	132.61	9.91	(107.47)	35.05	93.93	475.14
(च) परिवहन वाहन	61.92	69.49		-	131.41	16.68	9.77	-	26.45	104.96	45.24
(छ) कार्यालय उपकरण	278.13	26.36		120.43	424.92	155.11	77.68	14.91	247.70	177.22	123.02
(ज) कम्प्यूटर	432.47	430.50		353.25	1,216.22	433.21	231.77	25.99	690.97	525.25	(0.74)
कुल	**1,89,731.05**	**1,64,536.29**	**-**	**(754.50)**	**3,53,512.84**	**11,934.30**	**6,792.41**	**(458.46)**	**18,268.25**	**3,35,244.59**	**1,77,796.75**

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2.1 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

लाख ₹ में

विवरण		31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
चरण–I – विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभिक शेष	42.57	-
	जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन	119.21	42.57
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(161.78)	-
	शेष बकाया (क)	**-**	**42.57**
– पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभिक शेष	-	1,55,373.12
	जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन	-	9,221.65
	घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	(1,64,594.77)
	शेष बकाया (ख)	**-**	**-**
कुल (प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य)	**(क) + (ख)**	**-**	**42.57**

टिप्पणी सं. 2.2 : अमूर्त परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

अमूर्त परिसंपत्तियां (पाइपलाइन के लिए आरओयू)

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत के रूप में सकल ब्लॉक	7,100.95	4,450.00
वर्ष के दौरान अन्य संपत्तियों से जोड़ / स्थानांतरण	-	2,650.95
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	7,100.95	7,100.95
वर्ष की शुरुआत में अमूर्तकरण	-	-
वर्ष के दौरान अमूर्तकरण	-	-
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में अमूर्तकरण	-	-
निवल खंड	**7,100.95**	**7,100.95**

नोट:

पाइपलाइन के लिए आरओयू निरंतर आधार पर अधिग्रहित किया जाता है, इसलिए कोई अमूर्तकरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 3 – ऋण		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
सुरक्षा जमा	556.18	559.62
कुल	**556.18**	**559.62**

टिप्पणी सं. 4 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
प्रवेश कर की मांग के प्रतिकूल अग्रिम	74.64	210.67
कुल	**74.64**	**210.67**

टिप्पणी सं. 5 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
पूर्व प्रदत्त किराया (पट्टाधारी भूमि हेतु)	-	12,180.15
कुल	**-**	**12,180.15**

टिप्पणी सं. 6 – नकदी और नकदी तुल्य		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
बैंक शेष :		
चालू खाते में	3,793.69	5,403.51
सावधि जमा में (तीन माह के भीतर परिपक्वता)	4,840.74	3,033.00
नकद शेष :		
हस्तगत नकदी	0.08	0.20
कुल	**8,634.51**	**8,436.71**

टिप्पणी सं. 7 – बैंक राशि उपरोक्त के अलग		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
सावधि जमा (बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार के तहत) (परिपक्वता तीन महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष में देय होने के कारण)	-	41.47
सावधि जमा (परिपक्वता तीन महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष में देय होने के कारण)	545.80	472.86
कुल	**545.80**	**514.33**

टिप्पणी सं. 8 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
भारत सरकार और/या एचपीसीएल से प्राप्त होने वाले ओ एण्ड एम व्यय	3,611.58	1,925.80
उपार्जित ब्याज	17.57	22.16
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	0.37	0.82
कुल	**3,629.52**	**1,948.78**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 9 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(अप्रतिभूत अच्छे समझे गए)		
शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रति अग्रिम	0.01	2.76
एमआरपीएल से नकद और किस्म के रूप में वसूली	64,569.00	-
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	7.87	62.59
पूर्व प्रदत्त किराया (पट्टाधारी भूमि हेतु)	-	517.95
जीएसटी क्रेडिट	654.25	-
अन्य	0.70	-
कुल	**65,231.83**	**583.30**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 10 – शेयर पूंजी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,83,25,60,000	3,83,256.00	3,83,25,60,000	3,83,256.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,77,58,74,670	3,77,587.47	3,74,83,74,670	3,74,837.47

टिप्पणियां

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलानः

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
प्रारंभिक शेष	3,74,83,74,670		3,68,10,64,670	
जारी किए गए शेयर	2,75,00,000		6,73,10,000	
पुनः खरीद किए गए शेयर	-		-	
अंतिम शेष	3,77,58,74,670		3,74,83,74,670	

(ii) 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामित	3,77,58,74,670	100%	3,74,83,74,670	100%
कुल	**3,77,58,74,670**	**100%**	**3,74,83,74,670**	**100%**

(iii) इक्विटी शेयरों से युक्त शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति मूल्य ₹10 प्रत्येक का है और एक शेयर पर एक मत दिया जा सकता है। निगम के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, उनके द्वारा धारित इक्विटी की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(iv) तुलन पत्र के अुनसार पिछले पाँच वर्षों की अवधि के लिए

(क) नकदी में भुगतान प्राप्त किए बिना भुगतान (अनुबंधों) के अनुसार पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों के वर्ग की कुल संख्या।	शून्य
(ग) शेयरों और शेयरों के वर्ग की कुल संख्या वापस लाई गई।	शून्य

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 11 – अन्य इक्विटी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
प्रतिधारित आय का शेष:		
पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेषित शेष	(23,321.65)	(16,595.39)
घटाएं : निर्गत शेयर पर स्टाम्प शुल्क	(2.75)	(9.58)
घटाएं : वर्ष हेतु हानि	(10,159.89	(6,716.68)
कुल	**(33,484.29)**	**(23,321.65)**

टिप्पणी सं. 12 – अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा/जमा	304.70	170.45
पट्टा बाध्यता (इंड एएस–116)	565.44	-
कुल	**870.14**	**170.45**

टिप्पणी सं. 13 – व्यापार देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(I) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	70.46	157.81
(ii) पूजींगत व्यय के लिए देय	1,866.07	2,258.14
(iii) अन्यों को देय	4,160.24	2,531.41
कुल	**6,096.77**	**4,947.36**

टिप्पणी सं. 14– अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(परिशोधित लागत पर)		
एडनोक को देय (निवल)	6,719.22	6,758.11
पट्टा बाध्यता (इंड एएस–116)	3.26	-
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा	637.17	332.23
कुल	**7,359.65**	**7,090.34**

टिप्पणी सं. 15 – अन्य वर्तमान देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
सांविधिक देय	700.05	357.92
भारत सरकार को देय/वापसी	64,569.00	-
एचपीसीएल वाईजैग को देय	76.97	97.28
ओआईडीबी से अनुदान	564.59	19.27
अन्य	12.61	12.61
कुल	**65,923.22**	**487.08**

टिप्पणी सं. 16 – अन्य आय

लाभ तथा हानि खाते में अन्य आय

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
अन्य आय		
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (फेस II)	89.68	205.73
परिसमापन क्षतिपूर्ति	3.62	11.98
आयकर रिफंड पर ब्याज	2.09	5.59
पूर्व अवधि समायोजन	10.70	2.37
कुल आय	**106.09**	**225.67**

टिप्पणी सं. 17 – मूल्यह्रास और परिशोधन

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में
मूल्यह्रास	9,890.79	6,333.95
लीज रेंट (लीजहोल्ड लैंड) का परिशोधन	533.07	-
कमः – भारत सरकार से ओएंडएम व्यय के रूप में वसूली (इंड एस–116)	(15.12)	-
शुद्ध मूल्यह्रास और परिशोधन	**10,408.74**	**6,333.95**

टिप्पणी सं.18 वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में
लीज देनदारी पर ब्याज	41.83	-
कमः – भारत सरकार से ओ एंड एम व्यय के रूप में वसूली (इंड एस–116)	(29.73)	-
शुद्ध मूल्यह्रास और परिशोधन	**12.10**	**-**

टिप्पणी सं.19 अन्य खर्चे

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में
ओएंडएम व्यय		
क) मेनपावर व्यय (परियोजना स्थल) (आईटीबीपी के अलावा)	4,148.70	2,844.63
ख) मेनपावर व्यय – आईटीबीपी	4,001.51	-
ग) विद्युत व्यय	1,455.19	1,050.12
घ) बीमा व्यय	1,874.62	1,593.00
ङ) उपभोग्य व्यय	384.42	377.53
च) मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ओ एंड एम शुल्क	28.99	458.20
छ) अन्य व्यय	1,586.27	1,497.84
ज) कॉरिडोर चार्ज– मैंगलोर	289.86	-
कुल	13,769.56	7,821.32
कमः – भारत सरकार तथा / या एचपीसीएल से प्राप्ति योग्य	13,769.56	7,821.32
निवल ओ एडं एम व्यय	-	-
पट्टे के किराये का परिशोधन (पट्टे की भूमि)	-	522.58
फेस II का डीएफआर व्यय	89.68	205.73
कुल	**89.68**	**728.31**

टिप्पणी संख्या 20 भारतीय लेखा मानकों–33 के तहत ईपीएस के प्रकटीकरण

लाख ₹ में

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रति शेयर आय		
(i)	**मूल**		
	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(10,159.89)	(6,716.68)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	3,77,32,37,684	3,69,73,26,615
	प्रति शेयर बराबर मूल्य	10.00	10.00
	निरंतर संचालन से प्रति शेयर हानि – मूल	(0.27)	(0.18)
(ii)	**तनुकृत**		
	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(10,159.89)	(6,716.68)
	बकाया शेयरों की भारित संख्या – तनुकृत के लिए	3,77,32,37,684	3,72,48,26,616
	प्रति शेयर बराबर मूल्य	10.00	10.00
	निरंतर संचालन से प्रति शेयर नुकसान – तनुकृत	(0.27)	(0.18)

टिप्पणी संख्या. 21 पट्टों, प्रतिबद्धताओं और आकस्मिकताओं

21.1 पट्टो

कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम, 2019 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने इंड एएस–116 पट्टों के रूप में अधिसूचित किया है जो मौजूदा पट्टे इंड एएस 17 के रूप में पट्टे और अन्य व्याख्याओं की जगह लेता है। इंड एएस–116 पट्टों के लिए एक बैलेंस शीट लीज़ अकाउंटिंग मॉड्यूल पेश करता है।

(i) 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण विधियों का उपयोग करते हुए इंड एएस–116 के रूप में अपने पट्टों के लिए अपनाया है। तदनुसार, पूर्व वर्षों से संबंधित अवधि के लिए तुलनात्मक जानकारी को पुनर्स्थापित नहीं किया गया है। पट्टा देयता को प्रारंभिक आवेदन की तारीख में वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट प्राप्त शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और उपयोग की संपत्ति का अधिकार पट्टे की देयता और प्रीपेड किराया के बराबर राशि पर मान्यता दी गई है, जो बैलेंस शीट में मान्यता से पहले थी, प्रारंभिक आवेदन की तारीख, यदि कोई हो। कंपनी ने अप्रैल 2019 के लिए ओआईडीबी (100% शेयरधारक) ब्याज दर को अपनाया है। इसके अलावा, कंपनी ने निम्नलिखित समीचीन प्रयास किया है: –

(i) कंपनी ने यह आश्वस्त नहीं किया है कि कोई अनुबंध है, या उसमें शामिल है, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर एक पट्टा, यानी अनुबंध 31 मार्च, 2019 को इंड एएस 17 के अनुसार पट्टे पर वर्गीकृत किया गया।

(ii) इंड एस–116 के रूप में पट्टों के रूप में माना जाता है और अनुबंध के लिए मानक लागू नहीं है जो पहले इंड एएस 17 के रूप में इंड एस् को लागू करने वाले पट्टे के रूप में पहचाने नहीं गए थे

(iii) पट्टे जिनके लिए प्रारंभिक आवेदन की तारीख के 12 महीने के भीतर पट्टे की शर्तें समाप्त हो जाती हैं, उन्हें कम समय के पट्टों के रूप में देखा गया है

कंपनी ने भूमि से संबंधित पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। रिपोर्टिंग अवधि के तहत बिक्री और लीज बैक लेनदेन की व्यवस्था नहीं है।

लीज़होल्ड भूमि के लिए महत्वपूर्ण पट्टों का विवरण निम्नानुसार है: –

(क) 37 एकड़ भूमि के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ व्यवस्था।

(ख) 104.73 एकड़ भूमि के लिए 50 वर्षों की अवधि के लिए मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के साथ व्यवस्था।

(ग) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ 20 साल की अवधि के लिए 138.56 एकड़ भूमि की व्यवस्था।

(घ) 37.35 एकड़ भूमि का 15 वर्षों की अवधि के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ व्यवस्था।

(ii) **लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि या उपयोग के अधिकार की राशिः** ₹ लाख में

- प्रीपेड लीज रेंटल (पहले मौजूदा संपत्ति के रूप में और गैर–वर्तमान संपत्ति को परिचालन पट्टे के रूप में दिखाया गया है)	12698.11
उपयोग के अधिकार के रूप में पूंजीकृत	
- उपयोग के अधिकार में वृद्धि और लीज बाध्यता	571.72
- उपयोग के अधिकार में वृद्धि पर मूल्यह्रास को मान्यता	15.12
- प्रीपेड लीज रेंटल पर मूल्यह्रास मान्यता	517.95
- लीज बाध्यता पर ब्याज	41.83
- वृद्धिशील उधार दर	7.94%
- लीज रेंटल पेमेंट	44.85

पीपीई में शामिल उपयोग के अधिकार का विवरण अंतर्निहित परिसंपत्तियों के वर्ग द्वारा पट्टों के रूप में निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

₹ लाख में

परिसंपत्ति वर्ग	मद को आरओयू एसेट में 31.03.2019 को जोडा गया।	मूल्यह्रास वर्ष के दौरान पहचाने गये	31.03.2020 तक शुद्ध वहन मूल्य
लीजहोल्ड भूमि	13269.83	533.07	12736.76

* 31.3.2019 तक आरओयू आस्तियों में जोड़े गए आइटम रुपये 12698.11 लाख के शुद्ध वहन मूल्य पर 01.04.2019 से पहले दर्ज परिचालन पट्टे शामिल हैं। जो कि राइट टू यूज के रूप में 01.04.2019 को उपयोग में लाया गया है।

भविष्य के नकदी बहिर्वाह के मद का विवरण, जिसे कंपनी पट्टे के रूप में उजागर करती है, लेकिन पट्टे की देनदारियों के माप में परिलक्षित नहीं होते हैंः

(i) **परिवर्तनीय लीज भुगतान**

परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक इंडेक्स पर निर्भर करता है या लीज देयता के माप में शामिल होने के लिए एक दर है जो प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। सामान्य उद्योग अभ्यास के अनुसार, कंपनी विभिन्न वैरिएबल लीज पेमेंट को लागू करती है, जो किसी इंडेक्स या रेट (केएमएस कवर या बिक्री के प्रतिशत आदि पर आधारित वैरिएबल) पर आधारित नहीं हैं और लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त हैं और लीज देयता के माप में शामिल नहीं हैं। ।

(ii) **विस्तार और समाप्ति विकल्प**

कंपनी के पट्टे की व्यवस्था में केवल परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तार विकल्प शामिल है। कंपनी हर पट्टे के शुरू होने पर आकलन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का उपयोग करना उचित है और आगे के आश्वासन पर यह सुनिश्चित करना कि क्या यह विकल्प का उपयोग करना उचित है या नहीं, इसके नियंत्रण में परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, हालांकि, जहां कंपनी को विस्तार करने के लिए एकल विवेक है अनुबंध इस तरह के पट्टे की अवधि में पट्टे प्रयोगशालाओं की गणना के उद्देश्य से शामिल है।

(iii) **अवशिष्ट मूल्य की गारंटी**

कोई अवशिष्ट मूल्य की गारंटी नहीं है।

(iv) **प्रतिबद्ध पट्टे जो अभी शुरू होने हैं**

कोई प्रतिबद्ध पट्टा नहीं है जो अभी शुरू होना है।

(v) नॉन–कैंसेबल ऑपरेटिंग लीज के लिए भविष्य की न्यूनतम लीज रेंटल प्रतिबद्धता के बीच अंतर 31 मार्च, 2019 को लीज देयता की तुलना में 1 अप्रैल, 2019 तक के हिसाब से बताया गया, जो मुख्य रूप से रद्द करने योग्य के लिए लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य को शामिल करने के कारण है। इंड एएस–116 की आवश्यकता के अनुसार लीज़ देनदारियों में छूट और पट्टों के लिए प्रतिबद्धताओं के बहिष्कार के कारण कटौती, जिसके लिए कंपनी ने मानक के अनुसार व्यावहारिक समीक्षक को लागू करने के लिए चुना है।

(vi)	इस मानक के प्रयोग से अप्रैल–मार्च 2020 की अवधि के लिए कर से पहले लाभ में कम्रशः रू.–12.11 लाख एवं रू. 56.96 लाख (मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च और वित्त लागत में वृद्धि) की शुद्ध कमी आई है एवं कार्यालय, प्रशासन, बिक्री से कमी और अन्य व्यय रूपये 44.85 लाख की कमी आई है। इसके अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में रूपये –13269.83 लाख और पट्टे की बाध्यता में क्रमशः –571.72 लाख की कुल वृद्धि 31 मार्च 2020 तक है।
21.2	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (इसके लिए प्रदान नहीं की गई सीमा तक)** **विवरण** **(क) आकस्मिक देयताएं** **कंपनी के खिलाफ दावा नहीं के रूप में ऋण की राशि ₹98866.59 (2019: ₹102960.10 लाख) शामिल हैं** क) आयकर की विवादित मांगें ₹ शून्य (2019: 489.56 लाख)। ख) वाईजैग में खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा रॉयल्टी की विवादित मांग ₹11794.95 लाख (2019: ₹11794.95 लाख) ग) ठेकेदारों द्वारा प्रोजेक्ट्स के कारण विभिन्न साइटों पर किए गए ₹ 86997.00 लाख (2019: ₹ 86997.00 लाख) के विवादित दावों को ईआईएल द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके लिए मामले मध्यस्थों के पास लंबित हैं। घ) प्रवेश कर की विवादित मांग ₹74.64 लाख (2019: ₹ 275.77 लाख)। कंपनी ने प्रवेश कर के विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रख्यापित कर समाधन योजना का लाभ उठाया है। कंपनी के अनुसार कोई देयता नहीं है और कंपनी ने प्रवेश कर की ओर ₹74.64 लाख रुपये की जबरदस्ती वसूली के खिलाफ रिट याचिका दायर की है और मामला माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। ङ) सीएसटी प्रतिपूर्ति और ग्रीन बेल्ट की विवादित मांग रूपये शून्य (2019: ₹611.00 लाख)। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में आकस्मिक देयता के रूप में इस दायित्व का पुर्नमूल्यांकन किया था। कंपनी ने वर्ष के दौरान देयता की समीक्षा की पाया कि इस तरह की कोई मांग नहीं उठाई गई थी और राशि को अब आकस्मिक देयता नहीं माना जाता है। च) एमएसईजैडएल को देय ओ एंड एम कोरिडोर शुल्क ₹ शून्य (2019: ₹208.82 लाख)। छ) वाईजैग की सुरक्षा सेवाओं पर आईटीबीपी की मांग ₹ शून्य (2019: ₹2583 लाख)। **ज) पूंजी प्रतिबद्धताओं** पूंजी खाते पर निष्पादित और जिनके लिए व्यवस्था नहीं की गई वाले अनुबंधों की अनुमानित शेष राशि ₹ शून्य (2019:₹119.2 लाख) है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 22 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

इंड एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण

संबंधित पक्षों के ब्यौरे:

संबंध का विवरण	संबंधित पक्षों का नाम
धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	(1) श्री एच.पी.एस. आहुजा, सीईओ एवं एमडी (2) श्री गौतम सेन, सीएफओ, (3) श्री अरूण तलवार, कंपनी सचिव **निदेशक मंडल (पद के अनुसार)** डॉ. एम.एम.कुट्टी, अध्यक्ष (18.07.2018 से) श्री राजीव बंसल, निदेशक (17.02.2020 तक) श्री बी.एन रेड्डी, निदेशक (09.04.2019 से) श्रीमती इंद्राणी कौशल, निदेशक (01.08.2019 से) श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (11.09.2019 तक) श्री राजेश अग्रवाल, निदेशक (01.01.2020 से) श्री निरंजन कुमार सिंह, निदेशक (01.01.2020 से) श्रीमती किरन वासुदेवा, निदेशक (31.08.2018 से 31.05.2019 तक)

निम्नलिखित लेनदेन संबंधित पक्षों के साथ किये गये थे:

(लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	**केएमपी पारिश्रमिक (संबंधित मूल कंपनी से प्राप्त डेबिट नोट के आधार पर)**		
	सीईओ एवं एमडी	61.03	71.26
	सीएफओ	63.31	70.79
	सीएस	45.54	50.54
	कुल	**169.88**	**192.59**
(ii)	**धारक कपंनी (ओआईडीबी)**		
	शेयरों का आवंटन/शेयर आवेदन राशि	2,750.00	9,050.00
	ओआईडीबी को व्यय की प्रतिपूर्ति	25.96	50.54
	फेस II के खर्चो के लिए अनुदान	635.00	225.00
	कुल	**3,410.96**	**9,325.54**
	कुल योग (i) + (ii)	**3,580.84**	**9,518.13**

संबंधित पार्टियों के साथ बकाया राशि

(लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	**धारक कपंनी (ओआईडीबी)**		
	शेयर आवेदन लंबित आबंटन	-	2,750.00
	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ओआईडीबी को देय	22.12	22.77
	कुल	**22.12**	**2,772.77**

	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड **वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां** **टिप्पणी सं. 23 – खंड रिपोर्टिंग**
1.	कंपनी भारत सरकार के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों हेतु भंडारण परिसंपत्तियों के निर्माण तथा ऐसी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी करती है, इसे एकल प्राथमिक खंड माना जाता है।
2.	भौगोलिक सूचना लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत के भीतर है।
	टिप्पणी सं. 24 – वित्तीय उपकरणों
	श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरणों 1) प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों, देय व्यापार, अल्पावधि ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य का आकलन उनकी वहन राशि के लगभग पर किया जाता है। 2) वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को इच्छुक पक्षों के मध्य किसी वर्तमान संव्यवहार में आदान–प्रदान किया जाता है, सिवाय किसी बाध्यकारी या परिसमापन बिक्री के। 3) उचित मूल्य स्तर के संबंध में उक्त प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

टिप्पणी सं. 25 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

1. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रिया–कलाप इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में लाते हैं : बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा चल निधि जोखिम। कंपनी का प्राथमिक केन्द्र बिन्दु वित्तीय बाजारों की अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाना और इसके वित्तीय निष्पादन पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है। कंपनी का प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य प्राप्य और सुरक्षा जमा शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्त–पोषण है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और नकदी/नकदी तुल्य शामिल है जो सीधे प्रचालनों से निकलते है।

वर्तमान में कंपनी इसके प्राकृतिक व्यापार संपर्क तथा साथ ही साथ ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय लेखपत्र के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी वित्तीय जोखिम के संपर्क में नहीं है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी हेतु उचित वित्तीय जोखिम शासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करता है।

2. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। बाजार मूल्यों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं : मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लेखपत्रों में ऋण तथा उधार, जमा, निवेश, तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्तमान में कंपनी के वित्तीय लेखपत्र किसी भौतिक बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

3. ऋण जोखिम

ग्राहक के ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यापार इकाई द्वारा ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण के अधीन किया जाता है। किसी ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन व्यापक विश्लेषण पर आधारित होता है और बकाया ग्राहक प्रप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है।

तरलता जोखिम

कंपनी निधियों की कमी के अपने जोखिम की निगरानी ध्यानपूर्वक करती है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकता का प्रबंधन धारक कंपनी से अल्पावधि ऋणों पर पहुंच बनाए रखते हुए करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2020 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	6,096.77	-	-	-	**6,096.77**
अन्य वित्तीय देयताएं	7,359.65	308.22	7.90	554.02	**8,229.79**
कुल	**13,456.42**	**308.22**	**7.90**	**554.02**	**14,326.56**

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2019 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	4,947.36	-	-	-	4,947.36
अन्य वित्तीय देयताएं	7,090.34	170.45	-	-	7,260.79
कुल	**12,037.70**	**170.45**	**-**	**-**	**12,208.15**

टिप्पणी सं. 26 पूंजीगत प्रबंधन

कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित शामिल होते हैं। कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है।

31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्षों के दौरान पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 27 – अन्य टिप्पणियां

27 अन्य टिप्पणियां

(i) कंपनी ने विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत लाभ उठाया है और रुपये ₹650.12 लाख की देयता का अनुमान लगाया है जो कि मूल्यांकन वर्ष 2012–13 से 2017–18 से संबंधित है जिसमें से वित्त वर्ष 2019–20 में ₹469.25 लाख का भुगतान किया गया है और उसी को वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार से वापिस प्राप्त किया है। ₹113.59 लाख रुपये आयकर परिसंपत्तियों की राशि के तहत समायोजित किए गए हैं और शेष राशि ₹67.27 लाख देय है और अन्य वर्तमान देनदारियों के तहत सांविधिक बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह मामला आयकर विभाग द्वारा समीक्षाधीन है और अंतिम देयता, यदि कोई हो, विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है तब प्रदान की जाएगी।

(ii) सॉवरिन क्रूड ऑयल रिजर्व को विशाखापट्टनम कैवर्न ए और मंगलौर कैवर्न बी में रणनीतिक उद्देश्य के लिए भरा गया है। विशाखापत्तनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा इसके संचालन के लिए किया जाता है और जो भी क्रूड रखा जाता है वह शुद्ध रूप से एचपीसीएल की संपत्ति है। मंगलौर में कैवर्न ए को एडनोक के साथ समझौते के तहत उनके स्वामित्व वाले कच्चे तेल के साथ निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान क्रूड ऑयल को एडनोक द्वारा भंडारण के लिए भर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एडनोक ने मंगलौर कैवर्न से एमआरपीएल तथा एचपीसीएल को 369119.70 एमटी क्रूड ऑयल जारी किया। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमओपीएडजी के निर्देशों के अनुसार ईरानी क्रूड क्वांटिटी 905029.6 एमटी को मंगलौर कैवर्न बी और पादुर से एमआरपीएल में स्थानांतरित कर दिया गया था। नीचे दिए गए आंकड़े क्रूड ऑयल से संबंधित हैं।

भारत सरकार – क्रूड ऑयल

विवरण	कुल (मात्रा एमटी में)	मूल्य (₹ लाख में)
31 मार्च, 2019 तक संचयी कुल मात्रा की खरीद की गई (लैडिंग बिल के अनुसार)	19,72,229.01	-
जोड़ें: – वर्ष के दौरान एमआरपीएल से प्राप्त	8,29,778.73	2,23,098.00
कमः – वर्ष के दौरान एमआरपीएल में स्थानांतरित	9,05,029.69	2,87,667.00
शुद्ध मात्रा 31 मार्च, 2020 तक प्राप्त हुई	18,96,978.05	
31 मार्च, 2020 तक कस्टडी के तहत कुल मात्रा। (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार)	18,55,457.49	

एडनोक – क्रूड ऑयल

विवरण		
एडनोक क्रूड ऑयल की मात्रा की खरीद 31 मार्च, 2020 तक	7,55,577.00	-
कमः – वर्ष के दौरान एडनोक द्वारा बिक्री	3,69,119.70	-
31 मार्च, 2020 तक शुद्ध मात्रा प्राप्त हुई	3,86,457.30	-
31 मार्च, 2020 को कस्टडी के तहत कुल मात्रा –एडनोक क्रूड ऑयल (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार)	3,74,918.53	-

एमआरपीएल से रूपये 64569.00 लाख में हस्तांतरित और खरीदे गए कच्चे तेल के मूल्य के अंतर को अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि अंतिम निपटान के लिए लंबित है और आईएसपीआरएल कैवर्न में कच्चे तेल की प्राप्त या नकद में तय की जाएगी और भारत सरकार को वापिस कर दी जाएगी, इसलिए देयता को वर्तमान देयता के तहत भारत सरकार की देय के रूप में बुक किया गया है।

प्राप्त कच्चे तेल की मात्रा में अंतर और 31.03.2020 तक के स्टॉक में डेड स्टॉक/ कमिशिनिंग नुकसान के कारण है और बोर्ड की राय में स्वीकार्य सीमा के भीतर है।

(iii) चंडीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान नीरी द्वारा फेस 2 के लिए ईआईए अध्ययन शुरू किया गया था। पादुर में एसपीएम के निर्माण के लिए कार्य डीएफआर मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। 31 मार्च, 2020 तक चरण– II पर कुल व्यय ₹ 295.41 लाख रुपये (रोडशो सहित) है, जो चरण II के लिए ओआईडीबी द्वारा 31 मार्च, 2020 तक मंजूर/वितरित ₹860 लाख राशि से प्राप्त किया गया है।

(iv)	मंगलौर में द्वितीय कर्म्पाटमेंट के लिए, अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी के साथ तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, 1,20,000 अमेरिकी बैरल (15831 एमटी) के मूल्य का भुगतान एडनोक को डेड स्टॉक हानि / कमिशिनिंग हानि के लिए करना पड़ेगा। इस को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। इसका ₹7000 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त की गई है, लेकिन अभी तक एडनोक के लंबित दावे के कारण उन्हें चुकाया नहीं गया है। इसे अन्य वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
(v)	31 मार्च, 2020 तक, विभिन्न तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर लिए गए 15 कर्मियों द्वारा कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कार्य को संभाला जाता है। उनका वेतन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ उनसे संबंधित मूल कंपनियों को दावे की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा कंपनी के नियमित पे रोल पर चार कर्मचारी हैं। नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी नीतियों और भत्तों के निर्माण की प्रक्रिया विचार–विमर्श और अंतिम रूप देने के उन्नत चरण के तहत है। 1 नवंबर, 2019 से श्री एचपीएस आहुजा मु.का.आ. एवं प्र.नि. को उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप। आईएसपीआरएल के नियमित कर्मचारी के रूप में नामांकित किया गया है। आईएसपीआरएल का कोई भी कर्मचारी वर्ष के दौरान किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार नहीं थे और इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
(vi)	अन्य कंपनियों से राशि प्राप्त करने के लिए नकद या वस्तु के मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम, जिसमें कोई भी निदेशक एक निदेशक या सदस्य हो रूपये शून्य (पिछला वर्ष–रूपये शून्य)।
(vii)	वैश्विक रूप से और भारत में कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के प्रकोप ने कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रूप से प्रभावित किया है। 25 मार्च, 2020 से देशव्यापी तालाबंदी के साथ–साथ कोविड–19 के प्रसार ने मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और वैश्विक मांग को प्रभावित किया है और इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है जिसने अल्पावधि में व्यवसाय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आईएसपीआरएल एक विशेष उद्देश्य माध्यम (एसपीवी) है जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आईएसपीआरएल कैवर्न में संग्रहित कच्चा तेल प्रकृति में रणनीतिक है और इसका उपयोग आपूर्ति व्यवधान / विभिन्न परिस्थितियों के मामले में किया जाता है। इसलिए, यह माना जाता है कि कोविड–19 महामारी ने आईएसपीआरएल के संचालन के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। कोविड–19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप, वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। कच्चे तेल की कम कीमत का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने कैवर्न में उपलब्ध स्थान को भरने के लिए आईएसपीआरएल को अतिरिक्त धन आवंटित किया। तदनुसार, लॉकडाउन अवधि के दौरान, आईएसपीआरएल ने 2020–21 में विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में कच्चे तेल की कम कीमत का फायदा उठाते हुए क्रुड आयॅल को भरा एवं इससे सरकार को भारी विदेशी मुद्रा की बचत का लाभ हुआ। ओएमसी और पीएसयू के साथ कच्चे तेल को भरने से संबंधित लेनदेन को संबंधित कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट नोट के अनुसार निपटाया जा रहा है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान लागू सभी सरकारी दिशानिर्देशों / एसओपी का पालन किया है।
(viii)	मंगलौर और पादुर से खुदाई की गई चट्टानें साइटों पर पड़ी हैं। वर्ष के दौरान पादुर में रॉक मलबे के लिए ई–नीलामी खनिज राज्य ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी और पादुर से ₹2 लाख मीट्रिक टन रॉक मलबे उठाने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा ₹106 प्रति एमटी की बोली लगाई गई थी।

(ix) ओ एंड एम व्यय का विवरण (लाख ₹ में)

वर्ष के दौरान ओ एंड एम व्यय भारत सरकार / एचपीसीएल से दावा किया गया	11,682.03
कमः – ओ एंड एम व्यय पिछले वर्ष में बुक किया गया लेकिन वर्ष के दौरान दावा किया गया	1,042.39
जोड़ेंः – 2019–20 के लिए ओ एंड एम व्यय का वर्ष के दौरान दावा नहीं किया जाना, दावा किया जाना है	3,711.30
वर्ष के दौरान किए गए शुद्ध ओ एंड एम व्यय (मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर व्यय शामिल है।)	14,350.94
31 मार्च, 2019 तक भारत सरकार / एचपीसीएल से वसूली योग्य राशि	1,925.80
वर्ष के लिए शुद्ध ओ एंड एम व्यय	14,350.94
वर्ष के दौरान भारत सरकार / एचपीसीएल से प्राप्त राशि *	12,665.16
31 मार्च 2020 तक भारत सरकार / एचपीसीएल से वसूली योग्य राशि	3,611.58
* इसमें ओएंडएम खर्चों की दिशा में अग्रिम के रूप में भारत सरकार से लिया गया ₹1000.00 लाख शमिल हैं।	

(x)	**विलंबित कर** कर योग्य आय के अभाव में आयकर के किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, अस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की यथोचित सुनिश्चितता नहीं है कि भावी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी जिसके लिए प्राप्य इस प्रकार के अस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सकता है।
(xi)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ₹70.46 लाख (पिछले वर्ष 157.81 लाख रूपये) निर्धारित किया गया था इस प्रकार के पक्षकारों की पहचान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ था के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है।
(xii)	विक्रेताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं की ओर देय / वसूली योग्य राशि पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो।
(xiii)	सभी उपभोग्य सामग्रियों / भण्डारणों / कलपुर्जों को खरीद के समय ओ एंड एम व्यय में बुक किया जाता है।
(xiv)	मैंगलोर एसईजेड से चट्टानों को हटाने पर रॉयल्टी के भुगतान को एमएसईजेडएल / इन्हें हटाने के लिए नियुक्त संविदाकार द्वारा वहन किया जाना है।
(xv)	कंपनी ने अन्य चालू देयताओं के तहत वैधानिक देय राशि के रूप में देय राशि की समीक्षा की और पाया कि कार्य अनुबंध कर और सेवा कर के रूप में देय राशि रु 10.85 लाख देय नहीं है और इसलिए वापस लिखा गया है। विभाग से अभी ऐसी कोई मांग नहीं है, यदि भविष्य में कोई दायित्व या मांग उठाई जाएगी, तो उचित प्रावधान किए जाएंगे और भुगतान किया जाएगा।
(xvi)	जैसा कि लेखा परीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए व्यय से संबंधित लाभ और हानि विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के तहत आवश्यक है (कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में दिए अनुसार) और अन्य मदें इस प्रकार हैं:

	वित्तीय वर्ष 2019–20 (लाख रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 (लाख रुपए में)
संवैधानिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	1.77	1.77
तुरंत देय व्यय	0.00	0.10
आंतरिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	0.35	0.48
अन्य सेवाएं	शून्य	शून्य
सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखा – परीक्षण शुल्क	0.25	0.25

(xvii)	कंपनी द्वारा पादुर में 179.2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से पादुर में 176.11 एकड़ भूमि को आईएसपीआरएल के नाम से पंजीकृत किया गया है, पादुर में शेष 3.09 एकड़ भूमि अभी कंपनी के नाम पर पंजीकृत होना शेष है।
(xviii)	तुलन पत्र (2018–19)के अनुसार आज की स्थिति के अनुसार आवंटन के लिए लंबित शेयरों को 6 मई, 2019 को आवंटित कर दिया गया है।
(xix)	पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के अनुरूप पुनर्संरचित / पुनर्गठित किया गया है, जहां कहीं भी वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के लिए यह आवश्यक है।
(xx)	वित्तीय विवरणों को 18 अगस्त, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. कारपोरेट सूचना

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी) ओआईडीबी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा भारत में अधिनिगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 पर तथा प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय ओआईडीबी भवन, तीसरा तल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर–73, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में है। कंपनी गैर–सूचीबद्ध है क्योंकि इसके शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है तथा उनका कारोबार नहीं किया जाता है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. भारत सरकार के खनिज तेल के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल के भंडारों या भारत सरकार द्वारा तय ऐसे किसी अन्य निकाय के खनिज तेल का भंडारण, जो निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन है:

   केवर्नों से महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले खनिज तेल के भंडारों को निकालना तथा इनका पुनः भराव सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से किया जाएगा।

   बशर्ते भारत सरकार के महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों को गुणवत्ता आवश्यकता अथवा मरम्मत तथा रखरखाव के कारण या खनिज तेल के परिसंचरण हेतु भी निकाला जा सकता है।

2. भण्डारण, संभालना, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफ रिंगर्स, भण्डारगार गृह, उत्पादक, तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों के व्यापार को करना है।

1क : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित इंड एस के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इनका अनुपालन करते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी भौतिक पहलू हैं।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये गए हैं और सभी मूल्यों को केवल निकटतम लाख (दो दशमलव तक) रुपए में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय अन्यथा निर्दिष्ट किए गए हों।

1.2 राजस्व मान्यता

(i) ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के रूप में जाना जाता है।

(ii) बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

1.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कम संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटा कर लागत पर बताया गया है। अचल परिसंपत्तियों की लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग की कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि जब यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और ऐसी परिसंपत्तियों की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत घटा संचित परिशोधन पर बताया जाता है।

iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को लागत पर वहन किया जाता है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार राजस्व व्यय पूंजीकृत होते हैं।

1.4 मूल्यह्रास/परिशोधन

(i) मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है। सिवाय भूमिगत कैवर्न के जिसकी उपयोगी समय स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

(ii) पृथक रूप से ₹5,000/– तक की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

(iii) अनिश्चितकालीन जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) को अमूर्त नहीं किया जाता है, लेकिन नकद उत्पन्न करने वाले इकाई स्तर पर सालाना हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चितकालीन जीवन का आकलन सालाना समीक्षा करने के लिए किया जाता है कि अनिश्चितकालीन जीवन सहायक है या नहीं। यदि नहीं, तो अनंत जीवन से परिमित तक उपयोगी जीवन में परिवर्तन संभावित आधार पर किया जाता है।

(iv) निश्चित उपयोगी जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आर ओ यू) पट्टे की अवधि में परिशोधित दिया जाता है।

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन बाहरी तथा आंतरिक स्रोतों का समय–समय पर इस्तेमाल कर आकलन करके यह देखता है कि इसका कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब उत्पन्न होती है जब वहन मूल्य, वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाती है और परिसंपत्ति के सतत उपयोग तथा इसके अंततः निपटान से भविष्य के नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की प्रत्याशा होती है। व्यय की जाने वाली क्षति हानि का निर्धारण परिसंपत्तियों के निवल बिक्री मूल्य तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित वर्तमान मूल्य से ऊपर वहन मूल्य के आधिक्य पर किया जाता है। किसी क्षति हानि को वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान में परिवर्तन होने पर वापिस कर दिया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक दर्ज किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन लागत, उस वहन लागत से अधिक नहीं होती है जिसका निर्धारण मूल्यह्रास तथा परिशोधन के निवल हेतु किया जाता, यदि किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती।

1.6 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

i) कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii) विदेशी मुद्रा में लेनदेन को शुरूआत में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार दर्ज किया जाता है।

iii) मौद्रिक संपत्ति एवं विदेशी मुद्राओं के देनदारियों को नियति तारीख पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्राओं के समापन दर पर लेनदेन किया जाता है।

iv) गैर–मौद्रिक वस्तु विदेशी मुद्रा को ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v) परिवर्तनीयता अथवा निपटान की स्थिति की विनिमय दरों में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ अथवा घाटे को लाभ–हानि विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है।

1.7 वित्तीय लेखपत्र

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(iii) वि–मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाए अथवा ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्तरण कर दिया जाए तथा ऐसे अंतरण विमान्यकरण हेतु अर्हक होते है। वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है, जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन किया जाता या यह समाप्त हो जाती है।

1.8 आय पर कर

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। स्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों का उपयोग किया जा सकता है।

1.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को लाभ या हानि में एक व्यवस्थिति आधार पर उस अवधि में मान्यता प्राप्त होगी जिसमें इकाई को संबंधित लागत को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का दावा रखता है।

1.10 पट्टे

कंपनी इस बात का आकलन करती है कि अनुबंध के अंत में अनुबंध में पट्टा है या नहीं। एक अनुबंध है, या शामिल है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्याः (1) अनुबंध में एक पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (2) कंपनी को लीज की अवधि के दौरान संपत्ति को इस्तेमाल से काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ मिले। (3) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी एक राइट–टू–यूज एसेट और सभी लीज व्यवस्थाओं के लिए एक संबंधित लीज लायबिलिटी को पहचानती है, जिसमें वह पट्टेदार होता है, केवल बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के लीज) वाले पट्टों को छोड़कर और कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए पट्टे। कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए और इन अल्पकालिक पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टे की कुछ व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। संपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टे की देनदारियों में ये विकल्प शामिल होते हैं कि जब निश्चित है कि पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का उपयोग किया जाएगा / पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की भुगतान की प्रारंभिक राशि लीज भुगतान के लिए या इससे पहले लीज की आरंभ तिथि से पहले समायोजित की जाती है और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई लीज प्रोत्साहन कम होता है। बाद में उन्हें कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि हानि पर मापा जाता है।

यदि लीज अवधि के अंत तक अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है या उपयोग परिसंपत्तियों के अधिकार की लागत का उपयोग करता है, तो अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक, उपयोग की तारीख से अंतःस्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास / परिशोधन किया जाता है यह दर्शाता है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, राइट–टू–यूज़ परिसंपत्तियाँ लीज अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन जो भी कम हो के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास / परिशोधन है किया जाता है।

पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के लिए वर्तमान मूल्य की परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि

वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। लीज देनदारियों को संबंधित परिसंपत्ति के संबंधित अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है यदि कंपनी अपना आकलन बदलती है कि क्या वह एक एक्सटेंशन या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी।

छूट दर आम तौर पर वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

1.11 प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया गया है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है।

1.12 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

1ख : हाल के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को सूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

अनुलग्नक–ग

11 नवम्बर 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के वित्तीय विवरणों से संदर्भित भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 143(6) (बी) के तहत टिप्पणियां

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष संबंधी वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा अपनी दिनांक 18 अगस्त, 2020 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किया गया निर्दिष्ट है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षण को संचालित किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेज़ों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मेरे ज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताः–
तनुजा मित्तल
वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा महानिदेशक, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2020

अध्याय
10

परिशिष्ट

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (v) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना;

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य आसीमित संदायों की, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

ड़) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिवेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या उसके अनुमोदन से, ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना;

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(ध) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ड़) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बातें कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुवांशिक या पारिणामिक हों।

परिशिष्ट–2

वित्त लेखा, और संपरीक्षा

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

15(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल शेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई दर में अनाधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदगृहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (20 प्रतिशत यथा मूल्य दिनांक 1.3.2016 से)।

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादक करता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा 9(1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदगृहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदगृहणीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के लिए उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा – 16
शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

16. धारा–15 के अधीन उदगृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17–
केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

17. केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

18. (1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धन राशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(घ) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

देश में तेल उद्योग के विकास हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

पंजीकृत कार्यालय:
301, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001

कॉर्पोरेट कार्यालय:
ओआईडीबी भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नोएडा–201301 उ.प्र.

Jaina Offset Printers: 9873149889, 9811269844